खण्ड-115, अंक-3
बुधवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(17 दिसम्बर, 1952 ई0)

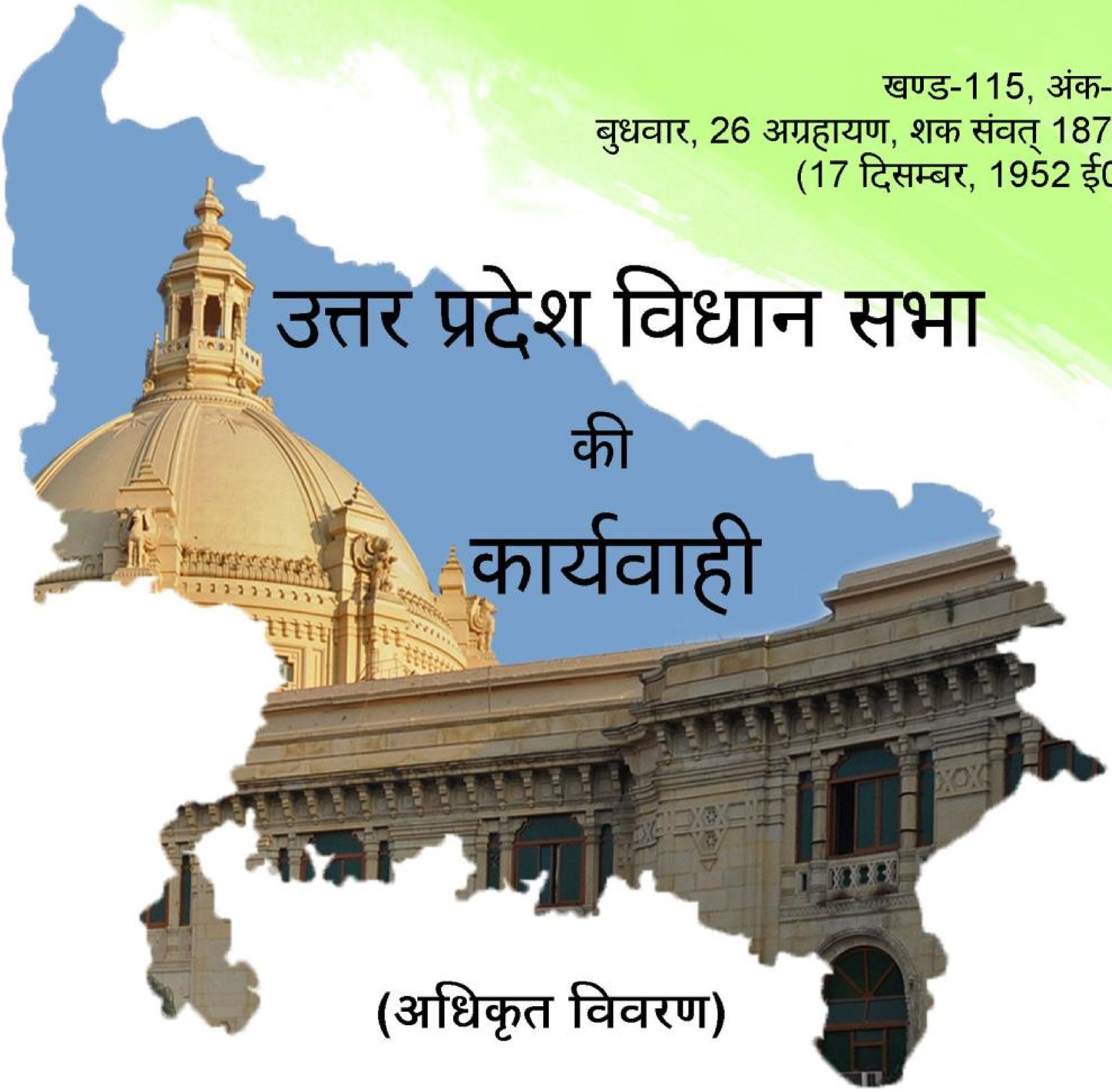

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 115 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईजखां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा ,श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवशास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

विधान सभा प्रदेश

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूदआलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम, मिश्र
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री

अनुवाद प्रदेश

सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

—:o:—

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रिहिन्द बांध योजना

*१—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि क्या यह बात सच है कि केन्द्रीय सरकार ने रिहिन्द बांध योजना को अपनी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ले लिया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—प्लानिंग कमीशन ने रिहिन्द बांध योजना को पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये तय कर लिया है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहिन्द बांध योजना को प्लानिंग कमीशन ने पूर्ववत् स्वीकार किया है या उसमें कुछ परिवर्तन किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसको थ्रैश आउट कर के स्वीकार किया है। इतना और निवेदन कर दूं कि उसकी रक़म भी तय हो गयी है कि उसमें कितना खर्च होगा।

*२—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि केंन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये कितना धन देना स्वीकार किया है और यह बांध अब किस सन् तक बनकर, काम म आने लगेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी कुछ तय नहीं हुआ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहिन्द बांध योजना पर सरकार ने कितना धन देना स्वीकार किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका उत्तर जैसा कि उत्तर नम्बर २ म है कि अभी यह कुछ तय नहीं हुआ है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को यह विदित है कि वहां की अवस्था को दृष्टि में रखते हुये वहां का रेट कम है जिससे लोग कम आ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह उस वक्त ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आयेगा जब कि उसको पूरी तेजी से शुरू किया जायगा ।

नीलगायों से कृषि की रक्षा

*३---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्वी जिलों में नीलगाय फैल रही हैं, जो खेती को बहुत बड़ी हानि पहुंचा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---जी हां ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन पूर्वी जिलों में नीलगायों से किसानों की फ़स्ल को अधिक नुक्सान हो रहा है वहां के प्रधानों को बिला शर्त बन्दूक दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस बात के लिये जिला मैजिस्ट्रेटों को इस प्रकार के आदेश हैं कि जहां फ़स्ल जंगली जानवरों से खराब की जाती है वहां उन लोगों को उन बन्दूकों के लाइसेंस दें जिनसे इन जानवरों का आना रोका जा सके ।

*४---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार ने नीलगायों से कृषि की रक्षा के लिये उन्हें मारने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी सोचा है ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं ।

*५---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार कोई ऐसा प्रयोग कर रही है कि नीलगाय भी घरेलू जीवन में एक उपयोगी और सहायक पशु के रूप में काम आये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसा प्रयोग करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सरकार ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया है । माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह इस बात पर विचार कर रही है कि नर नीलगाय की हल या तांगे में कहां तक उपयोगिता सिद्ध हो सकती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कहीं-कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयोग किया लेकिन वह प्रयोग असफल रहा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार इस बात का प्रयोग करेगी कि नीलगाय का दूध स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगिता की दृष्टि से कहां तक ठीक होता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसका भी बहुत लोगों ने प्रयोग किया लेकिन वह नीलगाय का दूध निकाल नहीं सके ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह नीलगाय क्यों कहलाती है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं इसका उत्तर दे लें तो ज्यादा अच्छा रहे ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दूध के बारे में किन लोगों ने प्रयोग किया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत---बहुत से लोगों ने जिनको इस बात का शौक था कि वे नीलगाय या ऐसा ही कोई प्रयोग करें उन लोगों ने किया और आज ही उस संबंध में हमारे सूबे में एक पंडित श्रीराम शर्मा हैं उनसे मेरी काफी देर तक बातचीत हुई । उन्होंने भी कहा कि इसकी कोशिश की गयी लेकिन नीलगाय की इस दिक्कत को दूर करने का कोई भी उपाय अभी तक नहीं निकाला जा सका ।

नगर क्षेत्रों की बेदखलियों पर रोक

*६---श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की टाउन एरियाओं के अन्दर जमीनदारों द्वारा की गयी बेदखलियों को रोक दिया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक निश्चय हो जाने की आशा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ठीक तरह से तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार ऐसी बेदखलियों के दखल रोकने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसादमौर्य---यही प्रश्न तो विचाराधीन है ।

*७---श्री रमेश चन्द्र शर्मा---यदि हां, तो क्या इसकी सूचना प्रत्येक जिलाधीश के पास भेजी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १६० पर]

*२-३---श्री नेकराम शर्मा---[३१ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-५---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[२८ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा में सरकारी जनाने अस्पताल पर खर्च

*६—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में स्थित सरकारी जनाने अस्पताल के ऊपर कुल कितना प्रति वर्ष खर्च किया जाता है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—आगरा का जनाने अस्पताल के प्रान्तीयकरण होने के बाद से निम्नलिखित रुपया प्रति वर्ष व्यय हुआ है—

१९५०-५१	..	२,५९,३५० रु०
१९५१-५२	..	२,२९,५६० रु०
१९५२ अबतक	..	१,५६,८६७ रु०

(जिसमें कि कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित है।)

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो अनुदान आगरा के जनाना अस्पताल को दिया जाता है उसमें से कितना कर्मचारियों का वेतन तथा मरीजों के खुराक और दवा में खर्च होता है ?

श्री बनारसी दास—दवा और मरीजों की डाइट (Diet) पर जो खर्च होता है वह ७९,२१२ रुपये "Pay and allowances of Medical officers, Nurses and menial staff' कुल मिला कर १,७०,९४१ रुपया व्यय होता है ।

*७—श्री पुत्तू लाल—क्या यह सच है कि उक्त अस्पताल में दवाइयों की कमी के कारण अधिकतर मरीजों को दवा खरीदने के लिये नुस्खा लिख दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, मरीजों को अस्पताल से दवा दी जाती है जो कि आमतौर से अस्पतालों में होता है । पर्चा केवल उन दवाइयों के निमित्त लिखा जाता है जो अस्पताल में नहीं होती है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अस्पताल में दवाओं की कमी होने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—यह तो आपने स्वयं ही अपने प्रश्न में कहा है कि मरीजों की संख्या क्योंकि बहुत अधिक है इसलिये दवाओं के अनुदान में कमी पड़ जाती है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुये इस अनुदान को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—यह प्रश्न तो बजट के समय विचाराधीन होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार जो शिकायत है कि नुस्खा लिख दिया जाता है, उसकी कोई जांच करायेगी ?

श्री बनारसी दास—जांच का कोई सवाल नहीं है । अस्पतालों में दो तरह की दवायें होती हैं। एक तो ब्रिटिश फारमाकोपिया के अनुसार दवायें तैयार होती हैं उनके लिये कोई नुस्खा नहीं लिखा जाता है लकिन जो पेटेंट मेडीसिन्स होती हैं उनके लिये नुस्खा लिखा जाता है । इसलिये जांच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*८—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल में प्रति वर्ष इनडोर तथा आउटडोर मरीजों की संख्या का तीन वर्ष का औसत क्या है ?

श्री बनारसी दास—इनडोर मरीजों का तीन वर्षों का औसत ८२४३ तथा आउट-डोर का औसत ७७,०६३ हैं।

बांदा जिले की कर्वी व मऊ तहसीलों में दवाखानों की कमी

*९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को मालूम है कि बांदा जिले की कर्वी व मऊ तहसील में बारह-बारह मील तक कोई दवाखाना नहीं है ?

श्री बनारसी दास—अभी ठीक सूचना नहीं मिली है । सम्भवतः स्थिति ऐसी ही है।

*१०—श्री जगपति सिंह—यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—प्रदेश की उन जगहों में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है सरकार चिकित्सालय खोलने के लिये प्रयत्नशील है । अगले साल जब नये दवाखाने खोले जायेंगे तो इन तहसीलों का भी ख्याल रक्खा जायगा।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि इस साल के बजट में कोई गुंजाइश नहीं है कि नये अस्पताल खोले जांय ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१४ जनवरी, १९५३ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२-१३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—
[देखिये आगे पृष्ठ १६० पर]

*१४-१५—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—[१४ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध जनता एवं अन्य चुंगी कमीश्नरों की शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, इस तरह की शिकायतें आयी हैं और उनकी जांच भी सरकार ने करायी है । इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट अभी आई है और उस पर सरकार विचार कर रही है । आशा है बहुत शीघ्र निर्णय हो जायगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो शिकायतें आयी हैं उनमें आमतौर पर क्या चार्जेज हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न १ श्री भगवान सहाय ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम--जिस बात पर विचार हो रहा है उसमें यह मुनासिब नहीं है कि उसके चार्जेज अभी बतलाये जायं।

* * * *

आगरा लेडी लायल अस्पताल

*१२--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा लेडी लायल अस्पताल में गत वर्ष कितने मरीजों का इलाज हुआ और कितने प्रसव के केस हुये ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--गत वर्ष लेडी लायल अस्पताल में ८६,५१८ मरीजों का इलाज हुआ जिसमें से ३,४१५ प्रसव के केस थे।

*१३--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस अस्पताल को पुरुषों के अस्पताल से मिलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति

श्री अध्यक्ष--कल जो सदन में बहस हुई उसके संबंध में मैंने यह कहा था कि आज मैं उसका फैसला दूंगा लेकिन मेरा उसके ऊपर अभी विचार जारी है और उसमें पूर्णता नहीं हुई है। इसलिये मैं कल उसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--स्थायी समितियों के संबंध में जो चुनाव हुये हैं उस संबंध में मैं सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं। उनमें से पूरे नाम पढ़ने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं होगी, जिनके नाम वापस हुये हैं उनके नाम सुनाये देता हूं बाकी नामजद हुये जिसकी फेहरिस्त मैंने उस रोज सुना दी थी।

हरिजन संबंधी स्थायी समिति में १५ नाम नामजद हुये थे। श्री झारखंडे राय जी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिये बाकी १४ चुने गये।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति में १६ नाम नामजद हुय थे तो उनमें से दो सदस्यों श्री तेजबहादुर और श्री झारखंडे राय ने अपने नाम वापस ले लिये, इसलिये बाकी १४ चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कों की स्थायी समिति में १५ नामजदगियां हुई थीं। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिये १४ बाकी जो रह गये वे चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण सिंचाई की स्थायी समिति में १५ नामजदगियां हुई थीं, श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया, बाकी १४ चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विद्युत स्थायी समिति में १४ नामजदगियां हुई थीं कोई नाम वापस नहीं लिया गया, इसलिये १४ जो नामजद हुये थे वही निर्वाचित हुये।

शिक्षा की स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थीं जिसमें श्री जोरावर वर्मा, श्री तेज बहादुर, श्री विष्णु दयाल वर्मा और श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

श्रम स्थायी समिति, के लिये १४ नाम आये थे और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

वन स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं उसमें श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

माल स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिसमें श्री तेज बहादुर ने अपना नाम वापस ले लिया है, बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

न्याय तथा विधान की स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थी और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति क लिये १६ नाम आये थे जिसमें माननीय श्री झारखंडे राय, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री कमला सिंह, श्री विष्णुदयाल वर्मा और श्री मोहन सिंह ने अपना नाम वापस लिया, बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

आबकारी स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं। किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। शेष १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

जेल स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी और श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं और उसमें श्री कमला सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

स्वशासन संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं और उसमें से श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

सूचना स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और उनमें से किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

रसद स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और उनमें से किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये वे १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

पुलिस की स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थीं उनमें से श्री झारखंडे राय, श्री जोरावर वर्मा, श्री तेजबहादुर और श्री कमला सिंह ने अपना नाम वापस लिया। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

यातायात स्थायी समिति के लिये १६ नामजदगियां हुई थीं उनमें से श्री झारखंडे राय और श्री तेजप्रताप सिंह ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

विकास तथा नियोजन की स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिनमें श्री तेजप्रताप सिंह ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

उद्योग स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं जिसमें श्री मोहन सिंह शाक्य ने अपना नाम वापस लिया। शेष १४ सदस्य उसके लिये निर्वाचित हुये।

सहकारी स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये ये १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

इस प्रकार से एक समिति की नामजदगी अभी होनी है उसके लिये मैं कार्यक्रम कल बतला दूंगा।

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

†खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा। कल उठते समय श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर श्री राजनारायण भाषण कर रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अभी-अभी हमको चीफ व्हीप ने बतलाया कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि इस पर कल विवाद हो तो इसलिये मैं अपना राइट रिजर्व रखना चाहता हूं और अगर कल के लिये विवाद हो तो मैं कल के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—कल के लिये आपको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस पर अब कल वाद-विवाद जारी होगा, अभी इसको स्थगित रखा जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

'खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12—A के अन्त में शब्द "and by cumulaltive system of voting") बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों का संबंध है उसमें आम-तौर से प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी या बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं। क्युमुलेटिव प्रणाली

---

*विधेयक २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।
†खंड ९ १५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

ही एक सही चुनाव प्रणाली है। मोटे तौर पर चुनाव के ३ तरीके हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग, दूसरा क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग और तीसरा है लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग हालांकि क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन वह दोनों तरीके फिर भी अलग अलग हैं।

क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग इसलिये महत्वपूर्ण है कि इससे माइनारिटीज़ को अख्तियार मिल जाता है कि वह अपना प्रतिनिधि किसी म्युनिसिपल बोर्ड में या दूसरी जगह भेज सकें क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग यह है कि मान लीजिये कि कहीं ५,००० वोटर हैं और मान लीजिये कि वहां ३ उम्मीदवार हैं तो उस में यानी क्यूमुलेटिव सिस्टम में हर वोटर को अख्तियार होगा कि वह अपने तीनों बैलेट पेपर जो उसको इशू होंगे वह चाहे एक को दें या दो को दें या तीनों एक ही को दे दें। एक उदाहरण देकर मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, मान लीजिये ३ मेम्बर वार्ड में ५,००० वोटर हैं और उनमें से १,७०० वोटर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष के उम्मीदवार के हैं तो १,७०० वोटर अगर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष के हों और वह इस बात का प्रिकाशन लें और अपने तीनों वोट उसी के डिब्बे में डाल देते हैं तो गिनती के वक्त उसके ५,१०० वोट होंगे। अब रह गई मेजारिटी पोलिटिकल पार्टी उसके लिये ५,१०० वोट पड़ने के बाद ५००० में से कुल ९९०० वोट रह जाते हैं और अगर किसी भी कोशिश से.....अध्यक्ष महोदय, सदन में शान्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सदन म शान्ति रहना चाहिये ताकि सब लोग सुन सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो मैं यह कह रहा था कि अगर किसी भी कोशिश से बहुसंख्यक दल चाहता है तो उसके २ उम्मीदवारों को ५,१०० से ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, अगर दोनों को बराबर मिलते हैं तो ४,९५० वोट दोनों को बराबर मिलेंगे और पोलिटिकल माइनारिटी के उम्मीदवार को ५,१०० मिले, इसलिये ३४ फीसदी भी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष में हो जाता है तो एक प्रतिनिधि उनका आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के सिस्टम आफ वोटिंग की कोशिश हमारी पार्टी की तरफ से असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन के समय में भी की गई थी लेकिन सरकारी पक्ष ने उसको नहीं माना था। उनमें सिंगल मेम्बर और डबल मेम्बर कंस्टीट्यूएंसीज़ रखी गई और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखा गया कि हर उम्मीदवार के यदि २ भी वोट हों तो वह एक ही वोट १ उम्मीदवार को दे सकता है। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल है वह कोई प्रांत की या देश की सरकार चलाने का प्रश्न तो है नहीं जहां कि बहुत बड़ी राजनीति के प्रश्न तय होते हों। यह तो एक सर्वमान्य सिद्धांत सा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं उनके चेयरमैन और मेम्बरों से ज्यादातर रचनात्मक कार्य करने की आशा की जाती है। यदि उसमें कोई विरोध न हो और सर्वसम्मति प्राप्त हो जाय तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के नुमाइन्दे के पास ३ मेम्बर के वार्ड में ३४ परसेंट वोट भी हैं तो वह चुन जायगा। ५ मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी में २० परसेंट होने पर चुना जायगा, और ४० परसेंट होने पर २ चुने जावेंगे, ६० परसेंट होने पर ३ चुने जावेंगे। चुनाव की एक अच्छी प्रणाली को मान लेने से यह स्वयं नतीजा निकल जाता है कि हर पोलिटिकल पार्टी, चाहे वह माइनारिटी में हो या मैजारिटी में हो और चाहे वह उसे पसन्द करे या न करे, उसका प्रतिनिधित्व म्युनिसिपल बोर्ड में पहुंच जाता है। यह बहुत जरूरी चीज है।

असेम्बली में तो मैजारिटी को शासन चलाना होता है और बड़ी बड़ी पालिसी के प्रश्न इनवाल्व्ड होते हैं: गवर्नमेंट समझती है कि यह ठीक है और विरोधी दल समझता है कि वह ठीक है। तो मैजारिटी को नामंजूर करने का डेमोक्रेटिक हक़ हासिल है। लेकिन, जैसा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैंने पहले कहा वहां रचनात्मक कार्य होता है और इसीलिये यह आवश्यक है कि क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग हो। यह कोई नई प्रणाली नहीं है। हमारे देश में भी बम्बई के कारपोरेशन में यह है। मैं आपकी आज्ञा से सिटी आफ बाम्बे म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १८८८, में से धारा २८ का (एफ) सबक्लाज पढ़ना चाहता हूं।

"In plural counsellor wards every elector shall have as many votes as there are counsellors to be elected at such election for such ward and may give all such votes to one candidate or may distribute them among the candidates as he thinks fit."

अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि वहां भी ऐसा है। और हमारी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट कमेटी ने भी, जिसके चेयरमैन आप थे जो हमारी खुशकिस्मती है, और जिस कमेटी का जिक्र यहां आया है, और जिसके २ और मेम्बर श्री सुलतान आलम खां और श्री ऐजाज रसूल खां यहां मौजूद हैं हालांकि वे इस वाद विवाद में हिस्सा नहीं ले सकते, उस कमेटी ने भी इस बात को माना है, काफी गौर करके, और सिफारिश की है पेज २५ पर, कि—

"The election of members to the district or municipal boards should be through joint electorate and the system of voting should be cumulative."

यह कमेटी हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम प्रदेशों के लिये बहुत महत्व की है और उसने बहुत अच्छे सुझाव रखे थे। उसने भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव रखा है कि जहां तक एक मत हो कर काम करने का सवाल है उसके लिये क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग होना चाहिये। मुझे यह बात देखकर खुशी हुई कि नोट आफ डिसेंट में एक मेम्बर ने भी इस बात पर ऐतराज नहीं किया बल्कि सभी मेम्बर उस राय के थे। क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और टाउन एरियाज के लिये हो तो मुझे खुशी होगी। अध्यक्ष महोदय की मजबूरी है इसलिये कि वे वाद-विवाद में हिस्सा नहीं ले सकते लेकिन दो माननीय सदस्य नवाब सैयद ऐजाज रसूल साहब और सुल्तान आलम खां साहब जो उस कमेटी में थे वे आज अवश्य इस बात का समर्थन करेंगे कि जो बात उन्होंने कुछ समय पहले कही थी, हालात आज बिलकुल वही है, पोलिटिकल माइनारिटी के रेप्रेजेन्टेशन का सवाल है इसलिये वे अवश्य ही इसका समर्थन करेंगे।

मैं समझता हूं कि जहां तक कम्युनल माइनरिटी के प्रोटेक्शन का सवाल है वह बिलकुल ही हमारे देश के कंस्टीट्यूशन के मुताबिक रूल्ड आउट है और उसकी बात उठाना गलत है लेकिन माइनारिटी का रेप्रेजेन्टेशन डेमोक्रेसी में एसेंशियल फीचर है। मुझे खुशी है कि जितनी बातें मैंने कहीं उनको माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बड़े गौर से सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अवश्य इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री जगन्नाथबख्श दास (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम, तीन प्रकार की प्रथा की बात की गयी है। हर प्रथा में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये हमें यह देखना आवश्यक होता है कि इसकी अच्छाई अधिक है या इसकी बुराई अधिक है। यों तो क्यूमुलेटिव सिस्टम की बात हमारे भाई ने इस सदन के सामने रखी पोलिटिकल माइनारिटी को प्रोटेक्शन के लिये उनकी आवाज बहुत जोरदार थी लेकिन मुझे दुनियां में कोई सिद्धांत नहीं मालूम होता कि किसी विधान के अन्दर पोलिटिकल माइनारिटी के प्रोटेक्शन की कोई बात कही जाय और पोलिटिकल माइनारिटी के प्रोटेक्शन सीक की कोई बात आयी हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। साथ ही साथ यह बात भी

इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पोलिटिकल माइनारिटी की बात अच्छी चीज मालूम होती है लेकिन उसके साथ यह भी भय है और भय ही नहीं है बल्कि अवश्यंभव होना है कि सेक्रेटेरियन माइनारिटी के प्रोटेकशन की बात सोची जाय और उसके लये मांग की जाय। यह कहा जा सकता है कि अगर पोलिटिकल माइनारिटी की बात आ ि है तो क्या कारण है कि सेक्रेटेरियन माइनारिटी को प्रोटेक्शन न दिया जाय। आज तकल हमारे यहां जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि कहीं इससे सेक्रेटेरियन को इनकरेजमेन्ट न मिल जाय तो इस तरह की बातों का ठीक परिणाम नहीं होता। यह जो क्यूमुलेटिव सिस्टम है उसका विरोध मैं इसी वास्ते करता हूं कि आज भले ही वह चीज अच्छी हो लेकिन इसका असर जो हमारे ऊपर पड़ेगा वह असर अच्छा नहीं होगा।

दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वह यह है जैसा कि हमारे भाई श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि मान लीजिये किसी के पास चन्द वोट हैं तो उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह चाहे एक आदमी को अपना वोट दें, चाहे जितना वोट उनके पास है वे किसी दूसरे को दे दें। यह तो एक सिद्धांत की और क्यूमुलेटिव वोटिंग की बात है। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा यह भी हमें देखना है। वैसे तो मैं बहुत खराब शब्द कहने जा रहा हूं लेकिन वाकया यही है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ में वोट खरीदने की भी प्रथा है चाहे इसे कोई माने या न माने। अब इस चीज को डिसकरेज करने के लिये कि अगर एक आदमी को किसी ने खरीद लिया तो उसके घर के ५ वोट उस आदमी के हो गये, इसका कोई न कोई उपाय ढूंढना है। अगर इस तरह के सिस्टम को हम इनकरेज करेंगे तो यह बड़ी गलत चीज होगी। किसी आदमी को यह अधिकार न होना चाहिये कि वह अपना वोट किसी के हाथ बेंचे और अगर बेंचता है तो केवल एक वोट बेंच सकता है। पर एक वोट खरीदने के लिये जब उसे कम कीमत मिलेगी तो इस वास्ते वह वोट नहीं बेंच पायेगा।

दूसरी बात जो मुझे सदन के सामने रखनी है वह है उदारता की। अगर एक आदमी को वोट देने के सिस्टम को ही इनकरेज किया जायगा तो वोटर के अन्दर उदारता की भावना नहीं होगी। इसलिये वोटर के लिये इसकी बाध्यता होनी चाहिये कि वह अपना वोट एक आदमी को न देकर प्रत्येक आदमी को दे। अगर इस तरह का चवायस दिया जाय कि चाहे वह एक आदमी को वोट दे या भिन्न भिन्न आदमियों को अपना वोट दे। एक आदमी को वोट देने से उदारता का हनन होता है। इसलिये मैं दुख के साथ इस सिद्धांत का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार न किया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जनाब स्पीकर साहब, इस अमेंडमेंट के जरिये जो इस वक्त भवन के सामने एक बहुत अच्छी और बड़ी उम्दा बहस हमारे सामने आगई। तय यह करना है कि सिस्टम आफ वोटिंग क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, क्यूमुलेटिव हो, या लिस्ट सिस्टम हो या कैसा हो। जिन मेरे मित्र ने यह अमेंडमेंट पेश किया है उन्होंने मालूम होता है कि इस मसले पर काफी छानबीन की है और उन्होंने खेर कमेटी का भी हवाला दिया है। उसके अन्दर उन्होंने कुछ मेरे मुताल्लिक भी कहा। यह सही है कि खेर कमेटी का मैं मेम्बर था और मुझे भी उस कमेटी के डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह भी सही है कि मैंने उसमें एक छोटा सा नोट आफ डिसेंट शामिल किया था और मैंने यह राय जाहिर की थी कि क्यूमुलेटिव सिस्टम अगर किया जाय तो बेहतर है।

मैं आज भी उस राय पर कायम हूं और मैं क्यूमुलेटिव सिस्टम को गलत नहीं समझता हूं और मैं आज भी समझता हूं कि यह सिस्टम अच्छे सिस्टम में से है। लेकिन बाज वक्त इन्सान बावजूद इसके कि एक चीज को अच्छा समझता है लेकिन सरकमस्टांसेज ऐसे सामने आते हैं जिसमें वह एक दूसरी चीज को पसन्द करता है। यह चीज कोई ऐसी नहीं है कि न हो हममें से हर शख्स को हर आदमी को ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है

[श्री सुल्तान आलम खां]

है। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाऊंगा जिस वक्त जमींदारी अबालिशन कमेटी बैठी। उसमें हमारे सूबे के बहुत ही बुजुर्ग और बहुत मुअज्जिज शख्स आचार्य नरेन्द्र देव जी उस कमेटी के अन्दर मौजूद थे। जब कम्पेंसेशन का मामला आया तो उन्होंने यह राय दी थी जो कमेटी रिपोर्ट में मौजूद है कि दसगुना मुआविजा जमींदारों को मिलना चाहिये। लेकिन उसके बाद जब इस मसले का तजकिरा यहां पर आया और यहां हमने उस पर गौर किया तो सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों ने यह फैसला दिया कि नहीं कम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिये। मैं नहीं कह सकता और शायद किसी को भी यह कहने का हक नहीं होगा कि उन्होंने जो राय जाहिर की थी वह राय सही नहीं थी। वह राय अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी लेकिन यह भी सही है कि सरकमस्टांसेज इस किस्म के हैं और हालात और वाकयात इस किस्म के हैं जिसमें जिन दोस्तों ने अब इस राय को जाहिर किया है वह भी अपनी जगह पर सही हैं और उनको गलत नहीं कहा जा सकता। अब जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जहां तक क्यूमुलेटिव सिस्टम का ताल्लुक है वह बहुत अच्छा और सुन्दर है और उसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त हमारे सामने जो तजवीज पेश की गई है वह कहां तक मुनासिब है और कहां तक मुजिर है।

आज हममें से बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि लोकल बाडीज के अन्दर बड़ा करप्शन है। अभी जैसा पहले जो मेरे मित्र तकरीर फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि इस बात का अन्देशा बढ़ता है कि अगर हम इस वक्त क्यूमुलेटिव सिस्टम रायज कर लिया तो हो सकता है कि लोग वोट खरीदें और वोटों की बड़ी कीमत मिले। यह सिस्टम जो इस वक्त इस बिल के अन्दर १३ एफ के जरिये से पेश किया गया है मैं समझता हूं कि यह भी ऐसा सिस्टम है जिस पर गौर करने की जरूरत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बगैर सोचे समझे रद्द कर दें। एक बात हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिये कि जिस किस्म का सिस्टम हम एलेक्शन में रायज करें उसमें एक बात खास तौर से ध्यान में रखना है और वह यह है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें तालीम यापता लोगों की बहुत कमी है ज्यादा से ज्यादा १५, २० फीसदी लोग ऐसे हैं जो शहरी रकबे में रहते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसा सिस्टम इवाल्व करें जो सबसे ज्यादा आसान और जिसमें कम्पलीकेशन्स न हों। जब इस कसौटी पर इसे देखने की कोशिश करते हैं तो मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जहां तक आसान तरीका होने का ताल्लुक है जो सिस्टम इसमें प्रोपोज किया गया है वह भी ऐसा सिस्टम है जिसे हमें आज ट्राई करना चाहिये। एक चीज खास तौर से एलेक्शन में देखना है कि नई भावना के मातहत और डिमोक्रेसी के मातहत हमें उसका सेफगार्ड करना है। पिछले एलेक्शनों में यह होता था कि बहुत से लोग जो बाअसर होते थे या दौलत मन्द होते थे वह वोटों को अपने असर से या दौलत या रुपये के जरिये से हासिल कर लिया करते थे। हमको इस बात की कोशिश करनी है कि ऐसा न होने पाये। जाहिर है कि अगर एक कांस्टीटुएंसी में या एक वार्ड में पांच मेम्बर हैं और हर मेम्बर को यह हक हासिल हो कि वह एक वोट एक वोटर का हासिल करे तो इसमें इसका इमकान कम रह जाता है। लेकिन अगर इसका मौका हो कि एक वोटर के पांच वोट एक ही मेम्बर हासिल कर सकता है तो इसका ज्यादा इमकान है कि करप्शन ज्यादा बढ़े। और मुमकिन है कि वह लोग जो ज्यादा बाअसर हैं या अपनी दौलत या रुपये से काम लेने जा रहे हैं वह इसमें कामियाबी हासिल कर लें। इस तरीकये इंतखाब में यह चीज नहीं रहेगी।

दूसरी चीज यह है कि मैं इस उसूल को भी मानता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक हो या उस मशीनरी का ताल्लुक हो जो एलेक्शन करायेगी उसको पार्टीबन्दी

से बिल्कुल ही बाला होना चाहिये। न सिर्फ बाला होना चाहिये बल्कि एलेक्शन के मामले में पार्टीज को रिकगनाइज ही न करे। यह जाहिर है कि जब एलेक्शन लड़े जायंगे तो पार्टियां अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़े करेंगी। लेकिन जहां तक एलेक्शन मशीनरी या गवर्नमेंट का ताल्लुक है वह हर मेम्बर को ख्वा वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो बहैसियत एक इंडिविजुअल के मानें। उसके सामने इस बात का रिकगनीशन न हो कि यह मेम्बर किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखता है। इसके जरिये से इसका भी मौका मिलता है। इसलिये कि फर्ज कीजिये किसी हलके में चार सीटें हैं और आठ उम्मीदवार खड़े हैं एक वोटर आता है जिसको चार वोट देने का हक है। दो वोट एक पार्टी के नुमाइंदे को देता है, एक वोट दूसरी पार्टी के नुमाइन्दे को देता है और एक वोट तीसरी पार्टी के नुमायन्दे को देता है। उसको हक हासिल रहता है कि अलहदा अलहदा वोट दे। तो इससे यह बात भी सामने आ जाती है कि जो एलेक्शन का तरीका हो वह ऐसा हो जिसके जरिये से एलेक्शन मशीनरी को या गवर्नमेंट को इस बात का मौका न हो वह किसी पार्टी को रिकगनाइज करके आगे चले। बल्कि हर उम्मीदवार को ख्वा वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसे इंडिविडुअल करार दे। जनाबवाला, मुझे इसमें यह भलाई और खूबी नजर आती है। इसमें लिस्ट सिस्टम का भी कुछ जिक्र है जिसका जिक्र आगे है। उसको मैं बिल्कुल नाकिस समझता हूं इसलिये कि लिस्ट सिस्टम में लिस्ट बनाने का अख्तियार सिर्फ हाई कमांड को है। इसमें जो प्रायरिटी रखी जाती है वह भी वही रखेंगे। जब वोट आएंगे और डिटरमिन होंगे तो पार्टी को मिलेंगे किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेंगे। अगर उस पार्टी को इतने वोट मिले हैं तो वह सब से पहला उम्मीदवार कायम होगा जो लिस्ट में नम्बर एक हो। हो सकता है कि जो नम्बर एक हो वह ज्यादा पापुलर न हो, सात नम्बर पर जो उम्मीदवार है तो वह सबसे ज्यादा बेहतर और पापुलर हो। इस वजह से मैं लिस्ट सिस्टम को ज्यादा पसन्द नहीं करता।

इसके अलावा जैसा कि मैंने अर्ज किया क्यूमुलेटिव सिस्टम जरूर अच्छा सिस्टम है इसके मुताल्लिक दो राएं नहीं हो सकतीं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल हालात, जो इस वक्त लिटरैसी की हालत है, जो इस वक्त पार्टियों की हालत है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इंतखाब का तरीका ऐसा निकालें जो सब से आसान हो जिसमें कोई दिक्कत न हो। इसको देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि जो इस वक्त बिल के अन्दर स्कीम मौजूद है वह मुनासिब है और इस काबिल है कि उसको ट्राई किया जाय। यह बिल जो ऐक्ट बनने जा रहा है दिस इज नाट दि लास्ट वर्ड आन दि सब्जेक्ट। हम इस पर तजुरबा कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कतें महसूस हुईं और ठीक काम नहीं चला तो इस बात का मौका रखते हैं कि हम इसको बैठ कर बदल दें और उसके बाद क्यूमुलेटिव सिस्टम या लिस्ट सिस्टम या जो सिस्टम मुनासिब समझें उसको ला सकते हैं।

इसलिये इन हालात के मातहत, इन अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्त से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस वक्त इस सिस्टम को ट्राई करें और इसको चलने दें और उसके बाद उनको मौका मिलेगा कि अगर ट्राई करने के बाद यह सिस्टम सही न साबित हो तो उसे बदल डालें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि मौजूदा सिस्टम सही है और उसके ऊपर अमल किया जाय।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग बढ़ा देने के संबंध में है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने क्यूमुलेटिव सिस्टम के संबंध में अपनी सम्मति कुछ बदली है और उसकी चर्चा करते हुये आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपनी गवाही आगे चल करके बदल दी यह कहा और यह भी कहा कि इसी तरह से उन्हें भी अधिकार है कि वह भी अपनी राय बदल दें।

श्री सुल्तान आलम खां--आन एप्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन । मैंने नहीं कहा कि आचार्य जी ने अपनी गवाही बदल दी, बल्कि मैंने यह अर्ज किया था कि उन्होंने जो रिपोर्ट में कुछ कहा था, हमारी सोशलिस्ट पारटी ने जब यहां डिस्कशन किया तो उस उसूल के खिलाफ यहां एक बात कही ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी अभी जो हमारे मित्र ने सफाई दी उसमें भी इतनी बात उन्होंने मानी कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो बात गवाही में कही थी वह सोशलिस्ट पार्टी ने बाद में विचार विनिमय करके दूसरे तरीके से रखी । मैं आपके जरिये से आचार्य नरेन्द्र देव जी की गवाही जो इस कमेटी में हुई थी उसकी प्रति अविकल रूप से जो हमारे सामने है उसके कुछ वाक्यांश पढ़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य इस बारे में पुनः भ्रम पैदा करने की कृपा न करेंगे ।

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो गवाही दी थी वह इस प्रकार है, "निर्दयी जमींदार। जमींदारी प्रथा के उद्भव, और आज तक जमींदारों द्वारा किसानों पर किये गये अत्याचारों, निर्दयताओं तथा ज्यादतियों को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रश्न पर विचार करना हो तो मुआविजा देने और जमींदारों के पास जमीन छोड़ने की बात पृष्ठ भूमि में पड़ जाती है और जरूरी हो जाता है कि सरकार अविलम्ब उनकी जमीन जब्त कर लें । लेकिन हम भावुकता के फेर में न पड़कर इस मसले पर गंभीरतापूर्वक इसकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को सामने रखते हुये विचार करेंगे।.....

श्री अध्यक्ष--आप पूरी स्पीच न पढ़ें, उतना ही पढ़ दें जो कि मुआविजे के संबंध में है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बार बार इस सदन के सम्मानित सदस्य कोट करते हैं.....

श्री अध्यक्ष--आप उसी अंश को पढ़ दें । आप तो पूरा पढ़ना चाहते हैं ।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--मैं यह जानना चाहता हूं कि खेर कमेटी रिपोर्ट की बाबत आचार्य जी की यह स्पीच है या जमींदारी अबालीशन के मुताल्लिक ।

श्री अध्यक्ष--आप हस्तक्षेप न करें । जो कुछ पहले कहा गया वह उसका जवाब दे रहे हैं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, "भूमि प्रकृति की एक देन है, इसके साथ सारे समाज के जीवन का घनिष्ट संबंध है । इसको किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता । वस्तुतः वह राष्ट्र की पवित्र धरोहर है । इसकी उर्वरता समाज का धन है । किन्तु इन मध्यस्थों ने कहां तक इस धरोहर को बचाया है ...."

श्री अध्यक्ष--आप उस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं जो इससे संबंध रखती है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं उसी को खोज रहा हूं । उन्होंने कहा कि जमींदारों ने काश्तकारों से जबरदस्ती काम लिया है और बदले में कुछ उनको दिया भी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपा करके, अगर वह तैयार नहीं है, तो बाद में मौका ले सकते हैं ।

श्री राजनारायण--मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कतई, अच्छी तरह से तैयार हूं । उन्होंने बतलाया है ।

कि जमींदारों को मुआविजा नहीं देना चाहिये। इसकी सारी व्यवस्था दी है और आगे चल करके उन्होंने जोर दिया है कि जमींदारों को मुआविजा देने की बात कैसी सोची जा सकती है, जिन्होंने समाज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है।

श्रीमन् फिर आचार्य नरेन्द्र देव जी आगे चलकर क्या कहते हैं उसका यही अर्थ होता है कि जहां तक १९३५ के विधान की धारायें हैं उसमें एक सेक्शन को उन्होंने कोट किया है २९९ धारा। उसके बारे में वह कहते हैं कि इस धारा से हो सकता है कि सरकार के रास्ते में कुछ दिक्कतें पैदा होती हों तो उससे अगर मुआविजा देना सरकार के लिये जरूरी होता है जमींदारी तोड़ी जाने के लिये तो सरकार कम से कम मुआविजा देकर नामिनल मुआविजा देकर जमींदारी अविलम्ब तोड़े, हम इसको पसन्द करते हैं। यह बात वह कहते हैं। तो इस तरीके से एक विकृत स्वरूप देकर ट्रेजरी बेंचेज के लोगों की जो चीजों को रखने की परिपाटी शुरू हो गई है मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य गण आगे इस तरह की कुचेष्टा न किया करें वरना किसी महा पुरुष की जो सच्ची मनोवृत्ति होती है उसका उद्घाटन नहीं हो सकता और भ्रम पैदा हो सकता है। तो श्रीमन् अब मैं समझता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों के ज्ञान चक्षु खुल गये होंगे। आचार्य नरेन्द्र देव जी के संबंध में अगर उन्हें और आशंका हो और जानना हो कि वह जमींदारी के संबंध में क्या भाव रखते हैं तो उनकी खिदमत में मैं यह पुस्तिका भी समर्पित कर सकता हूं।

श्रीमन् मैं आपके जरिये अपनी क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें क्या दोष है इसको ट्रेजरी बेंचेज के किसी सदस्य ने अभी तक सदन के सामने नहीं रखा। माननीय रामनारायण जी ने बहुत ही सफाई के साथ इस बात को स्पष्ट कर दिया कि क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग जिस तरह से बम्बई में है अगर वही तरीका यहां पर भी अख्तियार किया जायगा तो भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले लोग अपना प्रतिनिधित्व किसी भी कमेटी के अन्दर ठीक प्रकार से करा सकेंगे और किसी भी कमेटी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये जहां पर कि मेजारिटी पार्टी की आवश्यकता होती है वहां पर माइनारिटी पार्टी की भी आवश्यकता होती है। श्रीमन् मैंने तो बहुत ही सफाई के साथ कह दिया था और मैं उसको इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि जहां पर गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ (कार्य) और (फंक्शंस कर्तव्य) होते हैं वहां पर विरोधियों की ड्यूटीज़ और फंक्शंस भी होते हैं। यह मान लेना कि केवल सरकार का ही कर्त्तव्य है और विरोधियों का कर्त्तव्य केवल टीका टिप्पणी करना है मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति से बहुत दूर जाना है। जो लोग इसको नहीं मानते वह डेमाक्रेसी के बुनियादी तत्वों को समझने में गलती करते हैं। श्रीमन् इसलिये मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम नहीं एडाप्ट (अख्तियार) किया जाता तो हमें बतावें माननीय मंत्री महोदय या माननीय मंत्री महोदय के विचार से सहमत और जो भाई हैं कि किस तरह से काम होगा। हमारा देश जो कि अभी बनने जा रहा है वह भिन्न-भिन्न विचारों के आदान-प्रदान से ही बन सकता है। अगर हम कहें कि हम ही इसकी ठेकेदारी ले लेते हैं तमाम विचारों की और तमाम मान्यताओं की और जो हम कहते हैं वही सही है तो हम गलत करते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि आज के वातावरण में आज के युग में जितने भी मत हमारे सामने आते हैं उन तमाम मतों को अच्छी तरह से सोचें, कमेटियों में बैठकर समझें तो अगर यह क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं एडाप्ट किया जाता तो कैसे जो आज भिन्न विचार हैं उन भिन्न-भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व यहां पर हो पायेगा।

श्रीमन् मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के म्युनिसिपल बोर्डों की कार्य प्रणाली को देखें और बम्बई के कारपोरेशन को देखें। आज बम्बई का कारपोरेशन भिन्न-भिन्न मत वालों का जो एक समुच्चय है भिन्न-भिन्न मत वाले जो उस कमेटी के अन्दर बैठकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं उससे कितनी आसानी होती है प्राबलम्स (समस्याओं) को समझने में। मगर आज अभी तक जो सिस्टम था अगर उसी

[श्री राजनारायण]

सिस्टम को माननीय मंत्री जी चलाना चाहते हैं तो उस सिस्टम में इस तरह से मत नहीं स्पष्ट होता, उस पर आदान-प्रदान नहीं होता, और उस पर विचार विनिमय नहीं हो पाता। किसी ने अगर ५१ फीसदी भी अपने वोट कर लिये तो वह अपने तमाम कंडीडेटों को भेजवा सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय अगर वर्तमान जनतांत्रिक प्रणाली को सामने रखना चाहते हैं तो उन्हें क्युमूलेटिव सिस्टम को एडाप्ट करके ही चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो श्रीमन् हम लोग यह नहीं समझ पायेंगे कि किस तरीके की डेमोक्रेसी हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जिस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं तब उस डेमोक्रेसी का केवल यही एक मतलब होता है कि वह सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी (केन्द्रित जनतन्त्र) चाहते हैं। तो श्रीमन्, सेंट्रालाइज्ड डिमोक्रेसी आज इस तरीके से अगर माननीय मंत्री जी चलाना चाहेंगे तो मैं बहुत ही अदब के साथ आपके जरिये माननीय मंत्री जी से बतलाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस भावना को छोड़ दें क्योंकि सेंट्रालाइज्ड डिमोक्रेसी जो है वह डिमोक्रेसी का विकृत स्वरूप है, उल्टा स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। वह डिमोक्रेसी नहीं कही जाती जिस में सारी शक्ति सेंट्रालाइज्ड (केन्द्रित) हो। जनतंत्र के माने होते हैं जब जनता के पास राज्य सत्ता की तमाम शक्ति पहुंचे। स्वराज्य के माने होते हैं जब ऊपर से नियंत्रण करने वाली कोई शक्ति न हो तभी वह सच्चा स्वराज्य और सच्ची स्वाधीनता है। जब हम इस आदर्श को सामने रखते हैं तब हम समझते हैं कि आज देश के अन्दर इस बात की बहुत आवश्यकता है और यह सब बगैर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के नहीं हो सकता है। अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं स्वीकार किया जाता है तो फिर हमारी वही शंकायें बार-बार उत्पन्न होती हैं कि यह सरकार डेमोक्रेसी का यही अर्थ लगाती है कि जो एक बार डेमोक्रेसी के किसी न किसी तरीके से चुन कर आ जाय वह सारी शक्ति को केन्द्रित करने वाले कानून बनावे।

श्रीमन्, आज के युग में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है और डेमोक्रेसी के बारे में पहले समय में जो घपला चलता था वह समाप्त होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सेंट्रेलाइज्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, इन दोनों के अन्तर को माननीय मंत्री जी समझते होंगे। हमारे माननीय मंत्री जी, श्रीमन्, बार-बार कम्युनिस्टों की आलोचना किया करते हैं। तो आखिर आज अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग माननीय मंत्री जी नहीं चलाते हैं तो उनमें और कम्युनिस्टों में क्या फर्क रह जाता है। कम्युनिस्ट भी तो न्यु डेमोक्रेसी और पीपुल्स डेमोक्रेसी के नाम पर सारी शक्ति को केन्द्रित करते हैं। जब माननीय मंत्री जी अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं और भारतीय परम्परा और भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं और बार-बार इन बातों को दोहराते हैं, तो माननीय मंत्री जी को हमारे इस संशोधन को मानने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिये। इसलिये श्रीमन् मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी, क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बढ़ाये जाने की मांग जो संशोधन के जरिये श्री रामनारायण जी ने की है, उस मांग को स्वीकार करें, और आज जो सेंट्रेलाइज्ड डेमोक्रेसी की पद्धति वे अपनाना चाहते हैं उससे बाज आवें।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैंने अपने दोस्त लीडर आफ दि अपोजीशन की तकरीर को गौर से सुनने की कोशिश की कि मैं समझूं कि वह क्या कहते हैं लेकिन सिवाय इसके कि बहुत जोरों से बोलने के और क्यूमुलेटिव वोटिंग कहने के और कुछ मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके उनके हाव भाव पर टीका टिप्पणी न करें।

श्री ऐजाज रसूल—अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार खेर कमेटी और हम लोगों का नाम लिया जाता है। देखना यह चाहिये कि सन् १९३८ में यह खेर कमेटी

बनायी गयी थी और उस वक्त इस सूबे के हालात क्या थे। सन् १९३८ में सेप्रेट एलेक्ट्रेट म्युनिसिपैलिटीज व दीगर बाडीज में था। जब कि खेर कमेटी बनी तो उस वक्त यह कोशिश की जा रही थी कि कोई ऐग्रीड सल्यूशन निकल आये। उस वक्त मुस्लिम लीग पार्टी की डिमांड यह थी कि सेप्रेट एलेक्ट्रेट किया जाय और कांग्रेस और दीगर पार्टियां यह कहती थीं कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हो, लेकिन बावजूद कोशिशों के कोई इत्तिफाक राय नहीं हो सकी। तो उस वक्त मजबूरी में कांग्रेस ने यह कहा कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हम चाहते थे लेकिन मुसलमानों का ख्याल करते हुये हम क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रायज करना चाहते हैं। अब सन् १९५२ में हालात बिलकुल बदल गये हैं। इधर जो हमारे एलेक्शन्स हुए वह सिर्फ ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट विद नो रिजर्वेशन आफ मुस्लिम सीट्स की बिना पर हुये। हमारा पहला अमेंडमेंट सन् १९४५ में आया था और उस वक्त मुस्लिम लीग पार्टी ने यह कहा कि जब विधान में ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हो गया है, सीट्स का रिजरवेशन नहीं रहा है, तो म्युनिसिपल एलेक्शन्स में भी मुसलमानों के लिये रिजरवेशन आफ सीट्स न रहें। लेकिन उस वक्त किसी मसलहत की वजह से गवर्नमेंट ने नहीं माना और रिजरवेशन आफ सीट्स रखा। तो अब आप यह देखिये कि अब इस वक्त मुस्लिम रिजरवेशन बिल्कुल हटा दिया गया है। हम लोग इस मसले पर बहुत खुश हैं क्योंकि हम चाहते थे कि प्योर और सिम्पिल ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट हो। अभी असेम्बली में और दीगर लेजिस्लेचर्स में जहां एलेक्शन्स हुये हैं वहां भी कोई चीज मुसलमानों के लिये नहीं रखी गई। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि प्योर और अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी चले तो ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट होना चाहिये। क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग या और कोई तरीका नहीं होना चाहिये। आप इंगलैंड की डेमोक्रेसी देखिये, आप बम्बई कारपोरेशन की मिसाल ले आये हैं, वहां मेजारिटी आफ वोट्स के ऊपर फैसला होता है। अगर किसी के ५१ वोट पड़ गये तो वह मेम्बर हो जाता है। तो अगर यही सूरत यहां रखी गई है तो मुझे अफसोस है कि मेम्बर साहब क्यों एतराज करते हैं और चाहते हैं कि क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखी जाय जब कि हर शख्स आसानी से ज्वाइंट एलेक्टोरेट पर फैसला कर सकता है। तो अब आप यह देखिये कि अगर वार्डस बनें तो वहां जाहिल लोग होंगे और वे क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को समझते नहीं हैं जैसा कि कहा गया है कि प्लूरल मेम्बर की सीट्स की जाय और तीन से सात तक एक वार्ड रखा जाय तो जाहिल आदमी क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को क्या समझ सकते हैं कि हम को कितने वोट देने हैं और किस को देने हैं और किस सूरत से काम करना है, यह उन के लिये बिल्कुल नामुमकिन हो जायगा। इसलिये ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट सिम्पिल और प्योर होना चाहिये ताकि हर शख्स समझ सके और वोट दिये जा सकें और अगर आपने यह क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखा तो मुझे अफसोस है कि अभी हमारे मुल्क में और हमारे सूबे में तालीम इतनी फैली नहीं है और इसके समझने में बड़ी दिक्कत होगी। आसान तो यही है कि अगर फर्ज कर लीजिये कि किसी वार्ड में तीन मेम्बर हैं और तीन को वोट देना चाहते हैं तो उनके नाम मालूम हो जायेंगे कि फलां फलां को देना है, मुहल्ले के आदमी होंगे वे आसानी से वोट दे सकेंगे। अगर इसमें क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर काम किया गया तो वोटिंग ठीक नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि मेम्बर साहब पहले एलेक्टोरेट को समझने की कोशिश करें कि किस सूरत से वोटिंग होती है और किस सूरत से काम होता है तब आप क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर जोर दीजिये। इससे पहले के ऐक्ट में आप दफा ११ को देखिये, उसमें लिखा है कि तीन मेम्बर के वार्ड हों और सात तक वार्ड बन सकते हैं।

इस ऐक्ट में अभी कोई सिस्टम आफ वोटिंग का इजहार नहीं किया गया है। आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है १२ ए में कि इसकी बाबत रूल्स बनाये जायेंगे। जिस वक्त रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्त जो आपकी तजवीज है उसपर भी गवर्नमेंट जरूर ख्याल करेगी लेकिन इस वक्त हाउस को पिन डाउन कर देना और यह कह देना कि क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग हो यह मुश्किल बात है क्योंकि इस मसले पर अभी गौर नहीं

[श्री ऐजाज रसूल]

किया गया है। जिस वक्त कि रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्त अगर आप कहें तो मैं भी आप के साथ चलूंगा और कहूंगा कि भाई क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग कैसे होता है और वह समझ में आने के बाद अगर वह वोट कर सकेगें तो क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर जोर दीजियेगा, वरना सिवाय इसके कि वोट जाया होंगे और लोगों की समझ में नहीं आयेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिये मैं मेम्बर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर गौर करलें और अपनी तजवीज वापिस कर लें और जिस वक्त कि रूल्स बनाये जायं, उस वक्त इस मसले को आप पेश करें।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहस जो इस समय सदन के सामने है वह एक सैद्धांतिक बहस भी है और व्यावहारिक भी है। सिद्धांत इसमें यह है कि माइनारिटीज को रक्षा किस तरह दी जाय। जैसा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री जगन्नाथबख्श जी ने कहा कि जब माइनारिटी का प्रश्न हम राजनीतिक पार्टी को लेकर करते हैं तो यह क्या गारंटी है कि वह माइनारिटी केवल राजनैतिक माइनारिटी तक ही महदूद रह जायगी। आज जिस तरह का वायुमंडल है उसके देखने से मालूम यह होता है कि यह चीज कितनी ही बुरी हो लेकिन वास्तविकता यह है कि आज हमारे नगरों में जहां कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव होगा बिरादरी का भी काफी जोर है और जब पोलिटिकल माइनारिटी की रक्षा करने में हम किसी बात को पेश करें तो उस वक्त हमको इस बात का भी ख्याल करना चाहिये कि जो वास्तविकता है उससे हम बहुत दूर न चले जायं। अगर इसका यह नतीजा हुआ कि बिरादरी वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में ब्राह्मण ने ब्राह्मण को, बनिये ने बनिये को, कायस्थ ने कायस्थ को, अन्सार ने अन्सार को, शेख ने शेख को और सैयद ने सैयद को वोट देना शुरू किया और यह सोचना कि क्यु मुलेटिव ओटिंग से हम कम से कम अपनी बिरादरी का एक आदमी तो करा ही देंगे तो उससे बड़ा खतरा पैदा तो हो जायगा। हमारे देश में जो इस वक्त डिसरप्टिव फोर्सेज हैं उनमें कम से कम हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा दुश्मन इस समय जातिवाद है। प्रान्तीयता हमारे यहां नहीं है, उसका हमें फख्र है और उसके लिये हमको दूसरे लोग भी आदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जातीयता हमारे प्रान्त में बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें आगे दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। चुनाव में यह चीज ज्यादा बढ़ती है और अगर म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में हमारी किसी गलती से इस चीज को शक्ति मिली, प्रोत्साहन मिला तो हम आगे चलने के बजाय पीछे हट जायेंगे, हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम इस बात का विचार करें कि क्युमुलेटिव वोटिंग को हम माइनारिटी को प्रोटेक्ट करने के लिये करते हैं उससे अगर कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रदेश के लिये खतरा हो जायगा।

बहुत सी बातें यहां कही गयीं, बाम्बे कारपोरेशन की दुहाई दी गयी। बाम्बे कारपोरेशन ऐक्ट सन् १८८८ में बना था और उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का प्राविजन ऐक्ट में खुद था। बहुत अच्छा है, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं। जहां तक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है, बाम्बे कारपोरेशन के प्रबन्ध का सवाल है वह हमारे देश के बहुत थोड़े शहर अगर अच्छे गिने जायं उनमें बाम्बे का म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जब कारपोरेशन बिल इस सदन के सामने आयेगा तब मैं निवेदन करूंगा कि क्या क्या कारण है उसको अच्छा बनाने के लिये। इस समय उस बात को उठा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि अभी मुझ से पहले नवाब ऐजाज रसूल साहब ने फरमाया कि जब क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग खेर कमेटी ने माना था तो उसका बैकग्राउन्ड कम्युनल था, दो चीजों को मिलाने की बात थी। एक तरफ मुस्लिम लीग के सेपरेट एलेक्टोरेट और रेजरवेशन आफ सीट्स को और इधर डेमोक्रेटिक फार्म आफ़

गवर्नमेंट को विदाउट एनी रेजरवेशन ऐंड ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट इन दोनों को मिला कर एक चीज की गयी थी क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग। उसी की ध्वनि बाम्बे से भी टपकती है। इन सदन के सदस्यों को यह पता होगा कि बाम्बे में बहुत दिनों तक यह कनवेन्शन रहा कि मेयर एक साल पारसी होगा, दूसरे साल मुस्लिम होगा और तीसरे साल हिन्दू होगा। उसकी बैकग्राउन्ड थी कम्युनल। इससे हम दूर नहीं जा सकते। अगर बाम्बे का ऐड-मिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो सिर्फ इस बात से कि क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग है, नहीं कहा जा सकता है। उसके और कारण हैं और यह हो सकता है कि क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बावजूद भी बाम्बे कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा हो। और यह उसमें रुकावट डालता हो। इसलिये इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। बाम्बे कारपोरेशन को एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मान कर जिन मित्रों ने इस बात को यहां रखा है वह इस बात को नहीं भूलेंगे और जब कारपोरेशन बिल आयगा तो जो वहां की अच्छी अच्छी बातें हैं उनको उसमें लेने में कोई ऐतराज नहीं होगा।

इसी बम्बई प्रदेश ने जब सन् १८८८ ई० में कानून बनाया तो उनके यहां क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग मौजूद था और बाम्बे का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चलता था लेकिन उसके बावजूद भी १९४९ में जब ऐक्ट बना जो बम्बई प्रान्त के कारपोरेशन के लिये था और उसका उद्देश्य था कि अहमदाबाद और पूना वगैरा दूसरे नगरों में कारपोरेशन बनाने का। तब उसमें क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं रखा गया। दी मोड आफ वोटिंग ऐंड दी फार्म आफ बैलट पेपर्स उस फार्म में नहीं रखे जब बम्बई प्रदेश ने दूसरे नगरों के लिये कारपोरेशन बनाने के लिये ऐक्ट १९४९ में बनाया था। यह चीज इंगलैंड में १८७० से १९०२ तक स्कूल बोर्डस के लिये थी लेकिन बाद में इसके डिफेक्टस सामने आये और इस चीज को छोड़ दिया गया। आज इन्गलैंड में कहीं भी यह चीज नहीं है आज संसार के जितने भी इम्पोरटेंट कंट्रीज हैं उनमें कहीं भी यह चीज नहीं है क्योंकि संसार को आज इसकी खराबियां मालूम हो गई हैं। सब से बड़ी खराबी तो यह है कि जब हम मायनोरिटीज के प्रोटेक्शन की बात कहते हैं तो चाहे मायनोरिटीज का प्रोटेक्शन हो या न हो लेकिन कभी कभी मेजोरिटी खतरे में पड़ जाती है। कभी कभी इस प्रकार से वोटिंग हो सकता है कि हम मायनोरिटी के प्रोटेक्शन की बात कहकर मेजारिटी को मायनोरिटी में परिवर्तित कर दें।

मैं मिसाल के लिये कहता हूं कि मान लीजिये साढे चार हजार वोटर्स हैं और उनमें तीन सीट्स हैं। वह तीन सीट्स में बंटे और मान लीजिये ९ आदमी खड़े हुये तो अगर १,५०० आदमी इस तरह से वोटिंग करते हैं कि ५००,५०० आदमी एक एक तीनों को वोट दे देते हैं और बाकी आदमी एक हजार वोट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम तरीके से दें तब भी १,००० वोट्स पाने वाले अधिकारी नहीं चुने जायेंगे। चुने वह जायेंगे जिनको ५००,५०० आदमियों का कांफीडेंस हासिल है और एक हजार आदमियों के कांफीडेंस वाले आदमी नहीं चुने जायेंगे। इसलिये जब १५०० आदमी वोट्स करें इस ४,५०० की आबादी में तो वह तीनों सीट्स ले लेंगे और तीन हजार आदमी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम से वोट्स देते हैं और वह यह कहते हैं कि जब हमें तीन आदमी भेजने हैं तो अच्छे आदमी क्यों न भेजें। इस तरह से वह एक भी सीट्स नहीं पाते हैं और वह तीनों सीट पा लेते हैं जिनको १५०० आदमी वोट्स देते हैं। इसलिये इसमें बहुत से डिफैक्ट्स हैं। माननीय जगन्नाथ मल्लजी ने दो एक बातें और कहीं थीं। उन्होंने कहा था कि परचेजिंग आफ वोट्स हो सकती है इससे अनडिजायरेबिल आदमी आ सकते हैं जो गलत आदमी है और जिनकी हिम्मत नहीं है कि वह डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम आफ वोट्स में खड़े हो सकें। वह थोड़े से आदमियों को क्युमुलेटिव वोटिंग हासिल कर के धौंस से, दबाव से परचेज करके वोट हासिल कर लें और वह म्युनिसिपैलिटी में आकर बैठ जायं और भले आदमी इससे पीछे रह सकते हैं। इससे नतीजा यह होगा कि वहां लाइफ बिल्कुल बिगड़ जायगी क्योंकि

[श्री मोहनलाल गौतम]

हर एक आदमी को यह ख्याल होता है कि हम जिनके वोट्स से चुने गये हैं हमें उनको खुश रखना है ताकि दुबारा चुने जायं। खुश करने के लिये लार्जेस्ट नम्बर आफ वोट्स को हासिल करने की जरूरत नहीं है। थोड़े से वोट्स को लेकर उनको मल्टीपिल कर दो और जितनी सीट्स हैं उतने आदमी आ जायं तो म्युनिसिपैलिटी में आकर वह यह कहेंगे कि हम तो ब्राह्मणों के वोट से चुने गये हैं उन्हीं के इंट्रेस्ट्स को हम देखेंगे। जब उनकी नौकरी का सवाल आयेगा तो ब्राह्मण ही रखे जायेंगे चाहे काबिल हों या न हों। किसी दूसरे को वह कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब कि वह ब्राह्मणों के वोट से आये हैं और उनको उन्हें खुश रखना है। इस तरह से वह ब्राह्मण कैंडीडेट्स को सही और गलत तरीके से सपोर्ट करेंगे और इस बात पर झगड़ा करते हैं और यहां तक कि चेयरमैन के खिलाफ नो कांफिडेंस मोशन ले आते हैं।

ब्राह्मण का लफ्ज मैं इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैंने खुद ब्राह्मणों में जन्म लिया ताकि कोई बुरा न माने। ब्राह्मण वहां चाहे चोरी करे, बेईमानी करे, ग़बन करे उसको प्रोटेक्ट किया जायगा। इस तरह से वहां सिविक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। उनको इस बात का खयाल नहीं रहेगा कि शहर अच्छा बने या बुरा, उनकी इस बात की कोशिश होगी कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनको उन्हें खुश रखना है, इससे सिविक लाइफ तबाह हो जायगी, मुसीबत हो जायगी और जिस चीज को आप तमाम अपोजीशन के मेम्बर यह कहते हैं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की होनी चाहिये मैं यह बतलाता हूं कि इसके अनुसार म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उन्नति नहीं करेगा, अवनति करेगा और मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि जो लोग मायनारिटी के नाम पर आज इस तरह की चीजें कांस्टीटयूशन में दर्ज कराना चाहते हैं मैं उनको कहता हूं कि वे यह क्यों समझ लेते हैं कि वे हमेशा मायनारिटी में रहेंगे, वे भी कभी मेजारिटी में आ सकते हैं और जो चीज इस वक्त मेजारिटी के फायदे के लिये है वह चीज उस वक्त उनके लिये फायदे की हो जायगी जब वह मेजारिटी में आयेंगे। क्या कोई पोलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई चीज लेजिस्लेचर में पेश कर सकती है कि वह हमेशा मायनारिटी में रहेंगे? वह ग़लत मेनटेलिटी होगी, इस तरह से ग़लत लेजिस्लेशन होगा और जो चीजें आयेंगी वे सही नहीं होंगी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की चीजें स्थायी रूप में एडमिनिस्ट्रेशन में लाकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने की तरफ न जाकर हमारी मदद करें और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की उन्नति में जो जो बातें हों उन्हें मंजूर करें। हम सब मिल कर उसे सुधारने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं यह अमेंडमेंट मंजूर नहीं कर सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अब क्लोजर मूव करने की अनुमति दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अभी एक भाषण इधर से और एक उधर से हुआ है। एक आध भाषण और होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष—एक दो भाषण और होंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने इस सिस्टम से जो बहुत से नुकसान होंगे उनको बतला दिया है और उनको मैं इस हाउस के सामने दुबारा लाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इससे नतीजा निकालिये कि हमारे माननीय सदस्य ऐजाज रसूल ने यह कहा कि तब समय दूसरा था और अब समय बदल गया है। समय बदलना कुछ इससे भी मालूम होता है कि ऐजाज रसूल साहब एक पार्टी को छोड़ कर

दूसरी पार्टी में चले गये हैं। इसलिये भी यह जरूरी है कि इस तरीके को जिससे हमारे मुल्क के अन्दर कोई झगड़ा पैदा हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। इसी वजह से हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। इस तरीके से हर पार्टी अपने को पोलिटिकल पार्टी कह कर हर सिद्धान्त को लेकर उसमें आजायगी। इस तरह की गुंजायश रखने से कम्युनल बेसिस पर पार्टी बना कर वहां आ जायगी और फिर वही झगड़ा पैदा होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस तरीके की मनोवृत्ति को बन्द होना चाहिये और बल्कि जो इस तरह से कहे उसके ऊपर जुर्म होना चाहिये। जैसा कि श्री सुल्तान आलम खां ने अपने भाषण में इस सिस्टम को सपोर्ट किया है मैं यह समझता हूं कि वह पार्टी बदल चुके हैं और कांग्रेस में आ गये हैं जो कि सेक्युलरिटी को मानती है लेकिन फिर भी वह इस तरह की बात कहते हैं।

श्री ऐजाज रसूल ने इसके लिये सजेशन दिया और कहा कि कमेटी स्टेज में यह होना चाहिये था। मैं तो गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी चीजों के लिये उसको साफ कह देना चाहिये कि हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह चीजें आगे चल कर मुल्क के लिये नुक़सानदेह साबित होंगी। चाहे यह बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे लेकिन साफ और स्पष्ट तरीके से इसको कह देना चाहिये। हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी है वह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को मानती है। इस कारण वह जनता में जाये और उसको समझाये। मैं तो यह समझता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट के लिये भी जो रिजरवेशन रखा गया है उससे जनरल एलेक्शन के जमाने में काफी झगड़ा पैदा हुआ था। उनके लिये जो १० साल का रिजरवेशन रखा गया है वह मियाद भी बहुत ज्यादा है और इससे बहुत ख़तरे पैदा हो रहे हैं। इससे एक वर्ग निकल रहा है जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। जब आज कल की दुनिया आगे बढ़ रही है तो इस जाति पांति को मानना किसी तरह से उचित नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे वर्गवाद पैदा होगा और फिर कई वर्ग इसमें से निकलते जायंगे। इसलिये इस प्रकार का संशोधन पेश करना किसी तरह से भी उचित नहीं हो सकता। सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धान्त तो बहुत ऊंचा है और मैं तो यह कहता हूं कि कई बातों में वह कांग्रेस से भी आगे हैं। उनको इस सिस्टम को नहीं मानना चाहिये और इस तरह की मनोवृत्ति जनता के अन्दर पैदा करना उचित नहीं होगा। मैं इस प्रस्ताव के मूवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह मेरी इस बात को उचित समझते हैं तो इस संशोधन को वापस ले लें। मैं आपके जरिये से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि हम इस प्रकार के सिस्टम को या और कोई सिस्टम जो इस तरह का होगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार न किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में जो विवाद हुआ उसमें दो पहलू सामने आये। एक तो सैद्धान्तिक और दूसरा जो बहुत जरूरी नहीं था लेकिन उठाया गया। अब और कोई सदस्य तो इसका जवाब नहीं दे सकता है मुझे ही इसका जवाब देने का अवसर है। जो सिद्धान्त की बहस यहां पर उठाई गई स्वशासन मंत्री जी ने उसको कबूल किया कि यह जो संशोधन है एक उसूल को लेकर है लेकिन उसमें एक गलतफहमी जो माननीय सदस्यों को हुई वह यह कि बाराबंकी के माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो कम्युनल माइनारिटी के प्रोटेक्शन की बात हो जाती है। मैं यह समझता हूं कि जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है यह एक ऐसी संस्था है कि जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की जिम्मेदारी चेयरमैन और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसके सदस्यों पर होती है। और पोलिटिकल माइनारिटीज का रिप्रिजेन्टेशन हो सके और पारस्परिक सहयोग से काम हो इसलिये मैंने यह बात कही। मैं जानता था कि इस तरह की गलतफहमी हो सकती है। कम्यूनल माइनारिटीज का प्रोटेक्शन तो कोई भी नहीं चाहता न हम ही चाहते हैं। इस स्पष्ट बात के होते हुए भी माननीय मंत्री जी की ओर से और माननीय सदस्य बाराबंकी की ओर से दलील दी गई कि हमारी मन्शा कितनी ही साफ हो लेकिन उसमें यह डर है कि कम्यूनल माइनारिटीज का प्रोटेक्शन हो जायगा। हो सकता है कि इस बात में काफी वजन हो और मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्य इस पर ग़ौर करें कि क्या यह खतरा क्युमुलेटिव सिस्टम की वजह से ही पैदा होगा और क्या यह खतरा मौजूदा सिस्टम में नहीं हो सकता।

हमारे बाराबंकी के सदस्य ने कहा कि इससे वोटों के खरीदने की प्रथा चल जायगी, और अगर ३ मेम्बरों की कांस्टीटुएंसी है तो एक वोटर का वोट खरीद लेने से ही ३ वोट मिल जायंगे, इस तरह से वोट खरीद कर लोग चुने जायंगे और उनको आसानी होगी। यह तो एक तरह से उन्होंने सरकार का प्रबन्ध पर लांछन लगाया है। परन्तु जब हम कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम खराब है तब कहा जाता है कि विरोधी दल वालों ने चुनाव की प्रणाली पर ग़लत आपत्ति उठायी है। दूसरी बात यह है कि क्या आप मौजूदा प्रणाली से सेकटेरियेनिज्म को रोक सकते हैं? इस प्रणाली में यह है कि प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी में हर मेम्बर के उतने ही वोट होंगे जितने कि उस वोर्ड में सदस्य है और वह एक वोट एक ही उम्मीदवार को दे सकता है, इसमें लाजमी नहीं है कि वह हर वोट अलग-अलग मेम्बरों को ही। सब लोग जानते हैं कि बम्बई में डाक्टर अम्बेदकर, श्री अशोक मेहता और श्री डांगे के मामले में क्या हुआ। डांगे ने कहा कि तुमको अधिकार है अलग अलग वोट देने का लेकिन तुम सब वोट मुझे ही दो। नतीजा यह हुआ कि उसके समर्थकों का दूसरा वोट बेकार चला गया तो वह तो सिस्टम का दोष नहीं है। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है मैं जानता हूं कि वह उठ सकता है लेकिन जो मौजूदा चुनाव प्रणाली है उसमें भी कोई इस बात से बच नहीं सकता और इसका एक ही इलाज है जैसा कि होम्योपैथिक डाक्टर करते हैं कि बीमारी को एग्रेवेट किया जाय और तब इलाज किया जाय चूंकि इस देश में जातिवाद की बीमारी उभर चुकी है और पिछले चुनाव में भी इसका काफी सहारा लिया गया था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातिवाद का सहारा लिया गया और उसकी बिना पर वोट भी लिए गए थे। इसमें डिजायरेबिल या अनडिजायरेबिल होने की बात अलग है। उसका इलाज यही है, चाहे यह मान लें कि कोई वोट खरीदे जा सकते हैं, तो साथ ही पैसा देकर यह भी कहा जा सकता है कि सब वोट मुझे ही दे दो, किसी को तीनों वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वह एक ही में या २ में या ३ में डाल सकता है। अगर, मान लीजिये, किसी वार्ड में ब्राह्मण जाति के कुछ मेम्बर हैं, ३४ परसेंट। अगर सरकार का यह ख्याल है कि अगर डिस्ट्रिब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग है तो ५१ परसेंट जब उनको मत प्राप्त होगा तभी वे चुने जा सकते हैं, यह ख्याल उनका मैं कहता हूं कि ग़लत है। अगर ब्राह्मण लोग होशियारी से इस बात की कोशिश करें कि अपने तीनों वोट उस ब्राह्मण कैंडिडेट के डिब्बे में ही डाल दें तो वह जरूर चुना जायगा। इससे जातिवाद जरूर बढ़ने का खतरा है लेकिन यह नुक्स तो दोनों सिस्टम्स आफ़ वोटिंग में हैं। हम भी इस जातिवाद को बुरा मानते हैं। सैकटेरियनिज्म और कम्यूनलिज्म के हम भी बिल्कुल विरुद्ध हैं। लेकिन जो आशंका आपको है वह हमको नहीं है। उस रोग का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत बड़ी परसेंटेज में वह मर चुका है। बाक़ी के लिये कुछ थोड़ा समय लगेगा। परन्तु उसका सारा दोष क्यूमूलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर डालना ग़लत है। यह डिफैक्ट तो दोनों सिस्टम में है। क्यूम्यूलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग में माइनारिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। माननीय

स्वशासन मंत्री ने यह ठीक कहा है कि हमारी पार्टी यह क्यों समझती है कि हम हमेशा ही माइनारिटी में रहेंगे। यह हम नहीं मानते कि हम हमेशा ही माइनारिटी में रहेंगे। हम तो यह मानते हैं कि कभी न कभी वह समय भी आवेगा जब कि हम उधर और सरकारी दल इधर होंगे। मैं हाउस में कोई बिटरनैस पैदा करना नहीं चाहता। लेकिन हम एक सिद्धान्त को मानते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप अध्यक्ष को एड्रैस करके भाषण करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां। कल हमारी हुकूमत आने वाली है माननीय स्वशासन मंत्री जी की दलील को मानते हुये हम यह जरूर चाहेंगे कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के जरिये यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मेरी बात ठीक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि वह कुछ अरिथमेटिक की ग़लती कर गये हैं। उन्होंने कहा कि मानो कि किसी जगह ४,५०० वोटर हैं और १,५०० वोटर एक उम्मीदवार को वोट देने वाले हों और यदि वे काशसली काम करें और तीनों वोट एक ही को दें तो नतीजा यह होगा कि पोलीटिकल मैजारिटी माइनारीटी में तब्दील हो जायगी।

श्री मोहन लाल गौतम---बजाय इसके कि आप सदन का और समय लें, मैंने यह कहा कि १,५०० आदमी अगर तीन हिस्सों में बंट जावें, ५०० के तीन क्यूम्यूलेटिव वोट्स दे दें और १,५०० वोट तीन में बंट जावें तो जो बाकी वोट्स हैं सब को १, १ हजार वोट्स मिलें, तब १,५०० के तीन आदमी हो जावेंगे और बाकी ३,००० का एक आदमी भी नहीं होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जब माननीय मंत्री जी यह मानते हैं कि ४,५०० वोटर में अगर १,५०० वोटर काँशसली वोट दें तो वहां ३,००० वोटरों के ९,००० वोट बाकी रह जाते हैं। इसलिये यह प्रश्न उठता ही नहीं कि कोई मैजारिटी माइनारिटी में बदल जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी उस ग़लती को दुरुस्त कर लें। यह बात बिल्कुल ही ग़लत मालूम होती है कि किसी भी हालत में इस सिस्टम आफ वोटिंग से कोई भी पोलीटिकल मैजारिटी माइनारिटी में बदल जाय। यह असम्भव है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जाहिल लोग क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उन जाहिल लोगों से यह तो उम्मीद करती है कि अगर ५ मेम्बरों को वोट देना हो और ५ पोलिटिकल पार्टीज हों जिनके २५ उम्मीदवार हों अगर ११ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हों, इस तरह से ३६ उम्मीदवारों को लम्बी लिस्ट को याद करके डिस्टिंग्विश करके...

श्री सुल्तान आलम खां---आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं अर्ज कर रहा था कि चेयर इस तरफ है, उस तरफ नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी गलती कबूल करता हूं और इस सलाह के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। तो सवाल यह है कि जाहिल लोग क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन हमारी सरकार यह समझती है कि वे ३६ उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम याद करके और उसमें से डिस्टिंग्विश करके ५ उम्मीदवारों को वोट दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि यह सिस्टम ऐसा है कि अगर उनको इतना बतला दिया जाय कि तुम्हारे उम्मीदवार का यह कलर है या यह सिम्बल है और तुम जिसको चाहते हो अपना वोट दो तो वह बहुत आसानी से वोट दे सकेगा। यह बात बहुत आसान है बजाय इसके कि वह ३६ आदमियों की एक लम्बी लिस्ट को टैकल करे। साथ ही साथ उससे सीकरेसी आफ बैलट

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

की गारण्टी भी हो जायगी। आज कल जो मौजूदा सिस्टम है और जब कि ८५ प्रतिशत मतदाता अशिक्षित हैं तो म्युनिसिपैलिटीज के वोट में सीकरेसी आफ बैलट की गारन्टी नहीं होती है। और वोटरों को पोलिटिकल पार्टी या इनडिवीजुअल कंडिडेट के एजेंटों के सामने यह बतलाना पड़ेगा कि वे किसको वोट देना चाहते हैं। इसके सिवा उनके लिये कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज कल भी यह कायदा है कि पोलिटिकल पार्टीज थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अपने एजेण्ट को बदल सकती हैं, और बदलती हैं। तो इससे आशंका है कि बार-बार इनफ्लुएंशियल आदमियों को एजेन्ट कि हैसियत से पोलिंग बूथ पर बैठा कर ८५ प्रतिशत मदताता किसी तरह फ्री ऐण्ड फेयर एलेक्शन नहीं कर सकेंगे। इस तरह से सारा एलेक्शन ही फार्स हो जाता है। जिस प्रणाली में ८५ प्रतिशत मतदाताओं की सीकरेसी आफ बैलट की गारंटी नहीं है और बाकी जो १५ प्रतिशत बचते हैं वे किसी तरह से जाकर अपना वोट दे सकते हैं। उस से यह क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का जो नियम है यह बहुत ही बेहतर है। मतदाता जिस उम्मीदवार को चाहें अपना सारा वोट दे दें या न चाहें तो न दें। इसमें सीकरेसी आफ बैलट की भी गारण्टी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बात बड़े जोरदार शब्दों में कही कि बम्बई का १,८८८ का म्युनिसिपल ऐक्ट जो है उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का प्रोविजन है लेकिन १९४९ का जो ऐक्ट बना है उसमें इसका प्रोविजन नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को तो जानते ही हैं कि हो सकता है कि वहाँ जहां रूल्स में कोई प्रोविजन हो, और मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी मुझे आश्वासन दे दें कि रूल्स में इसका प्राविजन कर दिया जायगा तो इससे मुझे कतई इनकार नहीं है। माननीय सदस्य जो कुछ भी इन चुनावों से दिलचस्पी रखते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछला जो चुनाव बम्बई कारपोरेशन का हुआ, मौजूदा कांग्रेस सरकार के जमाने में वह भी क्युमुलेटिव सिस्टम और वोटिंग के जरिये ही हुआ। अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी हमें आश्वासन दें और आन दि फ्लोर आफ दि हाउस डिक्लेअर करें कि हम रूल्स में इस चीज को कर देंगे तो मैं....

श्री अध्यक्ष—इसमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है। १९४९ का ऐक्ट दूसरी चीज है। वह बम्बई पर लागू नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि पिछला चुनाव जो किया गया था वह क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के नियम से ही किया गया था पहले की जो प्रणाली है वह सुन्दर प्रणाली तो है लेकिन उससे जाति पांति का खतरा है इसलिये उसे न माना जाय। इससे पोलिटिकल पार्टियों की अयोग्यता का प्रदर्शन होता है। क्या हमारे सिद्धांतों में और हमारे उसूलों में बल नहीं है कि जातपात और सेक्टोरियनिज्म को यहां से उखाड़ फेंके और जनता को अच्छे सिद्धांतों की ओर ले जा सकें। कांग्रेस दल है और दूसरी पार्टियां हैं और हम ही वह लोग हैं जो इस मनोवैज्ञानिक शक्ति को फैनलाइज करके इसकी डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं। वह तो हमारा दोष है सिस्टम आफ वोटिंग का दोष नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी इस माने में अवश्य सफल होगी कि जल्द से जल्द हिन्दुस्तान से कम्युनलिज्म को निकाल सके और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने भी यही सिद्धांत रखा है और इसका मुझे भी फख्र है कि इस ओर उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसको जो कामयाबी मिली है वह श्रेयस्कर है। इसलिये यह बात निर्विवाद है कि यह सिद्धांत की चीज है और इसमें पोलिटिकल माइनारिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। इसमें कोई खतरा नहीं है और अगर खतरा है तो मौजूदा सिस्टम जो बिल में रखा गया है उसमें भी है और इसलिये स्वशासन मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस निर्दोष संशोधन को जरूर मानलें।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष, महोदय, वैसे तो मैं और ज्यादा कहने की जरूरत महसूस नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मैं अपने अरिथमेटिक के सवाल को समझा नहीं पाया और यह ख्याल हुआ कि मेरी अरिथमेटिक गलत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसपर फिर विचार कर लें। ४५ सौ वोट्स हैं और तीन मेम्बरों की कांस्टीट्यूंसी है। अब हर एक वोटर के तीन-तीन वोट्स हैं। इसलिये सबको मिलाकर कुल १३ हजार पांच सौ वोट्स हुये। अब १३, हजार पांच सौ वोट्स जो होंगे, इनमें १२ कैंडीडेट्स खड़े हुये और १२ कैंडीडेट्स में से तीन-तीन को पांच पांच सौ वोट्स क्युमुलेट करके पांच पांच सौ आदमियों के १५, १५ सौ वोट मिल गये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि इस पर अधिक बहस न हो। यह अरिथमेटिक की चीज है। यह क्वेश्चन अन्डरस्टैंडिंग का है बहस का नहीं है। यह उनकी अरिथ-मेटिक है और वह उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे।

श्री मोहन लाल गौतम---मैंने निवेदन किया था कि ४ हजार पांच सौ वोटर्स हैं जिनके तीन-तीन वोट्स मिलकर १३ हजार पांच सौ वोट्स हुये और हर एक पांच सौ के तीन ग्रूप्स ऐसे हैं जो अपने को क्यूमुलेट करके १५ सौ वोट्स इकट्ठा करके तीन आदमियों को दिये तो ४ हजार पांच सौ वोट्स तो खत्म हुये। बाकी रहा ९ हजार वोट्स, १३ हजार पांच सौ वोट्स में से। अब इन ९ हजार वोटों को बाकी जो उम्मीदवार हैं उनमें किस तरह बांट लिया जाय। मैंने अन्दाज एक एक हजार का बता दिया लेकिन यह आपकी मर्जी है कि आप अपनी अपनी तसवीरें अलग-अलग बना सकते हैं। और इस तरह से उतने ही आदमी चुने जायेंगे जिनको पांच सौ आदमियों ने चुना है। यह सीधी-सादी अरिथमेटिक है। मैं निवेदन करूं कि इसकी तसवीरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं लेकिन इस अरिथमेटिक में गलती की गुंजाइश कहीं नहीं है। इसलिये इस बात में भी शक करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये कि माइनारिटीज मेजारिटी की सीट्स को कैपचर कर सकते हैं और मेजारिटी के इंटेरेस्ट्स सेफगार्ड न होंगे। और कम्यूनल सवाल पैदा होगा या नहीं होगा इस पर तो माननीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि वह भी समझते हैं कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जो हीलिंग प्रोसेस है उसका खासतौर से कारण है कि प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुयेंसी और क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग। अगर ऐसा न होता और पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनावों में ऐसा न होता तो उसका नतीजा होता कि कास्टिज्म बहुत बढ़ जाता और कास्ट्स की बेसिस पर यहां नुमाइन्दे पहुंच जाते इसका मुझे विश्वास है। इसलिये यह हीलिंग प्रोसेस अगर शुरू हुआ है तो इसका कारण यह है कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज थीं और डिस्ट्रिब्युटिव वोटिंग का सवाल नहीं था और इसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़े-बड़े दिग्गज जोर के साथ खड़े हुये थे और जाति-पांति के जोर पर खड़े हुये थे उन को हारना पड़ा। इन जनरल एलेक्शंस के बाद लोगों को धक्का लगा है, जो बिरादरी के जोर पर एलेक्शंस में खड़े हुये थे। और वह पोलिटिकल पार्टी की शरण में आने की सोच रहे हैं। और उस तरह के व्यक्ति अब अगले एलेक्शंस में खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो उससे कास्टिज्म जो हमारा दुश्मन है वह कमजोर हुआ है। उसका कारण यह है कि क्युमुलेटिव वोटिंग नहीं थी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया जाय तो मेरा ख्याल है कि इस पर माननीय त्रिपाठी जी जोर नहीं देंगे और इस हजर को इस बोडी पालिटिक में घुसने नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 12-A के अन्त में शब्द " and by cumulative system of voting" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by list system of voting" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू ही में निवेदन किया था कि जहां तक उसूलों का सवाल है उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग और लिस्ट सिस्टम मे बहुत कम फर्क है। लेकिन लिस्ट सिस्टम के फायदे कुछ मानों में तो क्युमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से भी अधिक हो जाते हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके कब्ल कि मैं कोई फायदा बतलाऊं मैं आपके समक्ष उस प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कर देना चाहता हूं।

लिस्ट सिस्टम में यह तरीका होता है कि जितनी भी पार्टियां चुनाव में हों वह रिटर्निंग अफ़सर को अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट दे दें और उसके बाद चुनाव हो। इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को एक ही मतपत्र दिया जाता है लेकिन गिनते वक्त उस मत पत्र की गणना उतनी होती है कि जितने उस प्लूरल मेम्बर, मल्टी मेम्बर वार्डस में मेम्बर होते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम में अच्छाई यह है कागज का खर्च बहुत कम है और मतदाता को बहुत से डब्बों से गुजरना नहीं पड़ता। अभी माननीय स्वशासन मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले दिनों में सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी या डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी थीं इस वजह से जाति वाद के सिद्धांत को काफी धक्का पहुंचा और उससे काफी फायदा हुआ और बड़े-बड़े दिग्गज जो जाति पांति का सहारा ले कर चुनावों में आना चाहते थे वह अपने मकसद में कामियाब नहीं हुये और उनको पालिटिकल पार्टीज की शरण लेनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह वोटर्स को इंडिविजुअल स्तर से हटा कर पोलिटिकल पार्टीज की शरण में ले जाता है और लिस्ट सिस्टम इसलिये बड़ी चीज है कि यह किसी भी देश में जिसमें डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल सकती जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा दो या तीन पोलिटिकल पार्टी से ज्यदा हों। इस बात के लाने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है।

पिछले चुनाव में अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को देखा कि अगर उनमें लिस्ट सिस्टम रख दिया गया होता तो हर उम्मीदवार जो इंडिविजुअल खड़ा होना चाहता था वह खड़ा नहीं हो सकता था और उसको किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी की शरण में जाना पड़ता और लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता। नतीजा यह होता है, मेरा तो यह दावा है कि इस सदन में अगर हमारा बहुमत न होता तो इतना अल्पमत भी न होता क्योंकि पिछले चुनाव में लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग नहीं रखा गया इससे कांग्रेस को फायदा हो गया। माल्टिप्लिसिटी आफ पार्टीज के कारण कम प्रतिशत वोटों पर भी विधान सभा तथा लोक सभा में काँग्रेस का बहुमत हो गया। हर उम्मीदवार सोचता था कि हम कांग्रेस को हरा सकते हैं और इसलिये किसी किसी जगह तो पचीस-पचीस उम्मीदवार थे। माननीय सत्यानन्द की कांस्टीटुएंसी का जहां तक मुझे इल्म है वहां २५ उम्मीदवार थे। अदालती पंचायत का हलका था। कोशिश यह हुई की पचीस उम्मीदवार खड़े हो जायं। और शायद बाद में समझौता करते करते उम्मीदवारों की संख्या १४ तक रह गयीं और एक ऐसा नमूना अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पेश आया कि माननीय सदानन्द कांग्रेस के उम्मीदवार बिजयी घोषित किये गये लेकिन उनको पूरे वोटों का वन सिक्स्थ जो जमानत बचाने के लिये होता है वह भी नहीं मिला। यह तो फैसला हो गया कि जमानत उनकी बच जायगी क्योंकि जीते हुये उम्मीदवार के लिये वह नियम लागू नहीं होता तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की यह हालत हुई अल्पप्रतिशत में होते हुये हर जगह जीत गये।

हमारे मंत्री जी ने भी जातिवाद पर हमला किया लेकिन उस चुनाव प्रणाली से उनको यह फायदा हो गया कि पोलिटिकल माइनारिटी में होते हुये भी वह पोलिटिकल मैजारिटी में हो गये। जहां तक इस लिस्ट सिस्टम का संबंध है दो, तीन, चार पोलिटिकल पार्टीज होंगी। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड और कम्युनिस्ट पार्टी और चौथी में रामराज्य परिषद् वगैरा हैं। अगर इस

प्रकार से इलेक्शन हुआ होता तो एलेक्शन का रिजल्ट दूसरा ही होता। अगर इंडिवीजुअल के लिये भी हम मौका रखते हैं तो इसमें सदन के किसी माननीय सदस्य को इन्कार नहीं हो सकता कि हम जातिवादको प्रोत्साहन देते हैं। यह सरकार के हाथ में था कि वह किसी सिस्टम आफ वोटिंग को रखती। जो बड़े-बड़े दिग्गज जातिवादी प्रयत्न करते रहे, चाहे वे नाकामयाब हो गये, लेकिन प्रयत्न उन्होंने किया और बहुत से असफल भी नहीं हुये, क्योंकि बहुत से ऐसे भी सदस्य हैं इस विधान सभा के जिनको कि जातिवाद के सहारे सफलता मिली। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। असल में जब माननीय मंत्री जी की भी मंशा है कि जातिवाद, कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये तो उसको खत्म करने के लिये जो सिस्टम इस समय दुनिया में रायज है वह लिस्ट सिस्टम है जिसमें पोलिटिकल पार्टीज़ की तादाद लिमिटेड हो जायगी और इंडिवीजुवल कैंडीडेट जिनके न कोई सिद्धांत है न कोई विचार बल्कि जो व्यक्तित्व के आधार पर जनता को धोखा देकर आना चाहते हैं उनके लिये स्थान नहीं रहेगा।

इस सदन में जब पिछली मर्तबा सिम्बल और कलर सिस्टम पर बहस हो रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर हम सिम्बल मान लें और ३६-३७ उम्मीदवार हो जायं और हर एक के लिये अलग अलग सिम्बल करना पड़े तो म्युनिसिपैलिटीज़ के पास इतना रुपया नहीं होगा कि सिम्बल इतने बना सकें और व्यवस्था उसकी कर सकें और एक अन्नेसेसरी एक्सपेंडीचर उनके ऊपर लाद दिया जायगा। मेरा कहना यह है कि अगर सिम्बल मान लिये जायं और सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ को स्पेशल ग्रांट दे दे तो हम आपत्ति नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त यह प्रणाली काफी सरल भी है। अगर एक गजह ५ मेम्बर हैं। एक कागज बैलट पेपर का एक आदमी को मिलता है और एक इंडिवीजुअल को वोट न देकर वह पोलिटिकल पार्टीज़ के डिब्बे में डाल देगा और काउंटिंग के वक्त उस एक मतपत्र की गणना ५ हो जायगी। माननीय सदस्य सुल्तान आलम खां ने कहा कि यहां की जनता अधिकतर अशिक्षित है। तो लिस्ट सिस्टम में तो क्युमुलेटिव सिस्टम से भी कम दिक्कत है उसमें थोड़ी तादाद पोलिटिकल पार्टीज़ की होगी और एक मतदाता पर्चा ले कर जायेंगे, कोई गुमराह होने का अन्देशा नहीं है, क्यों कि उन्हें सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज़ के डिब्बे में मत डालना होगा अध्यक्ष महोदय जब इस तरह से वोट पड़ते हैं तो उनकी गणना इसी तरह से होती है जिस तरह से क्युमुलेटिव सिस्टम में होती है। अगर ३४ परसेंट भी उसमें वोट आ जाते हैं तो पोलिटिकल माइनोरिटी का रेप्रेजेंटेशन् गारंटीड हो जाता है।

जहां तक पिछले संशोधन के संबंध में अरिथमेटिक का संबंध था माननीय मंत्री जी ने एक आश्चर्य किया था पोलिटिकल मैजारिटी कैसे पोलिटिकल माइनारिटी हो जाती है। और इसी बात को मैंने अरिथमेटिक के जरिये यह साबित किया था कि ऐसा संभव है। लेकिन जब दूसरी बार माननीय मंत्री महोदय ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसमें उन्होंने पोलिटिकल मेजारिटी . . . . . ।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब इस समय नहीं दे सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो ऐसी सूरत में वह भी दिक्कतें जो हैं वह हल हो जाती हैं और क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग की तरह से हर तरह से यह सिम्पलीफाइड हो जाता है और मैं समझता हूं कि अगर मेरा पहला संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया तो कम से कम एक्सपीडियेंसी के लिहाज से खर्चे के लिहाज से और इस बात का ख्याल रखते हुये कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे इंडिविजुअल और जाति वाद को, सेक्टेरियनिज्म को प्रोत्साहन मिलना बन्द हो जायगा, उसकी समाप्ति हो जायगी, माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट सिस्टम के संबंध में अभी संशोधन आया है उसमें कई आपत्तियां स्वयं मूव करने वाले सज्जन ने अपने व्याख्यान में धीरे से पेश कर दी हैं। उन्होंने इस बात को तो माना है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें

[श्री मोहनलाल गौतम]

कम्युनल पारटीज न बढ़ें लेकिन जहां तक लिस्ट सिस्टम का संबंध है यह ठीक है कि दूसरे देशों में लिस्ट सिस्टम उसी आधार पर है जिस पर पोलिटिकल पार्टीज होती हैं एकेडेमिकली, म्योरिटकली, यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई कम्यूनल पार्टी आकर अपना नाम रखवाना चाहे और अपना नाम पेश करे तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कास्ट की बेसिस पर अगर कोई पारटी आना चाहे तो लिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वह नहीं आ सकती। यूरप में भी आप देखेंगे कि कैथोलिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है। वह कितनी पोलिटिकल है, कितनी रेलीजस है इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, कितने वोट्स वह पोप की आज्ञा से देती है इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन लिस्ट सिस्टम के लिये यह जरूरी है कि वह तमाम नान पोलिटिकल एलीमेंट्स को दूर कर दे और सिर्फ पोलिटिकल बेसिस पर ही लिस्ट सिस्टम बने यह बात गलत है। इसलिये लिस्ट सिस्टम के लिये यह जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों को एक्सक्लूड करे। दूसरी बात यह है कि लिस्ट सिस्टम में दो तरीके से हो सकता है। माननीय रामनारायण जी ने समझाने की कोशिश की है कि एक लिस्ट होती है उसका एक तरीका और भी हो सकता है और वह यह है कि लिस्ट दे दी गई और लिस्ट के ऊपर वोट दिये गये। तो एक तरीका तो यह है कि लिस्ट को इन टोटो वोट कर दिया और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि लिस्ट में इंडिविजुअल को वोट दिया जाय। उसकी काउंटिंग के दो तरीके हैं। एक यह है कि लिस्ट जो दी हुई है पार्टी के लीडर्स ने, उसमें जितने फीसदी वोट मिलें उसके हिसाब से पहले दूसरे तीसरे से लेकर जितनी भी तादाद है उतने एलेक्टेड डिक्लेयर हो गये। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जिनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी से वोट मिले हैं उनको डिक्लेयर किया जाय एलेक्टेड, न कि उस लिस्ट के मुताबिक जो कि लीडर्स ने दी है और उसमें लिस्ट के साथ-साथ इंडिविजुअल्स पर भी वोट होता है और काफी कम्प्लीकेटेड होता है। आसान नहीं है इसको इस तरह से समझ लेना कि हमने लिस्ट पर वोट कर दिया।

फिर यह कहा गया कि इसमें इंडिविजुअल्स खत्म हो जायेंगे। यह भी सोचने की बात है कि इंडिविजुअल मेम्बर को जो किसी पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहता जो अपने आपको किसी पारटी के बन्धन में नहीं डालना चाहता और आज के ऐसे जमाने में जब कि हमारे देश में पोलिटिकल थ्योरीज और पोलिटिकल आइडियाज इवाल्व हो रही हैं बहुत से काबिल और आनेस्ट इंटीग्रिटी के आदमी ऐसे हो सकते हैं जो किसी पोलिटिकल पारटी में आना पसन्द न करें, किसी के टिकट पर न खड़ा होना चाहें, और वह अपनी आइडियाज फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्यों रुकावट डाली जाय? इसके साथ-साथ माननीय त्रिपाठी जी ने आगे के लिये रास्ता भी बन्द कर दिया और कहा कि यही पोलिटिकल पार्टीज रहेंगी और किसी इंडिविजुअल को अपना ख्याल सामने रखने अधिकार नहीं होगा। और किसी दूसरी पोलिटिकल पार्टी को इवाल्व करने का अधिकार नहीं होगा यह उनकी मंशा थी। तो अभी जब कि हमारा पोलिटिकल एवोल्यूशन और कांशसनेस चल रही है, बढ़ रही है, ऐसी हालत में हम अगर यह कहें कि ऐसा होना चाहिये यह ठीक नहीं होगा। मूवर साहब ने पोलिटिकल पार्टीज का फैसला कर दिया और यह कह दिया कि एक टोटैलिटैरियन आफ दी राइट, एक टोटैलिटेरियन आफ दी लेफ्ट, एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एक कांग्रेस, इन चार में विभाजन कर दिया जाय, और इसके बाद किसी की गुंजाइश न रहे। मैं नहीं कह सकता कि अब हमारी पोलिटिकल थिंकिंग इतनी खत्म हो गयी है कि अब और कोई पोलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। ये तमाम बातें आप के सोचने की हैं।

लिस्ट सिस्टम में सब से बड़ी बात यह होती है कि उसमें इंडिविजुअल्स के लिये कोई गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरा उसका नुक्स यह है कि लिस्ट सिस्टम में कांस्टिटुएंसी नहीं होती है और सारे सूबे के लिये एक लिस्ट हो जायगी। जो आदमी सारे सूबे से काफी वोट्स इकट्ठा कर लेगा वही चुना जायगा। वह किस कांस्टिटुएंसी का जिम्मेदार होगा, कहां वह वर्क करेगा, किस कांस्टीटुएंसी के लोग उससे कहेंगे कि तुम हमारा काम करा दो। बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जिनके दफ्तर ही बहुत से जिलों में नहीं खुलते हैं तो लोग

किससे काम करने के लिये कहेंगे। मान लीजिये किसी जिले से कोई आदमी चुना जाता है लेकिन उस जिले में सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर नहीं खुला है और वह आदमी इसलिये चुना जाता है चूंकि वह इतना बड़ा लीडर है कि पार्टी उसको टाप पर रख देती है, और सारे सूबे के वोट से वह चुना जाता है, तो फिर बात वही रही। मेरा मतलब किसी विशेष पार्टी से नहीं है, कांग्रेस के लिये भी ऐसा हो सकता है लेकिन मैं कांग्रेस की मिसाल इसलिये नहीं दे रहा हूं क्योंकि इत्तिफाक से कांग्रेस के दफ्तर अभी सब जगह खुलते ही जाते हैं। तो अगर वहां का लीडर चुना गया और सारे सूबे ने चुना और वह लीडर है उसी जिले का रहनेवाला और पार्टी का दफ्तर नहीं खुलता तो वहां के लोग क्या करें, किसके पास जा करके अपनी शिकायतें करें कि हमने सोशलिस्ट पार्टी को वोट दिया, आप हमारी बात को असेम्बली तक पहुंचा दिया करें। इसलिये इसमें कांस्टिटुएंसी के न होने से यह हालत हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण असेम्बली के चुनाव पर ही न कायम रखें। असेम्बली के चुनाव का बहुत अधिक वर्णन हो रहा है।

श्री मोहन लाल गौतम—ये लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां हैं ये माननीय अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी में उस हद तक न लागू हों, सही है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज का एरिया बहुत छोटा होता है और वहां हर एक आदमी विदिन रीच होता है, लेकिन इस वक्त मैं लिस्ट सिस्टम की बात को सैद्धांतिक रूप में पेश करके यह चाहता था कि उस को सिद्धांत के रूप में हम क्यों नहीं मंजूर करते उसको व्यवहार के रूप में क्यों नहीं मंजूर करते हैं, लेकिन आप का आदेश है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को म्युनिसिपैलिटी तक ही सीमित रखूं। इस तरह से लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां हैं वे हमारे सामने हैं। कुछ मुल्कों का जिक्र किया गया। तीन चार मुल्क जो बहुत छोटे हैं उनमें यह लिस्ट सिस्टम इस वक्त है। बेलजियम, स्वीटजरलैंड, स्वेडन और डेनमार्क में यह सिस्टम है लेकिन ये इतने छोटे-छोटे मुल्क हैं कि हमारे यहां ऐसी-ऐसी कमिश्नरियां हैं जो इन मुल्कों से बड़ी हैं। इन मुल्कों में जहां कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यह लिस्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इस पर मैं बहस करना नहीं चाहता। मैं बड़ी म्युनिसिपैलिटीज का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर छोटी म्युनिसिपैलिटीज में यह चीज होगी तो कारपोरेशन्स में भी लागू करना पड़ेगा। तो लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में वही खराबियां आ जायेंगी जो कि मैं निवेदन कर चुका हूं।

एक आदमी यह भी कह सकता है कि कायस्थों का ही नहीं माथुरों में भी और जो है वह मुझे मालूम नहीं, कि उसका एक आदमी क्यों न चुना जाय। सारे शहर के तो वोटर हैं, एक आदमी उसका चुना जायगा तो यह लिस्ट सिस्टम की खराबियां हैं। जितनी बातें सेकटेरियन और वार्ड में प्रेरणा देने की जो थी वह दोहरे जोर से लिस्ट सिस्टम में सारे शहर में आ जायंगी क्योंकि दायरा सारे शहर का हो जायगा। अगर ५० मेम्बर किसी म्यूनिसिपैलिटी में हुये तो उससे पचासवां हिस्सा जिस कम्यूनिटी, जिस कास्ट और जिस सब कास्ट का होगा वह क्लेम करेंगे कि हमारा एक आदमी जरूर जाना चाहिये और अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो हम अपना एक आदमी अलग खड़ा करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उस लिस्ट से एक्सक्लूड करदें। इसलिये इसमें डिसरप्टिव टेंडेंसीज कास्ट, कम्यूनल और सब कास्ट की क्युम्युलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग से ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिये यह उससे ज्यादा खतरनाक है और मुझे अफसोस है कि मैं उसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के इस संशोधन का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि लिस्ट सिस्टम में दो तरीके से चुनाव होगा। एक तो यह होगा कि यदि ए लिस्ट के या बी लिस्ट के वोट ज्यादा पड़े तो उसके सारे उम्मीदवार चुन लिये जायं और दूसरा यह होगा कि जितने वोट पड़ें उसी हिसाब से प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाय।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह ख्याल है कि गालिबन त्रिपाठी जी का ख्याल इस संशोधन के रखते समय अवश्य दूसरी विचार धारा की तरफ था जो कि उन्होंने अपनी बहस के दौरान में फरमाया था कि अगर लिस्ट सिस्टम की वोटिंग होती तो इस सदन में उनकी जितनी संख्या है, संभव है कि बहुमत में न होती, लेकिन उससे बहुत अधिक होती । अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस पुराने चुनाव की बात का संबंध है, यह संशोधन ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ अधिक कहा जाय लेकिन एक चीज याद आती है और उसको कहकर मैं इस संशोधन की तरफ बढ़ता हूं । एक बहुत पुराने शायर ने ऐसे ही मौके पर एक बहुत ही उम्दा बात लिखी है---

"नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है"

जो यूं होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता । तो यह इधर-उधर के संशोधन जो मेरे लायक दोस्त ला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वह संभवतः दिन रात यही सोचा करते हैं कि अगर यह तरीका होता तो हम इतना बढ़ जाते, यह तरीका होता तो कुछ और आगे जाते और कहीं यह तरीका होता हम बहुमत में आ जाते । तो यह तो, अध्यक्ष महोदय, उनके सोचने की बात है । अगर इस में उन को सुख मिलता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है । लेकिन आवश्यकता जो है वह कुछ और है । इस संशोधन के रखने पर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी खतरा है । किसी समाज में अगर व्यक्तियों के विकास के लिये स्थान न हो तो फिर वह समाज सम्भवतः रहने के योग्य नहीं होता । और हर एक व्यक्ति अपने तौर पर अपना विकास न कर सके, उसे मजबूर होना पड़े किसी समूह के साथ अपने को जोड़ने के लिये यह एक स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं हैं । और मुझे तो अध्यक्ष महोदय, इससे वह भी लाभ नहीं दिखायी पड़ता कि इससे जातिवाद या साम्प्रदायिकता मिट सकती है वरना सम्भवतः मैं इससे सहमत हो जाता । थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि हर एक इंसान प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी में मजबूर है कि वह किसी न किसी पार्टी से अपना संबंध करे । तो क्या जरूरी है कि वह समाजवादी पार्टी से या प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी से आप कह लीजिये, माफ कीजियेगा, उससे ही अपने को संबंधित करे या कांग्रेस से ही करे । हमारे देश में और प्रान्त में ऐसी भी पार्टियां हैं जो सौभाग्य या दुर्भाग्य से आज भी राजनीतिक पार्टियों के नाम से हैं । सारे के सारे जो स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति हैं वे संभव है कि जन संघ में शामिल हो जायं अथवा रामराज्य परिषद में शामिल हो जायं जो सम्प्रदायवादी हैं जिनसे खतरा है देश को और जिससे मेरे लायक दोस्त भी सहमत होंगे कि ये आजाद ही अच्छे हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र ही यहां आ कर के संयुक्त दल बनायें बजाय इसके कि वे रामराज्य परिषद में या जनसंघ में शामिल हो जायं । तो यह भी मसला नहीं हल होता ।

मैं एक बात और प्रार्थना करना चाहता था और वह यह है कि मान लीजिये कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आ गये तो किसी व्यक्ति के नाम से चलायेंगे और उस व्यक्ति के नाम से वोट पड़ेंगे । तो मुझे डर लगता है कि इससे तानाशाही हो जायगी । मैंने रूस के चुनाव को अधिक तो पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां पर चुनाव नाम की कोई चीज ही नहीं है और अगर है तो बिलकुल फ़रेब है । लेकिन जो कहीं इधर-उधर सुनाई पड़ता है वह कुछ ऐसी ही मिलती-जुलती चीज है । वहां फ़ेहरिस्तें दाखिल होती हैं और फेहरिस्तें दाखिल हो कर वोट पड़ते हैं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---ऐसा नहीं है ।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं ठीक कह नहीं सकता, अगर ऐसा नहीं है तो इसी का छोटा या बड़ा भाई जरूर है । वहां के चुनाव से मेरे मित्र सहमत न होंगे और न मैं ही सहमत हूं । तो इस संशोधन से न तो जाति पांति मिटती है और न साम्प्रदायिकता ही मिटती है और न इससे यह संभव है कि अगर पहला अंश मान लिया जाय कि अगर ए लिस्ट को

अधिक वोट मिल गये तो ए लिस्ट पूरी हो गयी, उसके अन्दर चाहे अच्छे उम्मीदवार हों चाहे बुरे उम्मीदवार हों वे सब के सब हो जायेंगे। तो यह बड़ी कठिनाई है। वोटर को पूरा स्वतंत्र होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अभी अधिक समय लेंगे ?

श्री रामनरेश शुक्ल—अभी दो, चार मिनट तो और लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट सिस्टम पर जो संशोधन मेरे लायक दोस्त पंडित रामनारायण त्रिपाठी ने रखा था उस पर मैं कुछ अपने विचार प्रगट कर रहा था और इस सिलसिले में आपके द्वारा मुझे यह प्रार्थना करनी है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जहां पर व्यक्तियों से समाज बहुत बढ़ जाता है और जहां पार्टियां व्यक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं वहां भी एक खतरा पैदा हो जाता है और जहां व्यक्ति भी पार्टी से ऊंचे हो जाते हैं तो वहां भी एक खतरा पैदा हो जाता है। जहां तक प्रजातंत्र का संबंध है और जिससे हमारे विरोधी दल के नेता को बड़ा प्रेम है। जब भी उनको याद आती है प्रजातंत्र की, तभी वह दो-चार बातें इस दल वालों को सुना जाया करते हैं कि यह प्रजातंत्र के रास्ते पर नहीं चलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने समझा है प्रजातंत्र को तो इसमें मतदाता ही जो होता है वह एक अंतिम शक्ति होता है और इस संशोधन में यदि ध्यान से देखा जाय तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह कि एक मतदाता को पूरी लिस्ट को वोट देना पड़ेगा। अगर कोई ए लिस्ट को मत देता है तो चाहे वह पांच को देना चाहता हो, अथवा तीन को न देना चाहता हो लेकिन सब चुने जायेंगे और यदि वह बी को देता है तो उसमें भी सब के सब हो जायेंगे और दूसरा तरीका जैसा कि मैंने पहले कहा था वह यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस फेहरिस्त में उनके सब उम्मीदवार हो जायेंगे तो यह जहां तक नम्बर्स देने का संबंध है यह किसी पार्टी के अधिकार की बात होगी कि किस व्यक्ति को कौन सा नम्बर दे। तो न चाहते हुये भी अगर दोनों कारणों से देखा जाय तो इसमें मतदाता अंतिम शक्ति नहीं रह जाता है। मतदाता इसमें गौण हो जाता है और प्रमुख हो जाता है पार्टी या उसका कोई नेता, फिर इसमें तो बड़ा भारी खतरा है और मुझे विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल में बैठने वाले मेरे मित्र प्रजातंत्र के हामी हैं वह ऐसा संशोधन लाकर कहीं उसूल की बात न छोड़ दें। यदि ऐसा हो गया तो वह खुद भी इस चीज को पसन्द नहीं करेंगे। सीधा-सादा हमारा तरीका है, खुला वोट डालने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी शिकायतें हो रही हैं। जो हमारा पुराना तरीका था और जो शिकायतें थीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अगर यह गड़बड़ी न हुई होती तो हमारा बहुमत ही न होता। तो अब तो खुला हुआ वोट है, आपके एजेंट खड़े रहेंगे, हमारे एजेंट खड़े रहेंगे, दूसरी पार्टीज के एजेंट्स खड़े रहेंगे। इसमें आपको अब क्या दिक्कत है ? इसकी जगह आप कहते हैं लिस्ट सिस्टम आ जाय, क्युमुलेटिव सिस्टम आ जाय, रंग आ जाय, सिम्बल आ जायं। अब तो खुला हुआ वोट रखा गया है। इसमें तो आपको शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है। मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र जो यह लिस्ट सिस्टम लाये हैं वह जल्दबाजी में लाये हैं, इस पर वह पुनर्विचार करें। मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे, इसी में उनके सिद्धांत की रक्षा है इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। सबसे पहला

[श्री नौरंग लाल]

विरोध इस वजह से करता हूं कि यह जो संशोधन है वह भ्रमात्मक है, दूसरी वजह यह है कि यह प्रजातंत्र के विपरीत है। तीसरा यह कारण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इससे सर्वनाश होता है, चौथा विरोध का कारण यह है कि यह फासिस्टवादी प्रथा का उत्पादक होता है। पांचवां विरोध का कारण यह है कि यह अव्यवहारिक है। ये ५ कारण है जिनकी वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। थोड़ा-थोड़ा हर एक विरोध के संबंध में मैं वर्णन कर देना चाहता हूं।

पहला कारण मैंने यह बतलाया था कि यह वेग है। इसका कारण यह है कि लिस्ट सिस्टम में हमेशा यह प्रणाली होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स हुआ करते है, वह पार्टी लिस्ट पर खड़े होते हैं। मान लिया कोई ए टाउन है और एक बड़ी कांस्टीट्युएंसी है उसमें १५ सदस्य चुनने हैं तो हर पार्टी १५ मेम्बर्स अपनी लिस्ट में रख सकती है और उसको वह वोटर्स के सामने पेश कर सकती है और सारा शहर एक कांस्टीट्एंसी माना जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कितनी पार्टीज जो १५–१५ मेम्बर्स अपनी लिस्ट में रखेंगी यह निर्णय कौन देगा। साफ़ है सरकार करेगी। कोई दूसरा तरीका है नहीं जिससे पार्टीज का निर्णय हो सके। अगर सरकार करती है तब विरोधी दल के लोग यह कहेंगे कि सरकार ने उन पार्टीज को चुन लिया जो उसके माफिक हैं और उनको निकाल दिया जो विरोध में हैं। या फिर यह हो कि जो भी पार्टी चाहे अपनी अपनी लिस्ट १५,–१५ सदस्यों की पेश कर दे। इसमें यह होगा कि कायस्थ भी आयेंगे, ब्राह्मण भी आयेंगे, शूद्र भी आयेंगे और कम्युनलिज्म के ईविल्स (बुराइयां) फिर पनपने लगेंगे और जो माइनारिटीज पार्टीज कहलाती हैं वह पोलिटिकल पार्टीज न रह कर कम्युनल पार्टीज हो जायेंगी। स्वीटरजरलैन्ड और बाहर की मिसाल दी गई कि वहां ऐसा होता है। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में जहां अभी हम कम्युनलिज्म के ईविल (बुराइयों) को बिलकुल खत्म नहीं कर सके हैं वहां ऐसा करना बड़ा घातक सिद्ध होगा वहां की पब्लिक तो बड़ी हाईली डेवलप्ड होती है, वह पोलिटिकल इश्युज को समझती है, वह समझती है कि कंट्री के लिये क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारी पब्लिक जो है वह इतनी रिस्पांसिबिल नहीं है। इसलिये वहां की प्रथा की बात करना, स्वीटरजरलैन्ड की प्रथा यहां कायम करना, यह चीज यहां लागू नहीं हो सकती। बड़ा पेचीदा सवाल तो यही है कि कौन पार्टीज आयेंगी, कौन नहीं आयेंगी। इस तरह से मैंने जैसा पहले निवेदन किया यह लिस्ट सिस्टम बड़ा भ्रमात्मक है। इसकी बुराइयों को न कांग्रेस कंट्रोल कर पायेगी और न यह हमारे दोस्त ही कंट्रोल कर पायेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जनतंत्र प्रणाली के बिलकुल विरुद्ध है। जनतंत्र में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वोटर्स जिसको चुने उसके साथ उनका सीधा संबंध हो इसमें यह संबंध बिलकुल समाप्त हो जाता है। न वोटर्स को मालूम हो सकता है कि किसको चुना गया और न चुने जाने वाले को मालूम हो सकता है कि किसने चुना। इसलिये इसमें जनता का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है और जनमत का जो उसूल है कि सीधा संबंध हो वह खत्म हो जाता है। इसलिये अगर यह चीज इस संशोधन में मान ली जाती है तो यह जनमत के विरुद्ध हो जाती है।

एक बात और इससे होती है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिलकुल खत्म कर देता है। अगर किसी लिस्ट में तीन पार्टी हैं कांग्रेस, सोशलिस्ट और प्रजापार्टी, और उनके अलावा कोई और आदमी भी खड़ा होना चाहता है और अपनी जनता की या म्युनिसिपल बोर्ड की सेवा करना चाहता है तो वह खड़ा नहीं हो सकता है। उसका वह हक खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, न वह कांग्रेस से संबंध रखता है, न सोशलिस्ट पार्टी से और न प्रजा पार्टी से संबंध रखता है और वह अपने शहर

की सेवा करना चाहता है तो उसके लिये कोई जगह नहीं है। आप इसको ४, ५ पार्टी तक ही महदूद कर देते हैं और इसका दायरा छोटा हो जाता है। इस कारण से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। जो आदमी अकेला खड़ा होना चाहता है तो उसके लिये कोई जगह नहीं रहती है।

यह बात डिमोक्रेसी के बिलकुल खिलाफ है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बिलकुल अपहरण हो जाता है। इसलिये इस चीज को हरगिज स्वीकार नहीं करना चाहिये।

चौथी बात यह है कि यह संशोधन इस कारण भी मानने के योग्य नहीं है कि यह फासिस्टवादी प्रथा का उत्पादक है। यही सिस्टम जर्मनी के अन्दर चला था। वहां पर तीन पार्टियां थीं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट डिमोक्रेट और नेशनल सोशलिस्ट। कायदे के मुताबिक किसी व्यक्तिगत आदमी को स्वतंत्रता नहीं मिलती है अगर कोई ग्लैमर फिगर है और पब्लिक उसको पसंद करती है और अगर उसका बहुत ज्यादा असर हुआ तो वह जिस पार्टी में शामिल होगा उसे जितायेगा जो शाइनिंग फिगर होता है वह पब्लिक पर अपना असर पैदा करता है और सारे वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेता है और जो दूसरी पार्टी रहती है वह वीक (कमजोर) हो जाती है चाहे उसके कैंडीडेट कितने ही ईमानदार क्यों न हों और उसका असर कम हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह शाइनिंग फिगर और ज्यादा पावर में आता जाता है और आखिर में वह एक डिक्टेटर की शक्ल अख्तयार कर लेता है और फिर वह सारी कंट्री पर रूल करता है। जर्मनी में भी इसी तरह से हुआ। जब वह ग्लमेर फिगर पब्लिक में ज्यादा असर पैदा कर लेता है तो फिर बाद को वह अपनी एक पार्टी बना लेता है। और सारी जनता को अपने हाथ में ले लेता है और बजाय उस ताकत को जनता के हाथ में आने के सिर्फ ३, ४ आदमियों के हाथ में वहां की पावर महदूद हो जाती है और वही फिर वहां शासन करते हैं। जर्मनी में नाजी पार्टी ने जोर पकड़ा और बाद में सारे जर्मनी को अपने हाथ में में ले लिया केवल हिटलर की वजह से। और इसी तरह से उसने जनमत को अपनी तरफ खींच लिया और वहां वह डिक्टेटर बन गया और फिर जनमत की परवाह वहां नहीं हुई। यद्यपि म्युनिसिपैलिटीज में इस से कोई खतरा हम को नहीं है लेकिन जहां पर सारे देश या सूबे के शासन का सवाल होता है वहां पर अगर यह शैली लाद दी जाय तो उससे सत्यानाश ही मुमकिन है। म्युनिसिपिल बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है एक दो ग्लेमर फिगर से अपनी पार्टी बना लेंगे और रुपया पैसा खर्च करके वह पूरी ताकत ले लेंगे। वहां भी रिश्वत चल सकती है, वह पूरा खर्च उठाकर जीत कर दिखा सकते हैं और इस तरह से फासिस्टवादी प्रथा की शुरुआत हो सकती है और उस से बहुत सी और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

दूसरे मेरे ख्याल से यह बिलकुल अव्यवहारिक है और यह चीज म्युनिसपिल बोर्ड में नहीं चल सकती। अगर कोई पार्टी वहां आती है जहां सूबे या मुल्क के शासन का सवाल होता है तो वहां एक हाईली डेवलप्ड पोलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है जिस के पोलिटिकल उसूल भी बहुत साफ और क्लियर कट होने चाहिये और तभी वह पार्टी कामयाब हो सकती है लेकिन म्युनिसिपिल बोर्ड में हाई आईडियल की ऐसी कौन खास जरूरत है? जहां पर मुल्क की गवर्नमेंट का सवाल या कोई पालिसी का सवाल होता है वहां पर इसकी जरूरत होती है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड में तो मामूली घरेलू मस्ले सफाई, सेनिटेशन, सड़के मकान कैसे बनें यह सब होते हैं जिन में कोई खास मतभेद का सवाल ही नहीं आता है कोई ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि जैसे कामनवेल्थ में शरीक हों या न हो, वहां कोई बड़े मसले नहीं होते हैं जो बातें वहां होती हैं उन में सब लोग ज्यादातर एकमत ही होते हैं। यहां पर आप पार्टीज को कैसे डिवाइड करेंगे जो चार-पाच आदमियों का ग्रुप होगा वही सब कुछ कर लेगा। यहां पर इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि पार्टी का कोई डिवीजन हो। इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज जो चाही जा रही है वह अवैधानिक है।

[श्री नौरंगलाल]

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से निवेदन करूंगा कि चार-पांच प्वाइन्ट्स जो मैंने पेश किये उनके आधार पर मेरा ख्याल है कि यदि इस संशोधन को मान लिया जायगा तो यह इस देश में जो नई डेमोक्रेसी बन रही है उस का सत्यानाश कर देगा। हमारे यहां कांस्टीट्यूशन में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिजरवेशन रखा गया है उसी की वजह से यह प्लुरल मेम्बर्स कांस्टीटुएंसी रखना पड़ी हैं वरना यह भी नहीं रखी जाती और न यहां लिस्ट सिस्टम या क्युमुलेटिव सिस्टम की ही कोई जरूरत है। यहां तो सीधी-सादी डेमोक्रेसी चलाना है और बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है इसमें हमें नहीं जाना है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं। मतदान की प्रणाली पर लिस्ट सिस्टम की आवश्यकताओं के संबंध में माननीय त्रिपाठी जी ने जो दलीलें दी हैं और उन के विरोध में जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये उन को मैंने ध्यान पूर्वक सुनने की चेष्टा की और मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि हमारे माननीय सदस्यों के विचार जिस दृष्टिकोण से रखे गये थे वह एक लेखक का दृष्टिकोण था और उस में विधान वेत्ता के दृष्टिकोण की कोई झलक नहीं थी जितनी कि मैं समझता हूं कि अवश्य होना चाहिये थी। हर प्रणाली की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करूंगा कि लिस्ट सिस्टम में सौ फीसदी अच्छाइयाँ हैं और उस में कोई खराबी नहीं है। हर विषय में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं लेकिन सदस्यों ने जो विचार यहां प्रकट किये उनमें उन्होंने केवल बुराइयां ही दिखाई लेकिन अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हम लिस्ट सिस्टम की अच्छाइयों और बुराइयों को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें और अपनी परिभाषा को परिमार्जित करें तो मेरा विश्वास है कि आजकल की परिस्थिति में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के जिलों की स्थिति को देखते हुये, साक्षरता और निरक्षरता के अनुपात को देखते हुये, लिस्ट सिस्टम जो वोटिंग का है वह सबसे अनुकूल जाता है। हर प्रणाली मे अच्छाइयां और बुराइयां होती है। यदि हमारे माननीय सदस्य क्यूमूलेटिव वोटिंग नहीं चाहते, लिस्ट सिस्टम नहीं चाहते तो वे यह हमको बतालाते कि वह संसार की कौनसी मतदान की प्रणाली को मानते हैं। माननीय नौरंगलाल जी ने बतलाया कि एक कंस्टीट्यूऐंसी, १ वोट, १ मेम्बर, इस प्रणाली को वह चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रणाली हमारे सामने नहीं है। जहां चुनाव के विधान का प्रश्न आता है मैंने तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी है। अगर मल्टी मेम्बर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम या सिंगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहा जाता तो हम समझ सकते थे। उनका यह कहना कि इससे प्रजातंत्र का सत्यानाश हो जायगा, यह अव्यवहारिक है या स्पष्ट नहीं है, यह मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में कोई दलील नहीं है। हर एक मतदान प्रणाली के अपने अपने तरीके होते हैं और अपने अपने व्यवहार होते हैं।

माननीय मंत्री जी ने भी माना कि लिस्ट सिस्टम को व्यवहार में लाने के तरीके होते हैं। जैसा कि सिंगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके भी व्यवहार में लाने के तरीके होते हैं। माननीय मंत्री ने कहा था कि युरोपीय मुल्कों में लिस्ट सिस्टम की प्रणालियां हैं। कहीं तो उनमें पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिये जाते हैं और कहीं पार्टियों को वोट दिये जाते हैं और पार्टी लिस्टें बाद में देती हैं। मैं उनको बताऊं कि खासतौर से पिछली लड़ाई के यानी हिटलर के पहले जो प्रजातंत्र में चुनाव होते थे, वहां म्युनीसिपल चुनावों में पार्टियों को वोट दिये जाते थे, सोशलिस्ट डैमोक्रेटिक पार्टी, या नैशनलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टियों के बक्स होते थे। इसी प्रकार बेल्जियम में होता था। वहां लिस्टें पार्टियां देती थीं लेकिन मतदाता को इस बात का अधिकार था कि वह चाहे तो सारी पार्टी की लिस्ट को वोट दे और अगर वह चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर भी वोट दे

सके। अगर इस प्रणाली को नौरंगलाल जी देखते तो उन्हें यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलता कि लिस्ट सिस्टम वेग रहता है। उसके तीन तरीके होते हैं और यदि वह उसे अच्छी तरह से सोचते तो वह यह मानते कि किसी भी तरीके से लिस्ट सिस्टम अपनाया जा सकता था। मेरे ख्याल से बेल्जियम का सिस्टम हमारे लिये सबसे अच्छा होगा। जैसा कहा गया कि वहां पार्टी को वोट देने में फ्री थिंकिंग की गुंजाइश नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है। स्विटजरलैंन्ड में ऐसा होता है कि केवल पार्टी को ही वोट दिया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति को वोट नहीं दिया जा सकता।

यह बात मैं मानता हूं लेकिन बजाय स्वीजटरलैंड की प्रणाली अपनाने के, बजाय जैसा कि युद्ध के पहले जर्मनी में प्रणाली थी उसे अपनाने के वेलजियम की प्रणाली अपनायी जाती तो ज्यादा एतराज नहीं होता। श्रीमन् माननीय मंत्री जी लगातार बराबर इस सदन के सामने चार पांच दिन से बतलाते रहे हैं कि हमारे प्रदेश की जनता इतनी निरक्षर है कि वह अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी को नहीं महसूस कर सकती है। इस बात को माननीय मंत्री जी स्वयं मानते हैं कि हमारे देश का स्तर और प्रजातांत्रिक भावनाओं के कार्य करने का स्तर जनता का इतना ऊंचा नहीं हो पाया है। और यहां पर तो हमने यह भी देखा है कि मतदान जिस प्रकार से होना चाहिये यानी पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार वोट देने की जो लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिये वह यहां पर अनिवार्यतः और बहुत अंश तक लापता है और माननीय मंत्री जी ने स्वयं जातिवाद के बारे में बतलाया है

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा ख्याल है कि जिस वक्त मैं बोल रहा था उस वक्त शायद माननीय सदस्य सुन नहीं रहे थे। जिस तरह से वे बात को पुट कर रहे हैं वह बिलकुल गलत है। मैंने इस तरह की बात नहीं कही थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपने क्या कहा?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने कमियों के बारे में कहा कि किसी तरह की कमी हो सकती है। लेकिन आप तो जनरलाइज कर रहे हैं कि तमाम स्तर नीचा है, यह है, वह है, यह डिस्टोर्शन आफ फैक्ट्स है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं जातिवाद के बारे में कह रहा था। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तो क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के मौके पर काफी रोशनी डाली और ब्राह्मण वगैरह के बारे में १०, १५ मिनट तक बतलाया। फिर मैं नहीं समझता कि इसमें डिस्टोर्शन आफ फैक्ट्स क्या है। जो आपने कहा था उसी को मैंने बहुत सुन्दर शब्दों में कह दिया। मेरा कहना केवल यह है कि अगर उनका विचार ऐसा नहीं है तो कम से कम मेरा विचार तो ऐसा है ही। आज जिस प्रकार से मतदान होते हैं उसमें अधिकांश मतदाता पार्टी कार्यक्रम के अनुसार वोट नहीं दे पाते। किसी जाति के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर ही उनको वोट देने की प्रवृत्ति हो जाती है। हमारी परम्पराएं इतनी सुदृढ़ नहीं जिसके द्वारा वे चुनाव घोषणापत्र को देख कर अपना वोट दे सकें। इसलिये आज हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में इस चीज को करना है कि हम जनता को प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति की तरफ ले जायं, जनता को पार्टी के प्रोग्राम को समझाने की चेष्टा की ओर ले जायं और इसलिये यह आवश्यक है कि लिस्ट आफ वोटिंग की चीज यहां पर हो। जब जनता यह जानेगी कि हमें पार्टी को वोट देना है, लिस्ट को वोट देना है तो जनता के लिये यह आवश्यक हो जायगा कि वह पार्टी प्रोग्राम को देखे और पार्टी प्रोग्राम को देख कर अपनी मनोवृत्ति बनावे। इससे जातिवाद और किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर वोट देने के बजाय पार्टी के दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमान् यहां पर ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव का हवाला दिया जाता है। वहां पर काउन्टी वगैरह का जो चुनाव होता है वह सिंगल मेम्बर डिस्ट्रिब्यूटिंग सिस्टम आफ वोटिंग के अनुसार होता है और हम अपने यहां लोकल बाडीज में मल्टी मेम्बर डिस्ट्रिब्यूटिंग सिस्टम आफ वोटिंग चाहते हैं लेकिन हमें यह भी देखना है कि ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रजातांत्रिक परम्परायें हैं वे आज की नहीं हैं बल्कि शताब्दियों पहले की हैं। ब्रिटेन के जो रहने वाले हैं, जो वहां के नागरिक हैं उनके मस्तिष्क में चुनाव के संबध में जो भावनायें होती हैं वे तो बड़े ऊंचे स्तर की होती हैं और वे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे यहां अभी वैसी भावनायें नहीं हो पायी हैं। हमारे यहां के लोग अभी उतना नहीं समझ पाये हैं और ग्रेट ब्रिटेन में स्थिति को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की भावना होती है जो कि हमारे यहां नहीं होती है। जब हमारे यहां के मतदाता मतदान करने जाते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि वे किस प्रकार कार्यक्रम से परे होकर जातिवाद के चक्कर में पड़कर वोट देते हैं। इसलिये मैं लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग को अपनाने की बात अनिवार्य समझता हूं। श्रीमन् फ्रांस में भी ऐसा ही होता है

फ्रांस में जब नैपोलियन थर्ड का पराभव हुआ उसके बाद और जर्मनी द्वारा १८७१ के महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद और फ्रांस के पराभव के बाद जब वहां प्रजातांत्रिक प्रणाली का समावेश हुआ उस समय फ्रांस की प्रजातांत्रिक सरकार ने और वहां की तमाम पार्टियों ने मिल कर अपने एलेक्शन के विधान में इस बात को स्पष्ट किया कि हम लिस्ट सिस्टम के अनुसार चुनाव प्रणाली को चलायेंगे और सन् १९२७ तक लगातार फ्रांस में जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज के चुनाव होते रहे वह लिस्ट सिस्टम के अनुसार होते रहे। श्री मान जी आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि फ्रांस में १९१९ में एलेक्टोरल ला क्या था।

"The electoral law of 1919 provided for a block system of voting by departments, and contained the three following rules for the distribution of the seats :

(1) the candidates obtaining an absolute majority of the votes cast are declared elected; (2) in districts where all the candidates are not elected by an absolute majority each list is assigned as many seats as its average is contained in the electoral quotient; and (3) if there are still more undistributed seats, these are assigned to the list having the highest average."

तो इस सिलसिले में फ्रांस में कितनी प्रगति हुई इस लिस्ट सिस्टम के जरिये से, जो उन्होंने अपने लिये तरीका निकाला। तरीका माननीय मंत्री जी निकाल सकते हैं लेकिन सिद्धांततः लिस्ट सिस्टम को मान लेना ही चाहिये और इस लिस्ट सिस्टम से फ्रांस में किस प्रकार चुनाव पद्धति परिष्कृत हुई यह इससे स्पष्ट होता है—

"From the stand point of popular interest in elections it is important to note that both the single member district system and the list system used in France encouraged the formation of party blocks."

यानी पार्टियों के रूप में जनता ने अपनी भावनाओं का समावेश करने के लिये पार्टी ब्लाक्स बनाये और यह लिस्ट सिस्टम में आसानी से बढ़े। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के मौके पर क्या हमको यही अनुभव नहीं हुआ और कई बार बल्कि यह तो सब पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि स्वतंत्र उम्मीदवार के के क्या अर्थ हैं और हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ने देना चाहिये। क्योंकि जो व्यक्तिवादी होते हैं उनको बहुत हद तक ऐसे माध्यम ढूंढने पड़ते हैं जो जाति से बिरादरी से संबंध रखते हैं। किसी प्रोग्राम से संबंध नहीं रखते। इस लिये यह अत्यावश्यक

है कि हमें इस प्रदेश से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये और विशेष कर शहरों में क्योंकि आज जो शहर होते हैं वही देहातों का नेतृत्व करते हैं। आज की स्थिति में चूंकि शहर ही देहात के केन्द्र होते हैं और वहां से ही जाति बिरादरी की भावना बढ़ने वाली है इसलिये पार्टी सिस्टम की तरफ ज्यादा प्रवृत्ति हो यह मैं श्रीमन् चाहता हूं और इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो फ्री थिंकर्स का सवाल है और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिये उन्होंने कहा कि वे पार्टियों में नहीं जाना चाहते और वह पार्टियों के चक्कर से दूर रहना चाहते हैं उनके लिये तो मैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से खड़े होने की प्रवत्ति को रोकने की चेष्टा करें। आज देश में क्या हो रहा है। यह बात सही है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति पार्टियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि पार्टियों में बड़ी गन्दगी है और इसलिये पार्टियों में नहीं जाना चाहते और इससे हमारे राजनीतिक आंदोलन में स्पष्टता नहीं आ पाती। हमें चाहिये कि हम चुनाव के विधान को ऐसा करें, ऐसा मौका दें कि ईमानदार व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार जिस राजनीतिक पार्टी में चाहे जाय।

राजनीतिक पार्टियों में जो आपस का झगड़ा है वह योग्य और ईमानदार आदमियों के आने से कम होगा और हमारी वैधानिक योग्यता और राजनीतिक पार्टियों की परम्परायें और अच्छी और परिष्कृत होंगी। तो बजाय इसके कि हम इस बात की चेष्टा करें कि ऐसी मतदान प्रणाली रखें जिससे योग्य और ईमानदार आदमी व्यक्तिगत रूप से खड़े हों हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे योग्य और ईमानदार आदमी राजनीतिक पार्टियों में आयें।

मैं, श्रीमन् अपने मित्र माननीय राम नरेश शुक्ल की तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि लिस्ट सिस्टम अगर होता तो कौन जीतता और आगे के लिये भी भविष्य वाणी नहीं करना चाहता कि अगर लिस्ट सिस्टम हो जाय तो कौन जीतेगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आप ही जीतें। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हम और आप ऐसी परम्पराओं पर पद्धति का प्रयोग करें जिससे कि जनता को अधिकाधिक अपने राजनीतिकरण और जैसी कि हमारी योजनायें हैं उनके अनुसार कार्य करने की शक्ति बढ़े उनकी समझने की शक्ति बढ़े। लोग समझते ही नहीं हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या योजनायें हैं, क्या उन पार्टियों का उद्देश्य है। श्रीमन्, इसी लिये लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के समर्थन में मैं अपना छोटा सा निवेदन रखना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जब मैं माननीय नौरंगलाल जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन का यह विचार है कि लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के जरिये तो लोकल बाडीज में कहीं वोट होते ही नहीं। अगर होते हैं तो पारलियामेंट और असेम्बली के लिये होते हैं।

श्रीमन्, मैं उनसे निवेदन करूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि चार मुल्कों में लिस्ट सिस्टम के अनुसार लोकल बाडीज में एलेक्शन होता है। इसके अलावा जर्मनी में हिटलर के प्रादुर्भाव के पहले और उसके जमाने में भी लोकल बाडीज का चुनाव लिस्ट सिस्टम से होता था। फ्रांस में १९२७ तक होता रहा और अब भी जब कि सिंगल मेम्बर डिस्ट्रिब्युटिव सिस्टम है तब भी वहां सेकेन्ड बैलेट की व्यवस्था है। तो यह कह देना और यह मान लेना कि सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी हो जायगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी का यह विचार है कि लिस्ट सिस्टम को मान लेने से सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी हो जायगी। सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी कैसे होगी? यह लोकल बाडीज का चुनाव है।

श्री मोहन लाल गौतम---मैंने यह नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आपका अर्थ यही था।

श्री मोहन लाल गौतम---नहीं समझे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपका अर्थ यही था। माननीय नौरंग लाल जी ने यह भी कहा कि यह इसलिये प्रजातांत्रिक पद्धति के विपरीत है क्योंकि प्रतिनिधि को पता नहीं चलेगा कि वोटर कौन है और वोटर को पता नहीं चलेगा कि प्रतिनिधि कौन है। मैं तो इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। वह तो उस पार्टी का प्रतिनिधि होगा पार्टी का उम्मीदवार होगा और पार्टी अपना कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखेगी। मतदाताओं को यह मालूम होगा कि फलां पार्टी की यह लिस्ट है। तो फिर कैसे माननीय नौरंग लाल जी को शिकायत है कि वोटरों को मालूम नहीं होगा कि हमारा यह प्रतिनिधि है। क्योंकि लिस्टें तो पार्टीज बनायेंगी और ऐसा भी नहीं है कि वह लिस्ट को छिपा रखेंगी। लिहाजा जनता के सामने यह आयेगा कि किस किस पार्टी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हैं। और जनता उनको वोट देगी। लेकिन जाति के नाम पर नहीं, व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं, रिश्तेदारी के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी प्रोग्राम के नाम पर। उसमें ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ का सवाल नहीं होगा। अगर हमें जाति वाद की भावनाओं को खत्म करने में सक्रिय होना है, तो हमारे सामने आज मौका है कि हम इस संशोधन को स्वीकार करके कि जो हमारी भावनायें हैं, और इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनायें हैं इस को पूरा करने के लिये लिस्ट सिस्टम के सिद्धांत को मानें। और जैसा कि मैंने निवेदन किया इससे यह मतलब लगा लेना कि इसमें कान्स्टीटुएंसी में घपला हो जायगा, मतदाताओं की स्थिति भ्रम में हो जायगी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से लोगों को खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने तो श्रीमन्, देखा है कि ऐसे लोग जो किसी पार्टी में नहीं हैं वह अपने इंडिविजुअल ग्रुप शहर के अन्दर बना लेते हैं, नागरिक दल या सिविल पार्टी, इस प्रकार की बातें हुई हैं। अब भी होती हैं। और पहले भी हुई हैं कि म्युनिसिपैलिटी में नागरिक संघ बना कर चुनाव लड़ लिया ; क्योंकि अब व्यक्तिगत रूप में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी यह समझ गये हैं कि व्यक्तिगत रूप में जीतना मुश्किल होता है पार्टी के मुकाबिले में। मैंने तो यह देखा है कि हमारे यहां स्वयं नागरिक सभा के नाम से स्वतंत्र लोगों ने मोरचा लिया। लिस्ट सिस्टम में तो जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं वह भी फ्री थिंकर के ग्रुप में शामिल होकर एलेक्शन लड़ सकते हैं। वह अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना सकते हैं और अपना म्युनिसिपल प्रोग्राम ले कर वह पार्टी बना सकते हैं। तो मैं यह नहीं मानता कि पार्टी विशेष के लोग इस सिस्टम के अनुसार वोट नहीं दे सकते।

इसके साथ ही साथ बेल्जियम के चुनाव के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने जब विरोध किया तो बतलाया कि छोटे-छोटे मुल्क हैं नार्वे, बेल्जियम, स्वीडन और स्विटजरलैंड, इनसे हमारा क्या मुकाबिला ? वह तो हमारे प्रदेश के मुकाबिले वह तो हमारे देश के के बराबर भी नहीं हैं। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम लोकल बाडीज के बारे में विचार कर रहे ह, प्रांतों की या पार्लियामेंट की या देश व्यापी चुनावों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐण्ट्वर्प, बैल्जियम की राजधानी है और मैं समझता हूं उसकी आबादी लखनऊ से ज्यादा है। दीहेग, ऐम्सटर्डम या स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम इन सब की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े शहर से कम नहीं है। तो यहां पर तो लोकल बाडीज सिस्टम आफ वोटिंग की बात हो रही है और अगर गैर मुल्कों से मुकाबिला करना है तो हमें यह देखना चाहिये कि लिस्ट सिस्टम उन बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के लिये किस प्रकार कंडक्ट किया जाता है और उनसे हमें अनुभव लेना चाहिये। मैंने देखा कि बैल्जियम की चुनाव प्रणाली तो बहुत परिष्कृत रही है और संसार में एक अपना स्थान रखती है, क्योंकि जमाने से, अर्से से इतिहास में भी उनको युद्ध का मौका कम मिला है। शान्तिपूर्ण तरीके से उनको अपनी उन्नति करने का मौका मिला है। इसलिये वह अपने चुनाओं को अच्छा बना सके हैं। तो वहां की जो प्रणाली है वह इस प्रकार है। उसका जो फारमूला है वह प्रो० डि हांट आफ घेंट ने बनाया था जोकि इस प्रकार है—

"The number of representatives returned from each district varied from 3 to 26. In assigning seats to the various lists in a given constituency a special quota was used which allotted at once just the right number of seats. This quota was obtained by dividing the total vote of each list in turn by 1, 2, 3, 4, etc. The resulting quotients were arranged in the order of their magnitude and the seats were assigned to the highest quotients. This is the same as saying that the first seat was given to the list with the largest vote, and each additional seat went to the list which would have with that seat the highest average vote per seat. The D'Hondt quota was the last quotient for which an assignment was made. That this system is very fair in the assignment of seats within a given district is evidenced by the fact that it has been copied widely in Europe."

तो सारे यूरोप में जो लोकल बाडीज के लिये प्रो० डिहांट का फारमूला था उसको स्वीकार किया गया। इससे यह हुआ कि ऐसी पार्टियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला जिनका प्रोग्राम सही था। यानी हमारे माननीय मंत्री जी तो यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के अन्दर या भारतवर्ष के अन्दर कोई एक ही पार्टी पनपे। वे स्वयं चाहते हैं कि स्वस्थ विरोधी दल की आवश्यकता है। वह चीज इस लिस्ट सिस्टम में ही मौजूद है जिस तरह का सिस्टम कि बेल्जियम में है। मैं बेल्जियम के लिस्ट सिस्टम को आदर्श इसलिये मानता हूं कि वहां व्यक्तिगत उम्मीदवारों को भी वोट देने की गुंजाइश है और इस प्रकार जो शंका माननीय नौरंगलाल जी की थी वह समाप्त हो जाती है। तो जो फारमूला लिस्ट सिस्टम का सभी शान्तिप्रिय देशों ने अपनाया है तो हमें भी उससे सबक लेना चाहिये कि हम भी उसके अनुसार कार्य करें।

इससे एक और भी फायदा होता है। इसका हमें उदाहरण फ्रांस में मिलता है। वह यह कि पहले जब कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूटिव मेम्बर सिस्टम था तब तो मतदाता कम आते थे पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिये लेकिन जब से फ्रांस में लिस्ट सिस्टम का अनुकरण किया गया, इस पद्धति के अनुसार वोटिंग शुरू हुई तो वहां पर आश्चर्यजनक रूप से मतदाता आये। इसकी मिसाल मैं मंत्री जी के सामने आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं कि जिस समय सारे फ्रांस में सन् १९२४ के एलेक्शन की बात आयी थी उसमें एनालाइज किया गया कि किस तरह से लिस्ट सिस्टम की वजह से वोट देने के लिये ज्यादा लोग आये। तो इसलिये यह तो और आवश्यक हो जाता है कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रेरणा देंगे तो हमारे यहां भी लोगों की स्वाभाविक इच्छा होगी और वह अधिक से अधिक तादात में वोट देने आयेंगे--

"To what extent was the high poll in 1924 due to the list system of voting? The hybrid election law of 1919 did not operate the same in all parts of the country so it is hazardous to offer any generalization. In certain departments where all the candidates were elected by absolute majorities under both the list and the district systems, it appeared that voting was encouraged by the first trial of the new system but not by the second."

तो जो मैंने बतलाया कि अगर बैल्जियम वाले फारमूला को हम यहां पर प्रयुक्त करेंगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी की जो धारणायें हैं वह निर्मूल साबित होंगी और जो उनकी वास्तविक इच्छा है वह सामने आयेगी। श्रीमन् मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, काफी मैं कह चुका हूं। स्विटजरलैंड में, प्रशा में सक्सोनी में हर जगह यह लिस्ट सिस्टम लोकल बाडीज के चुनाव में कामयाब हुआ है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि माननीय मंत्री जी इसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें। उनको एक यह भी गलतफहमी हुई कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार कम्यूनल पार्टीज को भी मौका मिलेगा कि कम्यूनल पार्टीज भी खड़ी हो सकें। मैं कब नहीं कहता कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कम्यूनल पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम कम्यूनल पार्टीज में विश्वास रखने वाले को मतदाता मान लेते हैं, उसको मेम्बरी के लिये खड़े होने का अधिकार देते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन में कहीं यह नहीं है जो विधेयक हमारे सामने रखा है कि कम्यूनल पार्टी में या जातिवाद में विश्वास रखने वाले मेम्बर या जातिवादी संगठनों का मेम्बर वोटर नहीं हो सकता, या मेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता। तो हम कहां इस सिद्धांत को मानते हैं कि जो कम्यूनल पार्टीज का मेम्बर है वह वोटर या मेम्बर नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी तो उस प्रसंग को स्वयं ले आये। लिस्ट सिस्टम के विरोध में यह प्रश्न उठाना कि साम्प्रदायिक संस्थाओं के लोग भी इसमें खड़े हो जायेंगे मैं समझता हूं कि यह दलील उचित नहीं होगी। अगर माननीय मंत्री जी ने अपने इस विधेयक में इस तरह की कोई गुंजाइश रखी होती कि कम्यूनल पार्टी के लोग खड़े नहीं हो सकते तो मैं समझता कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार तो ऐसे लोग भी खड़े हो सकते हैं। पिछले आम चुनाव में तो जाति वाद के नाम पर खड़े हुये लोगों को भी सिम्बल दे दिये गये थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत जगहों पर वे जीते भी। आज मध्य भारत और राजस्थान के अन्दर उनका बड़ा मजबूत विरोधी दल भी है। तो यह मानकर चलना कि लिस्ट सिस्टम से साम्प्रदायक भावनाओं को तरक्की मिलेगी और यह कहना कि लिस्ट सिस्टम से जाति-वाद या जातिवादी पार्टियों को भी मौका मिलेगा और इस लिये इसका विरोध करना, मैं उपयुक्त नहीं समझता। तो मैं श्रीमन्, फिर माननीय मंत्री जी से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आज जब कि हमारे इस प्रदेश में प्रजातंत्र एक नवजात शिशु की तरह पालने में हिंडोलन ले रहा है, जब कि हमारे प्रांत की कोटि-कोटि जनता अभी तक प्रजातंत्र की भावना में मंज नहीं पाई है, और जब कि हमारे प्रदेश के लक्ष्य-लक्ष्य मतदाता राजनीतिक कार्यक्रमों की पद्धति को समझ नहीं पाये हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम लिस्ट सिस्टम को अपनायें। आज चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से नहीं, या चुनाव लड़ने या हारने के दृष्टिकोण से नहीं, चुनाव को अखाड़ा या मल्लयुद्ध का स्थान समझने के दृष्टिकोण से नहीं, वरन् चुनाव राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों को अधिक स्पष्ट करने के लिये और जनता को इस लायक बनाने के लिये कि वह इसको अंगीकार कर सकें, लिस्ट सिस्टम को अपनाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से फिर आशा करता हूं कि वह इसको प्रतिपादित करे और मंजूर करे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, आप की अनुमति से मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा पेश किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही श्रीमन् मैं समझता हूं कि मैं उन्हें धन्यवाद भी दूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करने का हम को अवसर दिया है। मैं चाहता यह हूं कि इस समस्या पर केवल दलगत भावना से प्रेरित न होकर केवल यह सोचकर कि चूंकि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, या यह सोचकर कि चूंकि समाजवादी लोगों ने इसे पेश किया है, हम इसे बहुत ही छिछले ढंग से न सोच लें। चीज महत्वपूर्ण हो सकती है हर एक प्रजातंत्रवादी समाज के लिये कि किस प्रकार से जनमत का प्रदर्शन हो, उसका उपयोग हो और सदुपयोग हो लेकिन इसके साथ ही साथ हमको चुनाव के संबंध में जो इतिहास यहां पर उपस्थिति किया गया है और उसका जो ऊहापोह हुआ है उसपर भी थोड़ा सा विचार कर लेना होगा। माननीय श्री नारायण दत्त जी ने बेल्जियम फ्रांस इत्यादि की बहुत सी बातें बतला दीं। मुझे थोड़ा दुःख है कि उन्होंने उस समय की बेल्जियम की प्रणाली का जिक्र किया जिस समय बेल्जियम की लालटैनें हमारे यहां बहुत बिका करती थीं और बहुत मशहूर हुआ करती थीं। वह जमाना बीत गया। आज मैं पूछना चाहता हूं सदन से, कि जब से समाज में नये प्रकार का विघटन हुआ है, प्रजातंत्र की नयी धारा

बह चली है, कौन सा ऐसा देश है जिसने की लिस्ट सिस्टम को अपनाया है, जिसने नया संविधान बनाया है और साथ ही साथ लिस्ट सिस्टम रखा है।

रूस का एक विचित्र उदाहरण है। आजकल की दुनियां में इस विचार से कि और प्रगतिशील दल न पनपें, उसने ही केवल एक ऐसा अद्भुत सिस्टम निकाला है। वहां तो केवल एक ही दल और एक ही पार्टी रहती है। इसके साथ ही जो पुराना तरीका चुनाव का है, खासकर म्युनिसिपैलिटी के संबंध में, वह हम सभी जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटी हिन्दुस्तान की नहीं, यूरोप की नहीं, युनान की एक चीज है। म्युनिसिपम् शब्द से आज हमने म्युनिसिपैलिटी शब्द ग्रहण किया है। वहां पर पुरानी यूनानी सभ्यता में चुनने का एक तरीका हुआ करता था और वह ब्लैक बाल और सुफेद बाल का हुआ करता था। जो वोट दे वह जिस को वोट दिया जाय उसको जाने, और वोट जिसको दिया जाय वह वोट देने वाले को जाने कि कौन उसको वोट दे रहा है। धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होता गया। जब माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि इंगलैंड की प्रणाली पहले पनपी, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के संबंध में इंगलैंड की प्रणाली हम से कुछ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इंगलैंड में सब से पहले जो बैलट से चुनाव हुआ है, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि १८७० में हुआ था और वह म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये भी नहीं बल्कि लंदन के एक स्कूल बोर्ड के एलेक्शन के लिये वह पहला मौका था जब कि बैलट का उपयोग हुआ। उसके बाद सन् १८७२ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में बैलट प्रथा का इंगलैंड में सब से पहले श्रीगणेश हुआ। हमारा सब से पुराना म्युनिसिपल ऐक्ट, माननीय सदस्यों को मालूम होगा, बम्बई का सन् १८८८ का है, तो इस प्रकार इन दोनों जगहों के समय में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ एक यह बात भी है कि इंगलैंड के चुनाव की प्रथा का जिक्र किया गया तो उसमें काफी परिवर्तन धीरे-धीरे बहुत समय से होते रहे और मुझे याद है और माननीय सदस्यों को शायद जानकर संतोष भी होगा कि बहुत दिन पहले की बात है, सन् १४३० ए० डी० की बात होगी, जब कि यह प्रणाली वहां पहले पहल आरम्भ हुई कि वोट वही दे जिसके पास कोई पूंजी हो, जो मकान में रहता हो, जो प्रापर्टी टैक्स देता हो या जो किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन वोट देने की रखता हो।

यह सन् १४३० ए०डी० की बात है। तब से लेकर आज तक दुनियां यह सोचती चली आ रही है कि कौन सी ऐसी प्रणाली अपनाई जाय जिस प्रणाली से जनमत का सब से अच्छा प्रदर्शन हो सके। और इस जनमत के प्रदर्शन के संबंध में लिस्ट प्रणाली के साथ ही साथ प्रपोरशनल रिप्रेजेनटेशन का बहुत ही घना संबंध है, उसी के साथ प्रपोरशनल रिप्रेजेनटेशन की चीज भी आती है। बात कही गई बेल्जियम और फ्रांस की फ्रांस के इतिहास से जो परिचित होंगे उनको यह मालूम होगा कि १९२७ ई० के बाद फ्रांस की जो नई विचार धारा पनपी उस विचार धारा ने जो सब से अहम बात कही वह यह कि हमारे वोट की जो प्रणाली है उसमें संशोधन होना चाहिये। ल्यूपोल्ड को गद्दी से हटाने का समाजवादियों ने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने उसी के साथ-साथ यह नारा भी बुलन्द किया कि हमारे यहां जो मतदाताओं की प्रणाली है वह बहुत गलत है और चूंकि इस गलत प्रणाली से राइट विंगर चुने गये हैं अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि ल्यूपोल्ड गद्दी पर बैठा रहे, हम इसको नहीं मानते तो यह उन्होंने वहां पर मांग की। जिस लिस्ट प्रणाली का यहां पर जिक्र किया गया उन्होंने उसका डट कर, जम कर और कस कर विरोध किया और फ्रांस में जो नई विचार धारा पनपी उस विचार धारा के पनपने के साथ सेकेन्ड बैलेट के सिस्टम को रिमूव करने की सबसे पहली कोशिश की गई और लड़ाई के बाद जो वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सोशलिस्ट पार्टी का जो योग प्राप्त हुआ था, उसने कहा कि इस प्रणाली को भी बदल देना चाहिये।

फ्रांस में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव से ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आज पिछले करीब ७, ८ वर्षों से जितने

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

प्रधान मंत्री हुये हैं, उनमें वर्तमान प्रधान मंत्री को छोड़ कर शायद कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं हुआ जो १५ या २० वर्ष तक अपनी काउण्टी का मेयर न रहा हो । वे मेयर होना अपने चुनाव के लिये इतना जरूरी समझते हैं कि प्रधान मंत्री रहते हुये भी वे मेयर बने रहते हैं । प्रधान मंत्री के लिये यह जरूरी नहीं है कि प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठ कर वह किसी काउण्टी का मेयर न रहे। फ्रांस में उन्होंने ऐसी प्रणाली रखी है जिस प्रणाली से म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के द्वारा वे अपनी राजनीतिक शक्ति को भी अक्षुण रख सकें लेकिन इस प्रणाली में जो दोष हैं उनके कारण ही आज ऐसा हो गया है कि वहां न कोई सरकार टिक पाती है न कोई प्रणाली पनप पाती है। श्रीमन् आज इस संबंध में फ्रांस के जिस चुनाव का जिक्र श्री नारायण दत्त जी ने किया, इस चुनाव के जो दोष हैं वह तो हैं ही, एक तरफ कनाडा ने भी इसे ग्रहण किया और आज साउथ अफ्रीका तथा आयरलैण्ड में भी प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रथा है, टसमानिया में प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रथा है, न्यू साउथ वेल्स में है और कनाडा के म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन में है । साउथ अफ्रीका के म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन में है और आज कनाडा में जो यह प्रथा है····

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें सदस्यों को हंसने में आनन्द आ रहा है। यह उचित नहीं है।

यह जो नई प्रथा है जो कि कनाडा में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये है और जिस प्रथा के बारे में कुछ ऐसा हो गया है कि वहां आज एक बहुत बड़ा आंदोलन म्युनिसिपैलिटी के सुधार के लिये पनप रहा है। आज वहां पर कन्जर्वेटिव गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट बनी है और वह जो करना चाहती है वह यह भी है कि प्रपोरशनल रिप्रेजेण्टेशन को बदल दिया जाय । चूंकि यूरोप का बहुत जिक्र किया गया और यूरोप के बारे में बहुत सी बातें कही गईं इसलिये मैंने यह उचित समझा कि योरप के बाहर का भी जिक्र कर दूं, मुमकिन है कि हमारे मित्र यह जरूरी समझें कि यूरोप के बाहर की चीजें भी टटोली जायं। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि रूस में ऐसी गवर्नमेंट है जो कि किसी चीज में विश्वास नहीं करती है सिवाय अपनी एक प्रणाली में। इसके विपरीत कितने भी संसार के प्रगतिशील दल हैं वह यह समझते हैं कि चुनाव की प्रथा को जब तक प्रत्यक्ष न रखा जाय, जब तक डाइरेक्ट न रखा जाय, जबतक उसको किसी बाधा और बन्धन से परे न रखा जाय तब तक जनता की विचार धारा का पोषण नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकती । मेरे एक मित्र ने यहां पर यह बताया कि यदि स्वीटजरलैण्ड की प्रथा को हम समझ लें तो उचित होगा, चाहे स्वीटजरलैण्ड हो चाहे बेल्जियम हो। स्वेडन तो एक ऐसा देश है जो कि शायद मैं समझता हूं कि यूरोप का आदर्श देश है। स्वेडन की जो प्रणाली है उस के विषय में लोगों को बहुत बड़ी आस्था है। आज स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जो कम्यूनिस्ट देश हैं वे शिकायत यह करते हैं कि स्वीडन में हमारा प्रभुत्व इसलिये नहीं हो पाता कि वहां राइटविंगर्स प्रोपर्शनल रेप्रेजेंटेशन की बहुत बात किया करते हैं। दूसरे कम्युनिस्ट जहां किसी को दकियानूसी साबित करना चाहते हैं वह कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन बहुत गलत चीज है लेकिन जहां पर खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर लिस्ट सिस्टम रखते हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या कहा उस विषय में मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं। वह अपने पक्ष की सफाई तो स्वयं देदेंगे। मैं अन्त में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं और बड़े जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी भाई जो वास्तव में प्रगतिशील हैं जो समझते हैं कि कम्युनिस्ट प्रकार की विचारधारा बहुत घातक है, हमारे देश के लिये ही नहीं बल्कि संसार भर के लिये, उनको उस ओर नहीं जाना चाहिये जिस ओर जाने से फ्रांस हिचकिचा रहा है, कनाडा में उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और साउथ अफ्रीका में उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। जहां जहां इस प्रकार की प्रथा है वहां वहां

उसका घोर विरोध किया जा रहा है। वैसी बात यहां कह कर वे अपने को ही प्रतिक्रिया-वादी न बनायें तो अधिक उचित हो।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---मैं त्रिपाठी जी के इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस सदन को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्रदान किया और उसी के साथ साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी को भी बधाई देता हूं जो भाव उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किये हैं उसके लिये। परन्तु मैं उसी के साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसमें बहुत सी बातें माननीय नारायणदत्त जी ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी आदि युरोपीय देशों का मतदान प्रणाली के बारे में बताई हैं। उसका जवाब माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उन्हीं के शब्दों में बड़े सुन्दर तरीके से दिया है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जो लिस्ट वाली प्रणाली है उसका यूरोपीय देशों में भी अनुकरण नहीं किया जा रहा है केवल रूस में उसका अनुकरण किया जा रहा है। और जहां गलती से इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, जिन चार देशों में प्रयोग किया जा रहा है वहां भी लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने भी इसको बतलाया।

मुझे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन को यह बतलाना है कि यह प्रणाली जो मतदान की है इस पर हमको भारतीय दृष्टिकोण से विचार करना होगा और यह सोचना है कि हमारे लिये सहूलियत किस में पड़ती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष में इस में शक नहीं कि पार्टी लाइन पर एलेक्शन कराना हमने आरम्भ कर दिया है और अभी असेम्बली के एलेक्शन हुये हैं यह एलेक्शंस भी पार्टी लाइन्स पर होंगे लेकिन उसी के साथ साथ हमको यह मानना पड़ेगा कि दलगत पद्धति हमारे यहां उतनी उन्नति नहीं कर सकी है जितनी कि विलायत में या अन्य पश्चिमी देशों में इसमें हुई है। यह मतदान का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको सब मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारी जनता उतनी शिक्षित नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों की है। तो हम उसके लिये करें क्या। यह लिस्ट सिस्टम का संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है इसका अर्थ यह होगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, कि बहुत से ऐसे लोग जो उपयुक्त उम्मीदवार हों परन्तु किसी कारण से किसी पार्टी में न जाना चाहते हों तो क्या उनके लिये हम दरवाजा बन्द कर देंगे? माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि यह बहुत अनुचित होगा और माननीय मंत्री जी की इस बात का उन्होंने खंडन किया और यह कहा कि पार्टी लाइन्स पर ही एलेक्शंस होना उचित है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स लोकल संस्थायें हैं और इस समय हम म्युनिसिपल बोर्ड्स के ऊपर विचार कर रहे हैं। असेम्बली और स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली में हमें भेद करना होगा। वहां पर तो केवल तीन चीज मुख्य है जिन पर हमें काम करना पड़ता है (१) सैनीटेशन (२) कम्यूनिकेशन और (३) एजूकेशन। असेम्बली और पार्लियामेंट में हम विधान बनाते हैं लेकिन वहां हम विधान नहीं बनाते हैं बल्कि उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। ज्यादातर हमारा समय इसी में जाता है कि कौन सा कार्य हम जनहित की दृष्टि से एक्जीक्यूट करें। यह बात हम करते हैं।

मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि म्युनिसिपल बोर्डस में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में और पंचायतों में कभी भी दलगत रूप में इलेक्शन नहीं होने चाहिये बल्कि १० प्रतिशत जो सर्वोत्तम लोग हैं उन्हीं को इन स्थानीय संस्थाओं में हमको भेजना चाहिये। अगर हम पार्टी लाइन्स पर इलेक्शन करने लगें और कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को ही भेजें तो सिद्धांत का प्रचार तो हम जरूर करेंगे लेकिन मेरा ख़याल यह है कि जब हम कार्य रूप में परणित करने लगेंगे तो बहुत कठिनाई होगी और बहुत से सर्वोत्तम व्यक्ति छूट जायेंगे। वहां हम दूसरे दृष्टिकोण से कार्य करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह जो संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वह अव्यवहारिक है।

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

जैसा कि मैंने बतलाया कि जहां जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह के इलकशन्स हुये हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के तो खैर ज्यादा इलेक्शंस नहीं हुये तो वहां पर बहुत से सर्वोत्तम व्यक्ति जो थे वे छूट गये और वैसे लोग आ गये इस प्रकार वहां पर वन मैन्स रूल हो जाता है। हमारे यहां सर्वोत्तम आदमियों का मिलना मुशिकल हो जाता है मैं विरोधी दल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनके यहां बोर्ड्स के लिये ५० आदमी भी नहीं मिलेंगे हां कांग्रेस में तो आदमी मिल जायेंगे लेकिन शायद उनके यहां न मिलें और यही नहीं मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया इससे प्रकट होता है कि उनका ख़याल यह है कि हिन्दुस्तान में केवल दो ही पार्टी हैं (१) कांग्रेस और (२) सोशलिस्ट पार्टी और वह समझते हैं कि पार्टी लाइन्स पर ही इलेक्शन होगा। वह लिस्ट पेश करेंगे और उसी पर मतदान दिये जायेंगे तो यह बात नहीं बल्कि इलेक्शन के वक्त बहुत सी पार्टीज पैदा हो जाती है जैसे पिछले इलेक्शन में जन संघ और राम राज्य परिषद् वगैरह पैदा हो गईं और बहुत से लोग जो स्वतंत्र कहलाते थे तो उन्होंने भी जातिवाद का बड़ा प्रचार किया। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्री बन गया और लोगों से वोट्स मांगे और हम बहुत से समाज-वादी भाइयों को जानते हैं जिन्होंने जातिवाद का प्रचार किया और इस बुनियाद पर वोट मांगते थे। व्यवहारिक रूप में जब हम आते हैं तो जातिवाद की बात चलने लगती है और यह प्रश्न जातिवाद के रूप में आजायगा और इसमें वही प्रचार होने लगेगा कि जिस चीज को हम रोकना चाहते हैं, हम कम्यूनेलिज्म को देश से निकालना चाहते हैं तो वही बात आजायगी और लोग जानते हैं कि जातिवाद के प्रचार से हिन्दुस्तान का सर्वनाश हो जायगा। जिस चीज को हम करने जा रहे हैं इससे हम जिस चीज को रोकना चाहते हैं उसी को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि जो आप भला करना चाहते हैं तो मेरे विचार से इससे कोई भलाई नहीं होगी बल्कि नुक्सान ही होगा। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह इसको उठा लें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी बड़ी तकरीरें इस सदन में कौन सिस्टम आफ वोटिंग हमारी म्युनिसिपैलिटीज के लिये अच्छा होगा दी गईं। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान पूर्वक सुने और हर एक वक्तृता की अच्छाई और उसकी गहराई तक अपने दिमाग के मुताबिक पहुंचा। मैंने देखा कि इस सदन में इस विषय पर तीन प्रकार के भाषण हुये हैं। पहले भाषण वे हैं जिनमें एकेडेमिकली डिसकस किया गया और यह बतलाया गया कि दुनियां में सबसे अच्छा सिस्टम आफ वोटिंग म्युनिसिपैलिटीज के लिये कौन हो सकता है। दूसरे क्लास के भाषण वे हैं जिनमें यह बतलाया गया कि हिन्दुस्तान के लिये सिस्टम आफ वोटिंग कौन सा अच्छा हो सकता है परन्तु उसमें यह नहीं बताया गया कि हिन्दुस्तान के लिये आज की परिस्थितियों में वह अच्छा होगा या आने वाले सालों में वह सिस्टम अच्छा होगा। तीसरे क्लास के भाषण वे हुये जिनमें क्लेरिटी आफ थाट स्वच्छ और साफ नहीं थी, वह नहीं बता सकते थे कि उनके दिमाग का जो फैसला है और उनकी जो च्वायस है वह किस सिस्टम के लिये है। उसे मैं एक गूंज मूंज का सिस्टम कह सकता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें किस सिस्टम आफ वोटिंग की जरूरत है। वह फैसला इस सदन को करना है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले क्लास के भाषण जो हैं जिन्होंने बताया किए केडेमिक इंट्रेस्ट के दृष्टिकोण से कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग अच्छा होगा रूस का अच्छा होगा, बेल्जियम का अच्छा होगा, इंग्लैंड का या जर्मनी का अच्छा होगा या स्वीट्जरलैंड का अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के भाषण बाहर के सिस्टम आफ वोटिंग के संबंध में यहां होने ही नहीं चाहिये थे जब कि हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जिस स्टेज को हम नेसेसरी ईविल कह सकते हैं। हम जानते हैं कि हम

बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन आज की परिस्थितियां जो हमारे देश को जकड़े हुये हैं वे ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको इतिहास का विद्यार्थी जिसने हिस्ट्री आफ दी ग्रोथ ऐंड डेवलपमेंट आफ दी सिविलिजेशन ऐंड कल्चर आफ दी वर्ल्ड का अध्ययन किया हो वही इसका हल ढूंढ सकता है। मैं इस सदन के सामने एक नया दृष्टिकोण पेश करना चाहता हूं। वह दृष्टिकोण यह है कि जानवर, पौधे, इन्सान इन सबकी विचार धारायें, उनका विधान, शासन प्रणालियां, उनके कस्टम्स, जो होते हैं वे अपने अपने देश की स्थिति पर निर्भर करते हैं उसके देश के वातावरण और आबोहवा के मुताबिक होते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने लखनऊ जू को देखा है, आजकल भी कई मर्तबा देखने गया, वे जानवर जो पहाड़ों पर बड़े खूबसूरत मालूम होते थे, पहाड़ों की चोटियों पर स्वतंत्र विचरण करते थे आज लखनऊ के जू में उनकी रोती सूरत दिखलाई देती है और उनकी सुन्दरता का दिवाला निकल गया है। जो पौधा इंग्लैंड में हरा-भरा दिखलाई देता है वह यहां रोता ही नजर आता है। इसी तरह यह ठीक है कि दुनियां के दूसरे मुल्कों में शासन प्रणालियां बहुत अच्छी-अच्छी हैं, वहां के कस्टम्स, फंक्शंस, वहां का सिस्टम आफ गवर्नमेंट बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी बातें सिस्टम आफ़ वोटिंग की बतलाई गई हैं और उनकी खूबियों को बताया गया मैं उससे इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस क्लाइमेट आफ ओपीनियन में जो कि इस वक्त हमारे देश की है वह इसमें पनप सकता है। जो वातावरण आज हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हैं क्या यह उनकी लाइफ को डेवलप कर सकता है। क्या उस प्रकार से यह सिस्टम डेवलेप कर सकता है जिस प्रकार से उन देशों में उस सिस्टम से वहां की लोकल संस्थाओं को डेवलप किया है। इन सब विचार धाराओं पर विचार करते हुये और इन सब बातों की, जो इस सिस्टम की हैं, खूबसूरती को देखते हुये और उसको मानते हुये हमें यह देखना है कि हमारे देश का विकास इस समय एक प्रारम्भिक स्टेज से गुजर रहा है। उस विकास के स्तर पर हमारे देश के लिये कौन सिस्टम आफ़ वोटिंग उचित होगा यह फैसला इस सदन को करना है। अगर इस प्रकार से यह सदन फैसला करता है कि समाज के विकास का जो स्तर है और हमारे देश का जो इस समय कलचरल डेवलपमेंट हो रहा है उसको अगर आप नजर अन्दाज कर देते हैं और यह सिस्टम आफ वोटिंग हमारे देश के ऊपर थोप देते हैं तो मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की वही हालत होगी जो कि बाहर से आये हुये जू में बन्द जानवरों की है। इतना ही नहीं बल्कि आप हमारे समाज को उसी प्रकार से ढाल देंगे जिस प्रकार से आज वह जानवर जू के अन्दर मुरझाये हुये नजर आते हैं।

मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विषय को यहां पर उठा कर विवाद छेड़ा है और डिस्कस करने का मौक़ा दिया है। म यह समझता हूं कि आंखें मूद कर इस सदन को सिस्टम आफ वोटिंग पर फैसला नहीं करना चाहिये। हर विषय के पक्ष और विपक्ष की बात सामने रख कर फैसला करना चाहिये और माननीय सदस्यों के सामने वह बातें अवश्य उपस्थित कर देना चाहिये ताकि अपने मुल्क की हालत देखकर, और समाज की प्रगति को देख कर उस पर हम फैसला कर सकें कि कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग हमारे लिये उचित होगा। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जो इस अधिनियम के अन्दर यह दफ़ा रखी गई है इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये, रखी गयी है और यह प्राविजन इस सेक्शन के अन्दर रखा गया है। यह हो सकता है कि उतना अच्छा न हो मैं इस बात को मंजूर करता हूं लेकिन आज मजबूरी की हालत में क्योंकि हमारे समाज की हालत अभी प्रारम्भिक दशा में है, इस प्रकार का सिस्टम उचित नहीं हो सकता। आज हमारा देश ग़रीबी से जकड़ा हुआ है, मुफलिस है और वह ग़रीबी से आजाद नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के सिस्टम को थोप देने के नाकाबिल है। हमको इस समय अपने देश के अन्दर विकास करना है और म्युनिसिपैलिटी के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसलिये इस अधिनियम के अन्दर जो धारा रखी गयी है मैं उसका समर्थन करता हूं और जिन भाइयों के खिलाफ मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

वह इन दलीलों के आधार पर किये हैं जो कि बिलकुल सही हैं। अगर फिर भी कोई सज्जन नाराज होते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री शिवनारायण—श्रीमान् जी, मैं बलोजर मूव करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर मैं समझता हूं कि काफ़ी बहस हो चुकी है और अब राय लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में उठाई गई दलीलों का जवाब देने के पहले मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विषय को सदन में पेश करने के लिये मुझे धन्यवाद दिया और साथ ही उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर के कार्यवाही में हिस्सा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, वादविवाद इस संबंध में काफ़ी हो चुका है और मैं सदन का ज्यादा समय न लूंगा लेकिन दो तीन ऐसी ग़लतफहमियां हो गई हैं जिनको दूर करना जरूरी है। जहां तक लिस्ट सिस्टम का जिक्र किया गया उसमें दूसरे देशों की मिसालें भी पेश की गई, बेलजियम केनाडा, हालैण्ड और रूस वग़ैरह की लेकिन जहां तक मेरा निजी संबंध है मैं तो कुछ अंशों में नानकन्फ़र्मिस्ट हूं और मैं किसी बात को चाहे वह कहीं भी लागू हुई हों एक डागमा की तरह मान लेना अपना फ़र्ज नहीं समझता। मैंने कहा था कि अगर इस सिस्टम को मान लिया जाय तो काफी सुधार हो सकता है और उन दलीलों की रोशनी में जो श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश की हैं हो सकता है कि दूसरे देशों में नतीजा कुछ और निकला हो, इसी वजह से मैंने कह दिया था कि लिस्ट सिस्टम कोई लिरिक नहीं है जिसमें कुरानशरीफ़ या वेद की तरह कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। उसका खास आइडिया यह है कि ऐसी प्रणाली होना चाहिये कि जिससे देश और प्रदेश की जनता व्यक्तिवाद से हटकर राजनीतिक पार्टियों की पालिसी और प्रोग्राम को समझें और इस तरफ अपना ध्यान दें।

पिछले चुनाव में मुझे याद है कि अगर रोज नहीं तो तीसरे चौथे दिन देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय इनडिपेंडेंट केन्डीडेट्स के बारे में निकलती थी और उनका कहना था कि स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट देना अपने वोट को बेकार करना है। मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूं तो माननीय स्वशासन मंत्री भी इस प्रदेश के पार्लियामेंटरी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे और उन्हीं के द्वारा यह चीजें फैलायी गई थीं और प्रचार किया गया था और अखबारों और पैम्फलेट्स के जरिये से पंडित जवाहर लाल जी के आईडियाज स्वतन्त्र केन्डीडेट्स के बारे में बताये जाते थे कि वह कभी भी देश की नीति को नहीं बदल सकते। इसलिये अगर हम स्वतंत्र उम्मीदवार की परिभाषा करें तो यही है कि जिसकी कोई पालिसी प्रोग्राम या उसूल न हो और इस वास्ते उसको प्रोत्साहन देना उचित न होगा। प्रश्न यह उठाया गया कि लिस्ट सिस्टम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हर आदमी कोई पार्टी ज्वाइन करे और जो सच्चे या ईमानदार लोग किसी पार्टी में नहीं आना चाहते वह भी मजबूर हो जाते हैं। यह कोई लिस्ट सिस्टम का दोष नहीं है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर फ़ख्र हो सकता है तो वह लिस्ट सिस्टम ही है और यह पोलिटिकल पार्टीज के लिये एक जबरदस्त इनिशियेटिव होगा। किसी तरह भी वोट मिले चाहे उन्हें किसी सैक्टेरियन कैंडिडेट को लेकर ही आगे बढ़ाना हो। अगर लिस्ट सिस्टम मान लिया गया तो हर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को मौक़ा दें जो कि हमारी पार्टी में आवें। हमारा विश्वास है कि बहुत से ऐसे लोग

हैं जो पोलिटिकल पार्टीज की दलबन्दी में आना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने काफ़ी त्याग देश के वास्ते किया ह और योग्य भी ह । हम यह नहीं चाहते कि किसी ऐसे आदमी को पीछे ढकेला जाय । माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ही कहा कि हम २० परसेंट फ्रेश एलीमेंट जरूर लेंगे । हम यह नहीं चाहते कि यदि कोई कांग्रेस में हो या सोशलिस्ट पार्टी में हो तो वह जरूर ही योग्य है और लिया जाना चाहिये ।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने एक ही सांस में दो बातें कह डालीं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं । यह देखकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । एक तरफ तो यह लांछन लिस्ट सिस्टम प्रणाली पर लगाया गया कि उससे किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौक़ा नहीं मिलता और दूसरी ओर यह कहा गया कि इससे तो फ़ासिस्ट तरीके की मनोवृत्ति झलकती है । ये दोनों बातें एक साथ बड़ी भारी ग़लतफ़हमी हैं । हम यह नहीं चाहते कि इंडिविजुअल्स को हम जानबूझ कर न दें । यह लिस्ट सिस्टम का दोष नहीं है । पोलिटीकल पार्टीज को अपने को खुद दुरुस्त करना चाहिये और योग्य आदमियों के लिये उनका दरवाजा खुला होना चाहिये । यह भी कहा गया कि लिस्ट सिस्टम से तो कम्यूनल पार्टीज भी अपना काम बना सकती हैं । यह एक विवादग्रस्त विषय है कि कम्युनल या रिलीजस पार्टीज को रिकगनाइज करना चाहिये या नहीं । मैं इसमें इस समय नहीं जाना चाहता । लेकिन दुनिया जानती है कि चाहे हमारी दिक्क़त कुछ भी क्यों न हो, अच्छा होता कि धर्म के नाम पर पोलिटीकल पार्टीज हमारे देश में न होतीं । लेकिन चूंकि हमारा विधान इस बात की गारंटी करता है कि हम आर्गेनाइजेशन और फ्री एक्सप्रेशन आफ़ आइडियाज को छूट देते हैं, इसलिये हमारी मजबूरी है । हम जानते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में ताक़त है तो हम अवाम को अपनी ओर खींच लेंगे ।

राजस्थान और मध्यप्रदेश को आप ले लीजिये जहां की विचारधारा कुछ हद तक और ही है । आप देखिये कि राजस्थान में तो विरोधी दल भी रामराज्य परिषद का बना हुआ है जब कि हमारे यहां एक भी उम्मीदवार नहीं आया । आप देखिये कि लगातार जितने चुनाव होते जा रहे हैं उनसे प्रकट है कि जनता कम्यूनैलिज्म को दूर करती जा रही है । हमें कम्यूनैलिज्म का मुक़ाबला करना है । उसे खत्म करने का सब से सुन्दर तरीक़ा लिस्ट सिस्टम आफ़ वोटिंग का है । वही पार्टीज कामयाब होंगी जिनके पास हर मसले का हल होगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । त्रिपाठी जी कृपा करके बतलावें कि मुसलिम लीग जब वहां पर थी तो मुसलिम लीग पार्टी ने भी इस देश में लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के लिये कहा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने काफी कोशिश की । मैं इस बात को ग़लत समझता हूं कि किसी ऐसी पार्टी का नाम लेकर इस क़िस्म का प्रश्न पूछा जाय जिससे माननीय विधान सभा के सदस्यों को ठेस पहुंचे । मुसलिम लीग की बात अगर सही मान ली जाय और अगर आप मुसलिम लीग की बात कहते हैं तो उसने सरमायेदारी को खत्म करने की बात कही थी, जमींदारी एबालिशन की बात भी कही थी, जिसका राजा साहब से खासतौर से संबंध है । तो क्या राजा साहब यह समझते हैं कि किसी प्रतिक्रियावादी पार्टी की अगर कोई उन्नत विचार धारा हो तो उसे न अपनाया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिन चीजों को पाकिस्तान अमल में लाया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस क़िस्म की बातों में मुस्लिम लीग का सवाल नहीं है । मुस्लिम लीग की इस क़िस्म की बात को एक तरफ़ तो हम न मानें, मुस्लिम लीग के श्री लियाकत अली खां जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूंजीपतियों पर टैक्स की सीमा बांध दी और इस तरह का एक लिमिट कर दिया कि तीन लाख से नीचे के लोगों का एक्जेम्शन होना चाहिये

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

लेकिन बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर आये उन्होंने उस लिमिट को और बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग जो थी वह ग़लत रही हो लेकिन लिस्ट सिस्टम की बेसिस बदलती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बतलाऊं की राजा साहब ने एक सवाल छेड़ दिया तो उसका जवाब भी देना ही है। अगर आज देश के मुसलमानों को किसी गवर्नमेंट से इस बात की शिकायत है कि वे शान्ति से नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनकी लाइफ और प्रापर्टी की गारण्टी न हो तो हुकूमत को हजार मर्तबा सोचना चाहिये कि कौन सा सही तरीक़ा है जिससे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एलान किया है कि जो हिन्दू हिन्दुस्तान के मुसलमानों के विरोधी हैं वे पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो मुसलमान हिन्दुस्तान के मुसलमानों के मित्र हैं वे पाकिस्तान के विरोधी हैं। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ऐसा ख़याल न किया जाय कि मुस्लिम लीग की बातों को याद करके हम कहीं इस तरह से ग़लती करें और ऐसे लोगों की बातों में न खेल जांय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे देश के मुसलमान हैं वे पहले की मुस्लिम लीग को नहीं चाहते। इसकी मिसाल मैंने पेश की थी। और मैं समझता हूं कि राजा साहब कुछ दिनों के बाद किसी न किसी पार्टी की शरण लेंगे. और वे इस प्रकार की कोशिश में हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हमेशा कोई आदमी अपने उसूल को न बदले। मैं समझता हूं कि जो आदमी पुराने उसूलों पर रहते हुये समय को देखते हुये नया उसूल नहीं अपनाता उसे इन्सानियत का दावा नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी पहले मुस्लिम लीग पार्टी का मेम्बर था और आज वह कांग्रेस में या सोशलिस्ट पार्टी में है तो उसके खिलाफ इस तरह की राय रखना गलत है और राजा साहब को अपनी राय दुरुस्त कर लेनी चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब क्षमा करेंगे जिन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया, यह जरूरी था कि उनको उत्तर दे दिया जाय। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से लोगों ने यह प्रश्न उठाया एक ग्लेमरस कैंडिडेट सामने आ जाता है और एक कैंडिडेट को देखकर तमाम लोग उनको वोट दे देते हैं और दूसरा कैंडिडेट उनकी आंखों में नहीं जाता। यह फैसिज्म प्रणाली है लेकिन मैंने लिस्ट सिस्टम को मोडिफाई करके पेश किया कि इस तरह से हम अपनी म्युनिसिपैलिटियों के लिये अपलाई करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि पूरे शहर के लिये कंस्टीटुएंसी हो या पूरे प्रान्त के लिये कंस्टीटुएंसी हो हर एक वार्ड की मेम्बर के हिसाब से अलग अलग कंस्टीटुएंसी होगी। पार्टी का बैलट पेपर इश्यू किया जा सकता है और दूसरी पोलिटिकल पार्टी चुनाव आफिसर के हाथ लिस्ट भेज सकती है।

कहा गया है कि बेलजियम में यह प्रणाली थी और रूस में भी यह प्रणाली थी। लेकिन हम पुराने इतिहास को उठा कर देखें और इस पर सही रूप में विचार करें तो लिस्ट सिस्टम को अपना सकते हैं। मैंने लिस्ट सिस्टम और क्युमुलेटिव सिस्टम को बहुत कुछ एक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यह डोगमा है। इससे सीकरेसी आफ बैलट की गारण्टी हो जायगी। और जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया इसमें पेपर इकनामी की हद है, इसमें बहुत कम पेपर लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम से इनडिविजुअल पर कोई रुकावट नहीं डाली गयी है। जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने बतलाया कि दो चार आदमी ग्रुप बना कर जायेंगे।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि अमेरिका और इंगलैंड में आज कितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं। इंगलैंड में तो पिछले चुनाव में ५, ७ पार्टीज थीं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिक पार्टियों का होना जरूरी है। किसी भी देश में दो तीन या उससे अधिक पार्टियों का होना ही एक बात का साइन है कि वहां डेमोक्रेसी हेल्दी है। उपाध्यक्ष, महोदय, रूस के अन्दर भी लिस्ट सिस्टम है इसका जिक्र किया गया। मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर तो एक अजीब तानाशाही प्रणाली है। उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडीडेट

ही खड़े हो सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी जिस उम्मीदवार को पसन्द करती है उसी को वोट देना पड़ता है। उसको एलेक्शन का नाम देना तो एक तरह से मैं समझता हूं की प्रजातंत्र को कलंक लगाना है। लेकिन वहां पर एक बात बड़ी उत्तम है कि अगर किसी सीट के लिये एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, और उसका कोई विरोधी नहीं होता है तो भी वहां वोट डलवाने की कोशिश होती है ताकि मालूम हो कि मुकाबिले में अगर कोई आदमी खड़ा होता तो उसमें यह कितना पोपुलर है। तो रूस का जो लिस्ट सिस्टम है वह कत्तई एलेक्शन नहीं है.....।

इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लिस्ट सिस्टम में मेम्बरों को किसी न किसी पार्टी की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक वे किसी पोलिटिकल पार्टी की शरण में नहीं जायेंगे तब तक उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि इनडिवीजुअल को मौका नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जातिवाद को चांस मिलता है। लेकिन इस सिस्टम में हर उम्मीदवार को मजबूर होना पड़ेगा कि वह ऐसी पार्टी में शामिल हो जिसकी पालिसी और प्रोग्राम को वह उत्तम समझता है और जिससे समझता है कि देश की समस्या को हल कर सकेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर इस अपने संशोधन पर जोर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आज बहुत काफी देर तक इस सदन के सामने रहा और काफी इस पर एकेडेमिक बहस भी हुई कि यह लिस्ट सिस्टम आज के मानवोचित्त प्रोटेक्शन के लिये और सही रेप्रेजेंटेशन देने के लिये बहुत जरूरी है। यों तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बहुत से तरीके हैं। ३०० के करीब तरीके तो कहे भी जाते हैं कि तीन सौ तरीके हैं जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कौन कहां है मैं इस बहस में पड़कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता जो कुछ अब तक सदन में रखा गया है उसमें किस तरह का लिस्ट सिस्टम हो इस पर विवाद करते हुये माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत ज्यादा जोर बेलजियम के सिस्टम पर रखा है और मैं अगर यह समझूं कि जितनी और जगह लिस्ट सिस्टम हैं चूंकि कई मुल्कों में हैं और कई वैरियेशंस हैं। बेलजियम के लिस्ट सिस्टम को सबसे अच्छा मानकर हमारे सामने नमूने के लिये उन्होंने पेश किया और बड़े जोर से कहा कि हम भी क्यों नहीं उसको मान लेते। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मेरा इरादा कुछ कोट करने का नहीं था लेकिन चूंकि बहुत सी चीजें कोट की गई हैं इसलिये मैं इस में क्या क्या खराबियां हैं दो तीन चार सेंटेंसेज आपके सन्मुख माननीय अध्यक्ष महोदय पेश करना चाहता हूं। रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन ऐप्वाइण्टेड टु इन्क्वायर इन्टू दि एलेक्टोरल सिस्टम्स और इसने यह कहा है कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं--

"In the first place, it emphasises and stereotypes party divisions in a way which is incompatible with the more elastic ideas of English politics."

"A small party (or a section of a large party) must either take its chance as part of the list of one of the great parties, or put in a list of its own which will subtract votes from the great party with which it is most in sympathy, without perhaps itself securing the return of a representative. The small parties, in fact, are in a position of considerable difficulty in any case, since the systm itself operates to their disadvantage, as has already been pointed out. When to this is added the natural reluctance of the voter to risk the success of the great party he favours by giving his one and only vote to another list, even if it more exactly represents his opinions or contains a man of distinction whom he particularly desires to see in parliament."

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर माननीय मंत्री जी पूरा पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह बीच बीच में से छोड़ते जाते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--अगर वह चाहेंगे तो मैं इसको उनको प्रेजेंट कर दूंगा। मैं उतना ही सदन का समय लेना चाहता हूं जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो।

"The underlyng principle of all list methods is that in giving a vote for a member of a party the elector votes for the party as well as the man; and they proceed, therefore, on the assumption that if a vote proves to be of no use to the individual for whom it is given, it may in effect be employed without any further consultation of the elctor's wishes for the benefit of another member of the party."

"This objection is strongest against the Belgian method, because there the person whom the vote may return is not even necessarily the choice of the majority of the supporters of the party; but only of the party organisation. For the order of the names on the list practically determines the members who will in the event be returned by the party. This is no doubt due to the fact that the vast majority of electors vote for the list as it stands,.....and it may be argued that this implies their preference for the top members..... The ordinary voter in any conutry will tend to take the course of least resistance, which is in this case to accept a list put before him rather than asert his own tastes, if they are not very decided, in another direction; and this force of inertia may always be counted on to assist genuine prefrence in giving a decisive advantage to the candidates put first on the paper by the party. In Belgium, experience has shown that only in the rarest cases has the personal popularity of a candidate low on the list succeeded in upsetting the printed order. The exaggrated power whichis thus conferred on the party organisation has, we are informed caused considerable dissatisfaction in Belguim itself, and in some constituencies the expedient has been adopted of a private perliminary poll by an electoral association, consisting of all the members of the party in the constituency, to determine the order in which the candidates shall appear on the list."

इसके खतरे कम नहीं होते हैं। लिस्ट सिस्टम से पार्टी में भी डिस्कंटेंट होता है। पार्टी की मैजारिटी फिर उसी आर्डर में आती है जैसा कि लिस्ट में दिया हुआ है। पार्टी की मशीनरी जिस तरह से चाहती है वह डामिनेट करती है। तो न इसमें एलेक्टर्स की मैजारिटी उससे होती है न पार्टी की मैजारिटी होती है। पार्टी मशीनरी जरूर डामिनेट करती है और फायदे में होती है।

"But this expedient is too cumbrous to commend itself for general adoption."

इसलिये इसका इलाज यह है कि पहले पार्टी मेम्बर्स यह तय कर लें कि आर्डर आफ प्रिफरेंस कैसे रखा जाय। तो पहले वोटिंग करा लें। तो इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने यह कहा कि इस रायल कमीशन ने--

"We feel compelled to lay stress upon other features which must be regarded, at least under present conditions of political sentiment, as probably fatal to its chances of adoption in England."

यह रायल कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि यह अगर इंग्लैण्ड में अडाप्ट किया जायगा तो फैटल होगा। इससे ज्यादा और इस लिस्ट सिस्टम का कंडेमनेशन हो नहीं सकता

है। और जिस को समझ कर हमारे सामने सबसे अच्छा नमूना बेल्जियम ने रखा। मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि यह फैसला काफी है कि इंग्लैण्ड में जहां डेमोक्रैसी काफी अच्छी तरह से कायम रखी गयी है और मजबूत हुई है वहां के इस फैसले को जो कि रायल कमीशन ने किया कि इंगलैण्ड में यह फैटल होगा। उसके बाद उन पुरानी पुरानी किताबों से तमाम चीजों को निकाल कर रखना कि यह अच्छा है या नहीं यह आबसोलीट हो गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by list system of voting" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

खंड ९ म प्रस्तावित धारा 12-B की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "by the Electoral Registration Officer" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह संशोधन अगर मेरा स्वीकार कर लिया जाय तो मूल धारा इस प्रकार हो जाती है।

12-B की उपधारा १ इस प्रकार है--

"There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies)."

इस धारा में यह स्पष्ट नहीं होता कि आखिर इन एलेक्टोरल रोल्स को कौन बनायेगा। इसमें केवल इतना ही है कि ये डायरेक्टर आफ एलेक्शंस (लोकल बाडीज) के सुपरवीजन में बनेंगे और जहां पर बनाने की गुंजाइश रखी गयी है और उसका विधान रखा गया है वहीं पर यह होना चाहिये कि उसको कौन बनायेगा। तो १२ (बी) की उपधारा १ में तो डायरेक्टर का नाम लिख दिया कि उसके सुपरवीजन में बनेंगे। अब उसी की दूसरी उपधारा में लिखा है कि--

"The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed....."

इसके बाद तरीका बतलाते हैं कि एलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन आफिसर किस प्रकार प्रिपेयर करेगा और क्या करेगा। अगर डायरेक्टर आफ एलेक्शंस के साथ एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर का नाम आता तब तो ठीक था लेकिन वह १२ (बी) की दूसरी उपधारा में आया। उसके पहले कोई उसका जिक्र नहीं है। तो वह कैसे असेम्बली रोल्स को अडाप्ट करेगा और कैसे प्रिपेयर करेगा। यह तभी हो सकता है जब उसे १२ (बी) की उपधारा १ में जोड़ दिया जाय। मंत्री जी कहेंगे कि हमने १२ के (एफ) में लिख दिया है कि--

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

लेकिन यह तो बाद में जाकर १२ (एफ) में आता है। पर यह चीज शुरू में होनी चाहिये और १२ (बी) की उपधारा १ के अन्त में होनी चाहिये। अगर उसको परिभाषा में रख भी दें तब भी यह शुरू में आ जाना चाहिये कि एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर एलेक्टर रोल तैयार करेगा और जहां पर उसको अधिकार दिये जा रहे हैं उसकी पहले ही सफाई करने के लिये यह संशोधन रखा गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस सिर्फ इतनी है कि एलेक्टोरल रोल कौन तैयार करेगा और अगर इसमें एलेक्टोरल आफिसर और जोड़ दिया जाय तो वह बात साफ हो जायगी। इसमें यह चीज तीन हिस्सों में बंटी हुई है और अगर वे तीनों साथ-साथ पढ़ें जायं तो वह साफ हो जाता है और कोई कमी नहीं रहती। एलेक्टोरल रोल बनेंगे यह दिया गया १२ (बी) वन में। दूसरे यह भी दिया गया कि वह किस तरह से बनेंगे कि--

"The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alternation, addition or modification in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act".

एलेक्टोरल रोल्स किस तरह बनाये जायंगे यह इसमें दे दिया। और अगर १२ (एफ) को भी देखा जाय तो उसमें लिखा हुआ है कि,

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की नियुक्ति दे दी गयी, उसका काम दे दिया गया। एलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेंगे यह भी बतला दिया गया। यह तीनों आदेश अलग-अलग हैं। इसलिये जब एलेक्टोरोल बनाने की बात आई तो कौन बनायेगा उसके लिये अलग अलग जगह रख दिया गया है और वही ज्यादा सही है। उसी तरह से यहां भी जो पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट है उसमें भी इसी प्रकार से यह दिया हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज छूट नहीं गई है और इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य इसपर ज्यादा जोर नहीं देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जो मैंने बात कही उस पर माननीय मंत्री जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसे तो मैंने पहले ही पढ़ दिया था और मैंने बतलाया था कि वह इस प्रकार तीन हिस्सों में बांटी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो धारा १२ (एफ) में अधिकार दिये गये हैं--

"12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

यह पहला भाग है। उसको यहां पर परिभाषा नहीं है। जो पहला भाग उसका है उसको १२-बी की उपधारा १ में जाना चाहिये। जब उसको अधि-

कार मिल जायगा तब वह धारा १२ बी की उपधारा २ में जायगा। उपधारा १ में जाने पर वह धारा इस प्रकार पढ़ी जायगी--

" 12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies) *by the Electoral Registration Officer.*"

तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत साफ है। इसमें रिप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट कहां आता है। माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है।

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा मैंने निवेदन किया कि पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट में इसी तरह से है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यह समझना गलत है कि अगर वह पहले अप्वाइंट करने की धारा आ जायगी तभी वह पहले अप्वाइण्ट होगा और बाद में वह लिस्ट बनेगी। कोई धारा बाद में आये तो जो काम उसके पहले वाली धारा में दिया हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-B की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "by the Electoral Registration Officer" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 'खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-D की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ के शब्द " reinstated " के स्थान पर शब्द " reentered " रख दिया जाय।

श्रीमन् धारा 12—D की उपधारा (२) इस प्रकार है--

" (2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed..... "

तो श्रीमन् यह जो रीइंस्टेटेड शब्द है यह मैं समझता हूं कि यहां पर इस अर्थ को जो कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं लाता नहीं। जहां तक मैंने देखा है रीइंस्टेटेड शब्द, इसकी परिभाषा देखने की कोशिश मैंने की और इसके मानी डिक्शनरी में भी देखने की चेष्टा की, मेरे विचार से यह रीइंस्टेटेड शब्द यहां पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिये क्योंकि रीइंस्टेटेड से मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई सर्विस का मामला हो या इस प्रकार का कोई टेक्निकल मामला हो। यहां पर तो रीइंटर्ड लिखना ज्यादा अच्छा होगा और मैं पसन्द करूंगा। अगर पहला ही ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा तो यह सुझाव है कि अगर रीइंस्टेटेड की जगह रीइंटर्ड कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने डिक्शनरी वगैरह तो पढ़ने की कोशिश की लेकिन वह हिस्सा जहां से कि इसकी नकल करने की कोशिश की गई है अगर उसको वह पढ़े होते तो कोई दिक्कत न होती। मैं रिप्रिजेंटेशन

[श्री मोहनलाल गौतम]

आफ दि पीपुल्स ऐक्ट १९५० की धारा १६ के दूसरे सब क्लाज के प्राविजो को पढ़ देना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि शब्द वही हैं जो कि यहां रखे गये—

" Provided that the name of any person struck off the roll of aconstituency by reason of a disqualification under clause (C) of Sub section(1) shall forthwith be reinstated in that roll if his qualification is so...."

तो वही लफ्ज रखे गये हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—तो वही लफ्ज इसमें नकल कर दिये गये हैं। सहूलियत भी यही होगी कि हम चुनाव के संबंध में ज्यादा भिन्न-भिन्न शब्द न इस्तेमाल करें क्योंकि इससे एलेक्शन पेटिशन्स के जजमेंट में आसानी होगी। तो इसमें सहूलियत भी होगी और जो डेवलपमेंट एलेक्शन्स का हो रहा है वह सही ढंग से हो सकेगा। इसी लिये वह शब्द वहां से लिया गया है। मेरी ज्यादा लियाकत न होते हुये भी कम से कम नकल करने में उन्हीं लफ्जों को यहां लाने की पूरी कोशिश की है। ड्रैफ्टिंग जो भाई नहीं जानते उनसे तो मजबूरी है, लेकिन अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-H की उपधारा (d) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (iii) बढ़ा दिया जाय—

" (*iii*) Whose name is included in the Assembly Rolls for the rural area of the district in which a Board is situated, but who is otherwise qalified to be registered in the electoral roll of such ward of a Board as falls nearest to the residence of such person in lieu of payment of any tax to such Board.

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द हालांकि भिन्न हैं लेकिन यह जो इसमें दिया हुआ है यह हाउस एक दफा डिसकस कर चुका है और उसपर अपना फैसला दे चुका है। अगर आपकी आज्ञा अब भी हो तो डिसकस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—कहां पर डिसकस हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम—नम्बर ५८ में।

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप का क्या कहना है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जहां तक सवाल मेरे इस संशोधन का है इसके एक हिस्से पर विचार अवश्य हो चुका है। मैंने इसमें यह लिखा है—

" Whose name is included in the Assembly Rolls for the rural area of the district in which a Board is situated."

तो जो संशोधन का (ए) हिस्सा है उसपर कोई विवाद नहीं हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है और इसमें एक नयी बात सामने आ जाती है।

श्री अध्यक्ष—है तो लेकिन रुरल एरिया के सम्बन्ध में है तो इसलिये मैं इसको आउट आफ आर्डर डेक्लेयर करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 12-H की उपधारा (G) की पंक्ति १ में शब्द "generally" और शब्द "all" के बीच का शब्द "for" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। इस धारा म मतदाता सूची की जो बातें गिनाई गयी हैं उनके बारे में राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है।

यह धारा इस प्रकार शुरू होती है—

"The State Government may by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,—"

इसके अन्त में यह रखा गया है—

"Generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls."

इसमें शब्द "for" अनावश्यक है और उसको निकाल देना चाहिये। इसकी कोई यहां आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष, महोदय, यह ड्राफ़्टिंग की बात है, जैसी आपकी आज्ञा हो, आप को अधिकार तो है ही, आप जैसी सलाह दें।

श्री अध्यक्ष—अगर इसको निकाल दिया जाय तो आप कोई हर्ज नहीं समझते?

श्री मोहनलाल गौतम—हर्ज तो है।

श्री अध्यक्ष—तो वह बताइये।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह निवेदन किया कि यह जो ड्राफ़्टिंग के बारे में कहा जाता है, अगर उसका मतलब वही रहता हो तब तो निकाल देना चाहिये। उन्होंने जो कहा वह सिर्फ ड्राफ्टिंग की बात कही है, इसलिये मैं कहता हूं कि इसको निकालने से अगर मतलब दूसरा होता हो तब तब वह नहीं निकाला जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस का रहना जरूरी है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मेरा अपना ख़याल है कि "for" निकाल देने से उसका अर्थ नहीं बदलता है और मैं उचित यही समझता हूं कि इसका निर्णय आप खुद करलें अगर "for" आवश्यक हो तो रहने दिया जाय और अगर आवश्यक न हो तो निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं क्योंकि ड्राफ्टिंग में एक शब्द का अर्थ उलटा सीधा हो सकता है। माननीय मंत्री जी उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—मैं जिम्मेदारी तो लेना नहीं चाहता और इसलिये वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-A को धारा 13-A की उपधारा (1) के रूप में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

पुनरांकित किया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित लख को उपधारा (2) के रूप में रखा जाय—

"(2) When a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

श्रीमन्, इसको पेश करने की आवश्यकता केवल इसलिये हुई कि नयी म्यूनिसिपैलिटियां जो स्थापित होंगी उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा इसका भी निर्देश इस बिल में हो जाता तो उचित होता। इसीलिये मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं, आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् वैसे तो माननीय मंत्री जी के स्वीकार करने के बाद मुझे यह आवश्यकता नहीं थी कि मैं इस का विरोध करूं लेकिन फिर भी जब मैं इस संशोधन में देखता हूं कि असंगत बातें वर्तमान विधेयक में आजाती हैं तो मुझे आपकी आज्ञा से इसका विरोध करना ही उचित लगता है। वह इसलिये लगता है कि अगर श्री परिपूर्णानन्द जी इसको स्पष्ट कर दें तो जिन कारणों से मैं इसका विरोध करता रहा हूं, मैं अपना विरोध वापस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जायं। पहली बात यह है कि धारा ३ जो है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी बना सकती है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो वर्तमान धारा १३-ए है उसके अन्दर नये बने हुये बोर्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं, उसकी परिभाषा के अन्दर धारा १३ इस प्रकार है—

"Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf."

यहां पर सेक्शन १३-ए का जिक्र किया गया है और दूसरे सेक्शन १०-ए का जिक्र किया गया है जो कि इस विधेयक के द्वारा नई धारा जोड़ी गई है और वह इस प्रकार है—

"Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted."

तो यहां पर "ए बोर्ड" की जो परिभाषा की गयी है मेरा अपना विचार है कि "ए बोर्ड" का मतलब और "ए बोर्ड दैट हैज बीन कांस्टीट्युटेड" इसका मतलब केवल ऐसे बोर्डों के लिये नहीं है जो कि आज कल हैं बल्कि उन बोर्डों के लिये भी है जो आगे चल कर बनेंगे। अगर यह मान लिया जाय कि "ए बोर्ड" शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वह शब्द नई बनने वाली म्युनिसिपैलिटियों में लागू नहीं होता। तो इस विधेयक में तमाम जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। हर जगह हमें नये बोर्ड के लिये प्राविजन रखना पड़ेगा। तो यह तो हमारे माननीय मंत्री जी इस बात की इजाजत दें कि हम सब संशोधन ऐसे दें कि हर जगह नये बोर्डों के लिये प्राविजन करें। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि सब स्थानों में "ए बोर्ड" इनक्लूड्स "एनी

बोर्ड टु बी कांस्टीटयूटेड इन फ्यूचर", अगर बोर्ड का मतलब पहले के जो आज हैं और जो बनने वाले हैं ये तीनों प्रकार के बोर्ड अगर इसमें आ जाते हैं, अगर माननीय मंत्री जी का यह तात्पर्य है तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय परिपूर्णानन्द जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में जो मूल अधिनियम है उसमें जितने भी म्युनिसिपिल बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य हैं वे अधिकार नये बनने वाले बोर्डों के लिये लागू नहीं होते और क्या माननीय मंत्री जी इस विधेयक के हर अंग में एक नया सब सेक्शन जोड़ने के लिये तैयार हैं कि जो नया बोर्ड कांस्टीटयूट हो उसको ये अधिकार दिये जायं और उसमें फलानी धारा भी लागू होगी? मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का प्राविजन अगर माननीय मंत्री जी रखेंगे तो इसमें ३०० के बजाय ६०० धाराएं हो जायंगी। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा १० की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"The State Government may, if satisfied in the case of any municipality that its circumstances render inadvisable the application thereto of the provisions of section 9 declare by notification that the board shall notwithstanding anything contained in this Act, be constituted as follows, namely :

(*a*) such number of members to be nominated by the State Government as may be specified;

(*b*) such number of elected members to be elected in such manner and by such persons or class of persons as may be specified; and

(*c*) the President, who shall possess such qualifications and be elected in such manner, as the State Government may prescribe."

इसके बाद जो प्रतिबन्ध आता है वह इस प्रकार है—

"Provided that the provisons of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceeding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1942."

तो उसमें वह सब म्युनिसिपैलिटियां आ जाती हैं इस प्राविजन के अनुसार जो कि आज तक नहीं बनी थीं, इस ऐक्ट के लागू होने के पहले जो बन चुकी थीं लेकिन इस ऐक्ट के लागू होने के बाद की म्युनिसिपैलिटियों के बारे में भी यह धारा लागू होती है। यानी जितनी भी म्युनिसिपैलिटियां सन् १९४८ और ५२ के बीच में बनीं उनके बारे में नोटिफ़िकेशन इस प्रकार निकला—

"In exercise of the powers conferred by section 91-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act the Governor is pleased to notify that the number of elective."

माननीय मंत्री जी का जो परसों का भाषण था उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि सन् ४८ के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटियां बनी हैं उनके बारे में एक खास विधान बनाना पड़ा है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी म्युनिसिपैलिटियां जो कि इस विधेयक के पास होने के बाद बनें और जिनमें धारा १० लागू हो। सन् १९५२ ई० के इस संशोधक विधेयक के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ बनेंगी उसके लिये यह प्रतिबन्ध नहीं है और धारा १० सभी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये लागू होगी, जो इस विधेयक के बाद बनेगी तो एक परस्पर विरोध हो जाता है। अगर यह सदन श्री परिपूर्णानन्द जी का संशोधन स्वीकार कर लेता है तो धारा १० के प्रतिबन्ध में और इसमें परस्पर विरोध हो जाता है। इस संशोधन में उन्होंने कहा है कि—

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"When a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

तो जो धारा १० में तीनों प्रतिबन्ध ए, बी, सी दिये हैं तो अगर मम्बस नोमीनेट किये जायंगे तो वह भी नोमीनेट किये जा सकते हैं। इसलिये धारा १० के तीनों सब सेक्शन्स में और श्री परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में परस्पर विरोध है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें और बतलायें कि इसमें नये बोर्ड शामिल होते हैं या नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं श्री नारायणदत्त जी के इस बड़े विद्वतापूर्ण भाषण के तत्त्व को नहीं समझ सका। मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरा आशय यह है कि यह धारा और जिस चीज का अभी उल्लेख किया गया है उन सब बातों को तो स्पष्ट कर दिया गया है और म्युनिसिपैलिटीज की जो रचना हो गई है और जो होने वाली है, उनके क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगे इस सम्बन्ध में तो लिखा ही है कि जब नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी तो उनके वही अधिकार होंगे जो म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में निरूपण कर दिये गये हैं। केवल एक बात चुनाव के सम्बन्ध में है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी उनके लिये हम यह कर देना चाहते हैं कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी और जो चुनाव के नियम रखे गये हैं उन्हीं के अनुसार उनका चुनाव होगा। उसका क्या रूप होगा यह तो बाद की चीज होगी। इस संशोधन में तो केवल यह है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी उनका चुनाव कैसे कराया जायगा, इसका निरूपण किया जाय। इसके अलावा एक स्पष्टीकरण और है। हो सकता है जैसा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि हर एक के लिये नई बात लागू होगी तो उसका सामंजस्य यहां कैसे हो और अगर ऐसा नहीं है तो साफ बात है और यह बिल्कुल साफ है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनें उनका एलेक्शन सब की तरह से हो।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 13-A को धारा 13-A की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय और तत्पश्चात निम्नलिखित लेख को उपधारा (2) के रूप में रखा जाय--

"(2) when a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कह दूं कि संशोधन जिनकी क्रम संख्या ७२ और ७३ हैं जो मेरे नाम में है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं यदि आज्ञा हो तो दोनों एक साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---हां ले लीजिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की पंक्ति ३ में शब्द "if" और "he" के बीच शब्द "either" बढ़ा दिया जाय और मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (a) की पंक्ति १ में शब्द "Servant of" तथा "the State" के बीच शब्द "a local authority" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन जिसे मैं उपस्थित कर रहा हूं उसका मुख्य आशय यह है कि सरकार ने जो यह संशोधन रक्खा है कि किसी स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी ऐसे हों जो बरखास्त कर दिये गये हों तो उनको किसी सदस्यता के पद पर नहीं लिया जायगा म्युनिसिपैलिटी में । तो मेरा संशोधन यह है कि जहां सरकार यह कहती है कि केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार का कर्मचारी अगर बरखास्त कर दिया गया है, तो उसे नगरपालिका के सदस्यता के पद पर नहीं लिया जायगा, यह बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि यदि नगरपालिका का कोई कर्मचारी पृथक कर दिया गया है तो उसे भी नहीं लिया जायगा बल्कि नगरपालिका के कर्मचारी के लिये और भी आवश्यक है और उसके साथ यह कैद और सख्ती के साथ लगाई जाय। जैसा कि इस समय संशोधन है अगर वह पास कर दिया जाता है तो नगरपालिका का जो कर्मचारी पृथक कर दिया गया है वह नगरपालिका के पद पर चुना जा सकता है। कानून की दृष्टि से वह आ सकता है। मेरी समझ में जो शर्त प्रान्तीय और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लगाई जा रही है वही शर्त नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भी लागू होना चाहिये। नगर पालिकाओं में आजकल बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, नियमों का पालन नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तरह-तरह के दंड दिये जाते हैं और बाद में उनको पृथक करना पड़ता है। अतएव मुझे यही कहना है कि जो शर्तें आप अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये लगा रहे हैं वही नगरपालिका के कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिये। जहां तक शब्द "आइदर" का सवाल है यह क्रम संख्या ७२ के संशोधन में है। इसमें केवल दो ही के ऊपर कैद थी प्रादेशिक या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें तीन शब्द आ जाते हैं। लोकल अथारिटीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये जो भाषा यहां पर आई है उसके कंस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिये यहां पर "either" शब्द का प्रयोग करना ठीक मालूम होता है। इसलिये मैं आपके सामने यह संशोधन पेश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नम्बर ७३ के संशोधन का प्रश्न है वह मुझे स्वीकार है और यह सही है कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेण्ट खड़ा नहीं हो सकता तो लोकल बाडीज का भी सर्वेण्ट खड़ा नहीं हो सकता। यह बात सही है और मंजूर है। अब यह इस तरह से पढ़ा जायगा—

"(*a*) is a dismissed servant of a local authority, the State or Central Government and is. . . . . ."

जहां तक दूसरा संशोधन "either" जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। यह तो आल्टरनेटिव प्रपोजल है। बिन "either" के जोड़े हुये भी काम चल जाता है। इसलिये मैं उसको रखने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री वीरेन्द्रपति यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह "if" और "he" के बीच "either" बढ़ाने के बारे में है। "if either he" का तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर "if he either" वह करते तब तो कुछ बात समझ में आ सकती थी लेकिन यह तो बिल्कुल समझ के बाहर हो जाता है।

दूसरे संशोधन का मैं इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि लोकल अथारिटीज के सर्वेण्ट जो डिस्मिस कर दिये गये हों और दोबारा सर्विस करने से डिबार कर दिये गये हों अगर हम उनके स्कोप को इतना बढ़ा दें कि जो आज तक नहीं हुआ है तो इसका बहुत दुरुपयोग होगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष में किस प्रान्त में कहां पर किस ऐक्ट की किस धारा के मुताबिक ऐसा हुआ है? मैं चाहता हूं कि आप यह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिखायें कि जहां पर ऐसा किया गया हो कि लोकल अथारिटीज के डिस्मिस किये गये इम्पलायी को चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के हों या नोटिफाइड एरिया के हों जो कर्मचारी निकाल दिये गये हों वह म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। हिन्दुस्तान में किस ऐक्ट के अन्दर किसने ऐसा रखा है? आजकल पार्टी बाजी की वजह से बहुत से कर्मचारी निकाल दिये जाते हैं जो चेयरमैन या मेम्बर की राय के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अभी भुवाली का एक किस्सा है। उसके लिये डिप्टी कमिश्नर ने उसके फेवर में फैसला दिया...।

श्री मोहनलाल गौतम--आप किसी का व्यक्तिगत मामला यहां पर नहीं रख सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि लोकल बाडीज में अगर कोई चेयरमैन या किसी मेम्बर के मन के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको अलग कर देते हैं। मान लीजिये कि हमारा एक सुपरिंटेंडेंट आफ एजुकेशन है या कोई मिनिस्टर है जो चुनाव में खड़ा हो सकता है या खड़ा होना चाहता है। उनको खतरा मालूम हुआ। पिछले ऐक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के डिसमिस्ड लोगों के बारे में तो पहले से ही विधान था लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के डिसमिस्ड लोगों के बारे में भी अगर इसमें ऐसा ही रख दिया जायगा तो इससे तो इसके जरिये से और गड़बड़ी बढ़ेगी और पार्टीबाजी के जरिये कर्मचारियों को निकालने की भावना बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपकी आज्ञा से खेर कमेटी की रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में पढ़ना चाहता हूं। उसने सफा ६ पर धारा ए० बी० में जो डिसक्वालिफिकेशन्स दी हुई हैं उन को भी हटाने की सिफारिश की है। उसमें लिखा है कि--

"The existing disqualifications for membership have generally been retained except those relating to persons who have been dismissed from Government service and are debarred from re-employment therein, and persons who have been debarred from practising as legal practitioners by a competent authority. Both these disqualifications have been omitted by us as they are in our opinion unjustly discriminatory against the particular classes mentioned."

कहां तो उन डिसक्वालिफिकेशन्स को भी हटाने की सिफारिश थी कि जो गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स डिसमिस हुए हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह खड़े न हो सकें या ऐसे वकील जिनकी प्रेक्टिस रोक दी गई है वह खड़े न हो सकें और उस सिफारिश पर रिपोर्ट में श्री सुल्तान आलम खां साहब या श्री ऐजाज रसूल साहब को कोई नोट आफ डिसेण्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो पुरानी रिपोर्ट है और उसके बाद और शिकायतें बढ़ रही हैं इसलिये लोकल बाडीज के डिसमिस्ड लोग भी खड़े नहीं हो सकते। कल को हो जायगा कि प्राइवेट फर्म या कम्पनी के भी कोई निकाले हुए हैं तो वह भी नहीं हो सकते जो आरगूमेंट लोकल बाडीज के लोगों के लिए है हालांकि वह सेमी गवर्नमेंट सवण्ट्स भी नहीं हैं, वही प्राइवेट कम्पनी या फैक्टरी के एम्पलाईज के लिए भी आ सकते हैं। उनको आप नहीं निकालते हैं तो डिसक्रिमिनेशन तो फिर भी रहा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको स्वीकार न करें। मैं श्री यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं और मुझे उनसे कोई हठ नहीं है और न कोई व्यक्तिगत विरोध है। मेरा तो आगे धारा ए० बी० को निकालने का संशोधन आ रहा है। ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं और जो इस चीज को करना चाहते हैं वह उसके नतीजे को नहीं सोचते हैं। इस तरह से तो और भी उनकी शक्ति बढ़ती है और इसके अधिक दुरुयोग की सम्भावना है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बैठा हुआ था और सुबह से बोला नहीं था। मुझे दुःख प्रतीत हुआ कि एक आदर्शवादी नेता श्री तिवारी जी जो अपने को अग्रगामी कहते हैं और देश के नवयुवक ब्रह्मचारी हैं और जो सोचते हैं कि इस पार से उस पार तक करप्शन को दूर कर दें वह म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से करप्शन में बरखास्त हुए लोगों को चाहते हैं कि वह खड़े हो सकें और उनको मौका दिया जाय। हम तो मुल्क में करप्शन को खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो चपले चल रहे हैं वह चलते रहें। मुझे इसका दुःख मालूम हुआ। यह जो अमेंडमेंट आया है यह बहुत सुन्दर चीज है और मुल्क की बेहतरी के लिये है। इससे करप्शन रुकेगा। हमारे विरोधी दल वाले वैसे तो करप्शन का ढोल पीटते हैं लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है कि जिससे करप्शन को रोका जाय तो वे उसका विरोध करने लगते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, जिस समय से यह विधेयक यहां लाया गया है मैं यह देख रहा हूं कि हमारे माननीय मित्र तिवारी खेर कमेटी की रिपोर्ट का गीत यहां गाते रहे हैं। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि अच्छी चीजें जो खेर कमेटी की हैं और जिन्हें इस विधेयक में रखा गया है वे तिवारी जी के मुंह से नहीं निकलीं। मैं उनसे जानना चाहता हूं आपके जरिये कि क्या खेर कमेटी ने नामीनेशन की प्रथा को हटाने और एडल्ट फ्रैंचाइज की बात नहीं कही थी? चेयरमैन के सीधे जनता द्वारा चुनाव की बात को भी अपनाया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप अपने संशोधन पर ही रहें तो अधिक अच्छा हो। वह रिपोर्ट इस समय सदन के सामने नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—खेर कमेटी की रिपोर्ट को जो यहां लाया गया लेकिन उसे बने ४-५ साल हो गये हैं। तब से हमारा नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है। हमारे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है और गबन हो रहे हैं। यह उचित नहीं होगा कि हम खराब नौकरों को मेम्बरी से न रोकें। यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते तो हमारी नगर पालिकाओं के कर्मचारी काफी गड़बड़ी करते हुये भी हमेशा यह समझते रहेंगे कि हमको तो गड़बड़ी करना है और यदि नौकरी से निकाल भी दिये गये तो मेम्बर बन कर काम करेंगे। इसलिये इस संशोधन का माना जाना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारे देश का स्तर नीचे गिरने से रुकेगा। मैं समझता हूं भ्रष्टाचारी लोगों के लिये सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं अपने संशोधन का पहला भाग वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का पहला भाग वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*a*) की पंक्ति १ में शब्द "Servant of" तथा "the State" के बीच शब्द व अर्धविराम "a local authority," बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्तर्गत प्रस्तावित नई धारा 13-D की उपधारा (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) is an exservant of any local authority or any state or the Central Government, dismissed for corruption or disloyalty to the state."

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान् जी, इस धारा में उन अयोग्यताओं का उल्लेख है जिनके होने पर कोई व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं हो सकेगा और उसकी पहली अयोग्यता इस प्रकार है—

"(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein."

इसके समान अयोग्यता जो दी रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट १९५१ में लिखी हुई है वह इस प्रकार है—

(F) After having held any office in the Govt. of India or the Government of any State or under the Crown of India or under the Government of an Indian State, he has, whether before or after the commencement of the Constitution, been dismissed for corruption or disloyalty to the State, unless a period of five years has elapsed since his dismissal."

इन दोनों अयोग्यताओं में एक महत्व का अन्तर है। जो "दी रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट, १९५१" में अयोग्यता है उसका अर्थ यह है कि किसी स्टेट या केन्द्रीय सरकार का कोई नौकर जो करप्शन या राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ हो वही लोक-सभा या धारा सभा आदि का सदस्य नहीं हो सकेगा और यदि कोई नौकर किसी दूसरे कारण से बरखास्त हुआ तो वह लोक सभा और धारा सभा आदि का सदस्य हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की अयोग्यता इस बिल में रखी गयी है, उसका अर्थ यह होगा कि कोई भी सरकारी नौकर जो किसी भी कारण से बरखास्त हुआ हो किसी म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर होने के अयोग्य होगा। यानी अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार और राज्यद्रोह के अलावा किसी और कारण से बरखास्त होता है तो वह धारा सभा और लोक सभा का सदस्य हो सकता है लेकिन म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह होगा कि अगर यह अयोग्यता इसी प्रकार रहने दी जायगी तो एक ऐनामलस स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसलिये जिस प्रकार से अयोग्यता इस रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट, १९५१ में रखी हुई है उसी के समान यह अयोग्यता होनी चाहिये थी। इसलिये मैंने जो इसमें पहला सुधार करने की कोशिश की वह इस प्रकार है कि किसी लोकल अथारिटी, किसी स्टेट गवर्नमेंट, केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ है वही अयोग्य होगा किसी म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य होने से और कोई सरकारी नौकर जो किसी दूसरे कारण से बरखास्त हुआ हो वह अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा। एक संशोधन मेरा इस प्रकार है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेना चाहते हैं।

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ दिसम्बर, १९५२।

बी०एस०यू०पी० ए० पी०—१३३ एल० ए०—१९५२—८५०